Title: Discussion regarding problems being faced by farmers in various parts of the country raised by Shri Ram Nagina Mishra on the 7th December, 1999. (Concluded).

सभापति महोदय : अब नियम १९३ के तहत किसानों की समस्या पर चर्चा होगी। श्री प्रभुनाथ सिंह का भाषण जारी था, कृपया पूरा करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, किसानों के दुख और पीड़ा पर कल से इस सदन में चर्चा हो रही है। और हम बिहार के मामले पर बोल रहे थे। जैसाकि मां बता रहा था कि कैनाल फेल हो जाने के कारण किसानों का दोहरा दोहन हो रहा है। मैं किसानों की बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बाढ़ और जल जमाव की बात केवल एक वाक्य में कह सकते हैं लेकिन किसानों की पीड़ा एक वाक्य में समाप्त नहीं होती। वह छः महीने परिश्रम करता रहता है लेकिन रातोरात बाढ़ आ जाने के कारण किसानों की अगली उम्मीद समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जल जमाव से किसानों की पीड़ा है। जहां तक सुखाड़ का प्रश्न है, बिहार में इससे बचने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर राज्य सरकार के जो ट्यूबवैल लगाये गये हैं, उनमें से १ प्रतिशत भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण तो बिजली की कमी और दूसरे रखरखाव की अव्यवस्था। इस कारण सरकार के सारे ट्यूबवैल फेल हो गये हैं। इसलिये मैं कृषि मंत्री जडी से निवेदन करूंगा कि बिहार बाढ़ से बचने के लिये और सुखाड़ से निपटने रके लिये तथा जल जमाव से राहत देने के लिये आप केन्द्र की एक टीम वहां भेजे और इस सब की समीक्षा करवायें। बिहार इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वहां से ११-१२ मिनिस्टर केन्द्र में हैं और संयोग से कृषि तथा वित्त मंत्री बिहार से हैं।

दोनों बिहार से आते हैं। बिहार की पीड़ा हम जितनी कहेंगे, उससे कम माननीय मंत्री नहीं जानते हैं। इस समय चारों तरफ बिहार ही दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि मंत्री जी केन्द्र से टीम भिजवाकर इसकी समीक्षा करवाएं और बिहार के लोगों को राहत दिलवाएं। दूसरी बात बिजली संकट के बारे में कहना चाहता हूं। आप बिहार के बिजली मंत्री भी रह चुके हैं। ११७ गांवों की जांच सीबीआई को कुमारमंगलम साहब ने दी है। वह आपके ज़माने का है या दूसरे के ज़माने का है, वह कागज़ पर है और जांच में पता चलेगा। बिहार में बिजला का काम कागज़ पर हुआ है और गांवों में कागज़ों पर बिजली जला दी गई है। आप सोच सकते हैं कि खेतों में पानी के लिए बिजली कहां से उपलब्ध होने वाली है। इसी तरह से डीज़ल का जो मूल्य बढ़ा है, इससे भी किसानों की पीड़ा बढ़ी है। डिज़ल के मूल्य बढ़ने पर भी हमने माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से अनुरोध किया था कि चार रुपये का भार किसानों पर बहुत बड़ा भार है और हम चाहेंगे कि उसमें सराकर सब्सिडी दे और सरकार अगर सब्सिडी देगी तो हमें लगता है कि किसानों को राहत मिलेगी। पहले हम लोगों के यहां प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से किसानों को बीज और खाद मुहैया कराई जाती थी। अब पता नहीं राज्य सरकार की कमी की वजह से या केन्द्रीय सरकार के निर्देश की वजह से बीज और खाद नहीं जा पाती है, इसीलिए वह किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाती है।

एक मेरा कृषि मंत्री जी से कहना है कि जो रासायनिक खाद होती है, पांच-सात सालों तक तो फसल की बहुत उपज देती है, लेकिन ऐसी भी खाद होनी चाहिए जिसमें रसायन की मात्रा कम हो। इसलिए क्योंकि हम मानकर चलते हैं और खासकर गांवों के किसानों का कहना है कि पांच-सात बरस तक खेत में रासायनिक खाद डालते हैं तो उसके बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ऐसे खाद के निर्माण के लिए अपने कृषि वैज्ञानिकों को कहें जिसमें रसायन की मात्रा कम हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे।

महोदय, हम कृषि मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वह पूर्व में इसी विभाग के कृषि मंत्री ते। आपने छपरा में कृषि विभाग का अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। उस समय हम इस सदन के सदस्य नहीं थे और अब आपका प्रमोशन हो गया। आप राज्य स्तर के मंत्री से कैबिनेट स्तर के मंत्री बन गए लेकिन छपरा में वह कृषि करा दीजिए।

हमारे बिहार में बहुत तरह की खेती होती है। फलों की अच्छी खेती होती है। मुजफ्फरपुर कई तरह के फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, हाजीपुर केले के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सब्जियां भी बहुत होती हैं। यहां आलू और प्याज की खेती होती है, चावल, गेहूं और ईख की खेती होती है लेकिन किसानों की जब फसल उगती है तो कोल्ड स्टोरेज बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जहां किसान आलू-प्याज को रख सकें। जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, वह पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहां जगह नहीं है, स्टोरेज भर गया है। इससे किसानों की फसल का नुकसान होता है। हम चाहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज सरकारी स्तर पर खुलवाएं तो किसानों के लिए बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसानों के लिए सब्सिडी बहुत चीजों पर मिलती रही है। पहले पंपिंग सेट के लिए सब्सिडी मिलती थी, बोरिंग के पाइप के लिए मिलती थी। एक तो किसान बिचौलियों द्वारा परेशान रहते हैं, सब्सिडी के मामले में बैंक से भी काफी परेशान होते हैं। हमारे यहां भूमि विकास बैंक है। आप भी और मंत्री जी भी जानते हैं कि किसानों के लिए पम्पिंग सेट और अन्य तरह के सामानों के लिए वह ऋण मुहैया कराते थे, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है कि किसान दर-दर की ठोकरें खाते हैं और कहते हैं कि हमने तो कभी ऋण ही नहीं लिया और २५,००० रुपये का वारंट ईस्यू हो चुका है।

उस बैंक में इतना घपला हुआ है कि जहां आप किसानों को राहत देने के लिए बैंक से ऋण मुहैया करने की बात करते थे, वहीं पर आज किसान उतना ही ऋण लेकर वारंट और पुलिस के डर से घर छोड़कर भागे फिरते हैं। उनके मवेशी तक खोलकर थाने में ले जाये जा रहे हैं। उनकी खेती-बाड़ी नीलामी की स्थिति में पहुंच रही है। इन सब बिंदुओं पर जांच करने की आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि इनकी जांच करके आप आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें किसान पूंजी कमाने के लिए लगाते हैं। लेकिन कोई बीमारी हो जाती है जिसकी पहचान गांव और देहात में नहीं हो पा रही है। आज बिहार में करोड़ों रुपये के शीशम के पेड़ बरबाद हो चुके हैं। पेड़ तैयार हैं, पता नहीं कैसे सूख जाते हैं। लेकिन वहां स्थानीय कृषि विभाग से सम्पर्क करने पर पता नहीं चलता है कि इन पेड़ों में कौन सी बीमारी है। किसान शीशम के पेड़ सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। वे सोचते हैं कि जो जमीन असिंचित है, उसमें शीशम के पेड़ लगाकर वे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनकी सारी लागत, सारा परिश्रम और सारी मेहनत बेकार हो चुकी है और बीमारी का अभी तक पता नहीं चल सका है।

सभापति महोदय, सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को दो बिंदुओं पर काफी कठिनाई है। चकबंदी का काम बिहार में शुरू हुआ था। जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जमीन की लम्बाई-चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के वजह से खेतों का बंटवारा टुकड़ों में हो रहा है और खेतों में जगह न होने के कारण भी किसानों को खेती करने में काफी असुविधा होती है। चकबंदी फेल हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि आप राज्य सरकारों को निर्देश दीजिए कि वे चकबंदी की व्यवस्था करायें। चकबंदी से हमें लगता है कि अनाज की पैदावार काफी बढ़ेगी।

सभापति महोदय, किसानों की एक और समस्या भू-हदबंदी की है। भू-हदबंदी से किसानों को काफी पीड़ा और परेशानी है। हम यह बताना चाहते हैं कि जमीन की हदबंदी आराजी के आधार पर की जाती है जो मेरी नजर में कहीं भी उचित नहीं होती। जमीन अलग-अलग मुल्क में अलग-अलग जगहों पर है। एक तरफ शहर की जमीन है, एक तरफ सिंचित जमीन है, एक तरफ असिंचित जमीन है और दूसरी दियारा क्षेत्र की जमीन होती है। उसका मूल्य बहुत कम होता है। हम यह चाहते हैं कि भू-हदबंदी आराजी के आधार पर नहीं, जमीन के मूल्य के आधार पर होनी चाहिए। यदि आराजी के आधार पर करना हो तो हम कृषि मंत्री जी से कहेंगे कि चलिये हम अपने यहां दियारा की दो सौ एकड़ जमीन भू-हदबंदी में आपको दिलवा देंगे और हमारे लिए आप इकट्ठी जमीन चांदनी चौक में दिलवा दें। आप उसे मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए जमीन जो भू-हदबंदी होनी चाहिए वह निश्चित तौर पर आराजी के आधार पर नहीं बल्कि उसकी मूल्यों के आधार पर होनी चाहिए।

सभापति महोदय, हम गन्ना किसानों की पीड़ा के संबंध में भी बताना चाहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पता नहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय की नीयत क्या है। हमारे देश में जब सात लाख टन चीनी मौजूद है, उसके बाद भी पाकिस्तान जैसे देश से चीनी का आयात करते हैं। पता नहीं वह मित्र देश है या दुश्मन देश है। कारगिल के बाद पता चल गया है। लेकिन उस देश से हम चीनी का आयात करते हैं। इस मामले में हमें पाकिस्तान की नीयत को समझना चाहिए कि जितनी उसकी लागत है, उससे कम दाम पर वह हमें चीनी मुहैया कराता है। हम कहते हैं कि हम चीनी बाहर से इसलिए मंगा रहे हैं चूंकि हमें कीमत को स्थिर रखना है। लेकिन कीमत स्थिर रखने का दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, हमारे चीनी उद्योग पर पड़ने वाला है, हमारी गन्ने की खेती पर पड़ने वाला है। पाकिस्तान चाहते हैं कि वह अपनी चीनी हिंदुस्तान में सस्ते दाम पर भेजे। ताकि यहां के गन्ना किसान गन्ने की ज्यादा खेती न कर सकें, यहां का चीनी उद्योग बंद हो जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चीनी का जो आयात होता है वह न हमारी अर्थवय वस्था के दृष्टिकोण से ठीक है, न वह किसानो के हित में ठीक है, न वह चीनी उद्योग करने वालों के लिए ठीक है। इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था से हम यह मानकर चलते हैं कि इससे इस देश को ही नुकसान होने वाला है।

सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि मढ़ावरा में कानपुर शूगर मिल्स की एक चीनी मिल थी। उस पर किसानों का सात वर्ष से करोड़ों रुपया बकाया है। कभी किसान हड़ताल करते हैं, कभी धरने पर बैठते हैं। रूडी जी यहां बैठे हुए हैं। किसान जब एक बार हड़ताल करते हैं तो इनका एक चुनाव पार कर जाते हैं। लेकिन किसानों के पैसे का भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी हमें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री के हाथ से कानपुर शूगर मिल्स को बेच दिया गया है और मंत्री जी भी शूगर मिल्स को चलाने वाली बात नहीं सोचते हैं।

सभापति महोदय, उससे पार्टस, कल-पुरजे खोलकर ले जा रहे हैं। पुर्जे बेचकर आमदनी कर रहे हैं। आज छः करोड़ रुपया किसानों का बकाया है उसका क्या होगा। दाना किसानों का जिस ढंग से दोहन हो रहा है वह सबके सामने है। बिहार में सब चीनी मिलें बन्द हो रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बन्द हो रही हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था की जाए। गन्ना किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए। किसानों को सबसिडी या किसी अन्य माध्यम से किसानों का मनोबल बढ़ाने का काम करें। मढावरा चीनी मिल पर किसानों का छः करोड़ रुपया बकाया है। आपके कानून में यदि ताकत हो, तो इसका रास्ता निकालें और किसानों के बकाया का भुगतान कराएं।

सभापति महोदय, हम एक-दो सुझाव यह देना चाहते हैं कि जो ऋण किसानों को मुहैया कराया जाता है उसका सूद बहुत लिया जाता है। वह किसान के हित में नहीं है। सूद की दर न्यूनतम होनी चाहिए और साथ ही किसान अपनी फसल से यदि कोई उद्योग धंधा चलाना चाहे, तो उसे उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे यदि कोई किसान अपने द्वारा पैदा की गई तिलहन से तेल निकालना चाहे, तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई किसान अपने फलों से जूस निकालना चाहे, तो उसको उद्योगपतियों को जिस प्रकार से कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है उसी प्रकार उन्हें भी ऋण देना चाहिए। इससे बेकारी का समाधान होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। जब किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। ऐसे कह देने से कि देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत है तो देश भी मजबूत होगा, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब देश मजबूत नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। अब मैं किसानों की फसल का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उसके बारे में कहना चाहता हूं। यहां दिल्ली में एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर किसानों के उत्पादन का मूल्य उन लोगों द्वारा तय किया जाता है जिन्होंने कभी किसान को देखा नहीं, खेत को देखा नहीं, पानी कैसे देते हैं, देखा नहीं। मेरा कहना है कि हर प्रदेश में जो पैदावार होती है वह अलग-अलस ढंग से होती है जिसकी कीमत अलग-अलग होती है। जो खर्चे हैं वे भी स्थान-स्थान के हिसाब से अलग-अलग हैं। इसलिए मेरी मांग है कि प्रति वर्ष किसानों के मूल्य निर्धारित करने हेतु जो मूल्य आयोग है उसमें किसानों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं ताकि वे उसके अनुसार वहां के परिश्रम, वहां की लागत के अनुसार वहां के किसान की पैदावार का मूल्य तय कर सकें और मूल्य तय करते समय लागत एवं मुनाफा का हिसाब लगा करके मूल्य तय किए जाए जैसे उद्योग में किए जाते हैं। आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

">

">श्री सुबोध राय (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे देश के विभिन्न भागों मे किसान जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके बारे में बोलने का मौका प्रदान किया है। महोदय, आज जब कि हमारा देश सहस्त्राब्दी मना रहा है और इक्कीसवीं शताब्दी में जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और हम अपनी आजादी की ५० वीं सालगिरह का जश्न मना चुके हैं और अपनी तरक्की के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं,

">

">लेकिन हमारे मित्रों ने जो उत्तर प्रदेश के, बिहार के और अन्य जगहों के किसानों की समस्या का जिक्र किया, चाहे वे गन्ना उत्पादक हों, जूट उत्पादक हों, अन्य अनाजों का उत्पादन करने वाले हों या अन्य सामानों के उत्पादन कार्य में लगे हों, उनकी स्थिति बहुत ही भयावह, दर्दनाक और शर्मनाक है। आज सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि आखिर कौन सी नीतियां हमारे देश के किसानों के हक में होनी चाहिए। हमारे देश का किसान आज पूरे विकास का बोझा उठाकर सम्पूर्ण भारत की एकता, अखंडता, आजादी, सार्वभौमिकता, अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक बने हुए हैं।

">

">१८२१ बजे (श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

">

">लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इस दिशा में जो प्रयास किया जाना चाहिए, वह नहीं हुआ है। अभी तक जो सूचनायें मिली हैं, जो घटनायें घटी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आदि राज्यों में हमारे किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्यायें की हैं। ये आत्महत्यायें कपास के किसानों ने ... (व्यवधान)

">

">सभापति महोदय : आप एक मिनट रुकिये क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री को कुछ कहना है।

">

">THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I want to make a submission. As it was decided in the BAC, we have to complete this subject today. There are many Members who want to speak, and we do not mind sitting late, whatever time it takes. So, if the Members wish, then we can extend the time. We will make arrangements for dinner around 8.00 p.m. or 8.30 p.m.

">MR. CHAIRMAN: So, is it the sense of the House that we should sit till this subject is over?

">SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

">MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, बहुत ही अमानवीय घटनायें हमारे यहां हुई हैं जिसके चलते हमारे उन किसानों को अपनी जीवन लीला को गंभीर हताशा और निराशा में समाप्त कर देनी पड़ी है। ये कारण क्या हैं? ये कारण यह हैं कि उनके ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ा है, उनकी फसलों मारी गई हैं, उनके अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिला है, उनकी फसलों के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है तथा उनकी फसलों को बाढ़, की तबाही केकारण सूदखोर महाजनों के चुंगल में फंसने के लिए ये किसान मजबूर होते रहे हैं। देश के बड़े पैमाने पर मझोले और सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं जिनको इसका शिकार होना पड़ा है।

">

">मैं इस मामले में कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब वह जवाब दें तब वे एक ऐसी स्पष्ट नीति की घोषणा करें ताकि जिस समस्या का जिक्र मैंने किया उसके कारण आइंदा इस देश का कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा।

">

कर्जों के बोझ से आज उनके ऊपर जो आतंक खड़ा है, वह समाप्त हो जाएगा और ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाढ़, सुखाड़, ओला वृष्टि और जो बड़ी-बड़ी प्राकृतिक ि

वपदाएं आती रहती हैं, कृषि मंत्रालय की ओर से राज्य और केन्द्र सरकार आपस में तालमेल और सहयोग स्थापित करके ऐसी व्यवस्था करेंगी जिससे हमारे किसानों को उन परिस्थितियों से जूझने का मौका मिलेगा, आने वाले दिनों में हमारी कृषि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार, असम और बंगाल पूर्वांचल के राज्यों में बाढ़ के चलते जो तबाही होती रहती है, सरकार यह बताए कि वह नेपाल, भूटान सरकार से बातचीत करके बाढ़ नियंत्रण का स्थायी निदान किस तरह करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री और बहुत से अन्य साथी जो आज सत्ता पक्ष में हैं, हमने सुना है कि वे ऐसी मांग पहले करते रहे हैं। आज वे सरकार में हैं तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी कथनी और करनी में वही बातें न करें जो पिछले दिनों की आचार-संहिता बनी हुई है। उड़ीसा में जिस तरह बड़े पैमाने पर लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं, वैसी स्थिति में बिहार और मध्य प्रदेश में ओला वृष्टि के चलते किसानों की जो तबाही हुई, सरकार उससे निपटने के लिए क्या उपाय करने के लिए तैयार है। सरकारी एजेंसियां, बैंक की हालत जगजाहिर है। इसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी की है। हम जानते हैं कि हमारा किसान बैंकों में दौड़ता रहता है, कमीशन खोरों के चलते उसकी हड्डी तक चूस ली जाती है लेकिन उसे कर्जे की राशि पूरी तरह नसीब नहीं होती। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार ने अपनी एजेंसियों, बैंकों के माध्यम से सीमान्त, गरीब और मझले कितने प्रतिशत किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है और आगे इस संबंध में क्या योजना आने वाली है? अभी तक जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, वह बड़े-बड़े सम्पन्न लोग और भूस्वामियों के लिए होती है। गरीब, मध्यम वर्ग के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलने के बराबर होता रहा है। यदि सरकार की नीति भूमंडलीकरण, उदारीकरण के दबाव में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर आधारित हो जाएगी तो जाहिर है कि यह लाभ एक्सपोर्टरों और इम्पोर्टरों को ही मिल सकता है।

किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहां ४० रुपये किलो प्याज बिकवाकर सारे देश में तबाही मचा दी। गरीबों के लिए प्याज और नमक भी नदारद करने का काम उन्होंने किया था। इस सरकार में लिब्रेलाइजेशन, भूमण्डलीकरण और विश्व व्यापार संगठन, गैट और डंकल के प्रति जो नया उन्माद पैदा हुआ है, उसके चलते ही जिन समस्याओं का मैंने जिक्र किया, पैदा हो रही है। इसलिए हमारी कृषि पर बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा है। अगर सरकार ने डब्लू.टी.ओ. और इसी तरह के उदारीकरण की नीतियों के आधार पर काम किया तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रम, जो हमारी आजादी की लड़ाई के समय, सारे देश के करोड़ों किसानों को साम्राज्यवाद के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ गोलबन्द करने का सबसे बड़ा नारा था, जिसके लिए स्वामी सहजानन्द सरस्वती जैसे लोग, जिसके लिए पंडित कार्यानंद जैसे लोग और अनेकों लोगों ने सभी राज्यों में ऐसे संगठन बनाये, महात्मा गांधी के पीछे और हमारे अनेकों नेताओं के पीछे जो सारे देश के किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट होकर आजादी के दीवाने बन गये थे, आज उनमें हताशा, निराशा क्यों पैदा हो रही है? आज वे आतंकवाद से परेशान हैं, कश्मीर के किसान आज विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं। आज उनमें ज्यादा से ज्यादा भयानक जो बेकारी है, उससे तबाही हो रही है। इसलिए हम कृषि मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की उनको मानसिकता तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हरित क्रान्ति के कुपरिणामों को आज पंजाब और हरियाणा के किसान भोग रहे हैं। आज हरित क्रान्ति ने पंजाब के लोगों ने तबाह कर दिया। आज पंजाब के किसानों ने भी आत्महत्याएं कीं। आज वे अपनी जमीन को लोगों को लीज पर देने को मजबूर हो रहे हैं। हरियाणा के किसानों की तबाही बढ़ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य है, वह वामपंथी शासित राज्य है, जिसने यह साबित करके दिखाया है कि भूमि सुधार करके ग्रामांचलों की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और कैसे वहां की गरीबी और विषमता को मिटाने के लिए, सामाजिक तनावों को दूर करने के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए कैसे काम किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण पेश किया है, लेकिन आज भूमि सुधार के अभाव में जो विभिन्न राज्यों की स्थिति है, चाहे कर्नाटक की स्थिति हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश की स्थिति हो, चाहे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की स्थिति हो। आज जहां अनेकों खबरें हर हफ्ते या पखवाड़े में सुनने को मिलती हैं, जो दिल दहलाने वाली होती हैं। उसके पीछे कारण क्या है, भूमि सुधार उन कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है। आज क्या हालत है, लगातार हमारी सरकार की जो कृषि नीति रही, पिछले ५० सालों में जो भी सरकार केन्द्र में आई, उसने एक तरफ तो शहरों का सौन्दर्यीकरण पर अरबों रुपया खर्च किया,

लेकिन गांवों में दरिद्रीकरण बढ़ता रहा है। आज बड़े पैमाने पर भूमंडलीकरण और निजीकरण की बात हो रही है लेकिन जिस समस्या का जिक्र किया, हमारी कृषि पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित किया जा रहा है। मुनसैंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जरिये से नपुंसक बीज के जरिए कृषि को सत्यानाश करने की बात हो रही है। इसलिए आज की स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से ध्यान दे। हम चाहेंगे कि किसानों को बड़े पैमाने पर हर तरह से मदद करने के लिए सहकारी बैंकों को प्रभावी बनाया जाए। आज कृषकों में गरीबी बढ़ रही है। आज ग्रामीण अंचलों में दरिद्रीकरण बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए भूमिसुधार कार्यक्रम पर जोर दिया जाए और खेत मजदूरों के लिए ऐसा केन्द्रीय कानून बनाया जाए, जिससे उनके अपने इलाकों में साल भर काम की गारन्टी हो सके। उनके लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है, इसको भी रोका जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में वनांचल, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाने की बात हो रही है। आज आदिवासी जनता का शोषण हो रहा है, उनकी बदत्तर स्थिति है, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, महाजनों और सूदखोरों के चंगुल से उनको मुक्त कराने के लिए, उनमें पूरे अधिकार कायम रखने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी नीति होनी चाहिए, जो कृषि और कृषकों के लिए हो। हमारी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अपील है, वे बहुत ही प्रगतिशील कृषक रहे हैं, बहुत ही विद्वान कृषि मंत्री हैं, कि बिहार में कृषि को उन्नत करने के लिए भागलपुर के सबोर एग्रीकल्चरल कालेज में राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च की व्यवस्था करायें। उन क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर एक पैकेज का एलान करें, ताकि बिहार का विकास हो सके। बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी जहां किसानों की स्थिति बदत्तर है, चाहे वे गन्ना उत्पादक हों, चाहे जूट उत्पादक हों या नारियल उत्पादक हों, उनकी स्थिति बदत्तर हो रही है। कर्नाटक में अंगूर उत्पादकों की स्थिति भी बदत्तर हो रही है।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन सब बिन्दुओं पर चिन्ता करते हुए, जवाब दें।

">

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, अभी किसानों की जिस समस्या का प्रस्ताव में जिक्र किया गया, सदन पहले भी कई बार ऐसे विषय पर चर्चा कर चुका है।

">

">यद्यपि इस प्रस्ताव में किसानों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा करने का आधार है तथापि मैं अपने को कुछ विषयों या बातों तक ही सीमित रखूंगा। यह ठीक है कि पिछले दिनों जिस प्रकार की कृषि नीति रही, जो कृषि नीति होनी चाहिए वह नहीं रही। उसके अभाव में किसान परेशान एवं दुखी है। किसान अपने अधिकार की बात करते हैं, किसान कोई भिक्षा नहीं चाहता। यह बात भी सही है कि देश की ७० प्रतिशत आबादी की आजीविका का साधन कृषि है। उसे कृषि से ही रोजगार मिलता है, शेष जहां-जहां से रोजगार मिलते हैं वे बहुत कम हैं। कृषि सर्वोपरि है और सबसे आगे है, इस दृष्टि से कृषि के बारे में विचार किया जाना चाहिए। पिछले दिनों कृषि मंत्री जी की ओर से कहा गया था कि वह एक समेकित कृषि नीति लाने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी कृषि नीति शीघ्र लाए। यह बात सही है कि किसानों को कभी बाढ़, सूखे तथा कभी प्राकृतिक आपदाओं से घिरना पड़ता है और उस संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसान असहाय हो जाता है। किसान हमेशा ईश्वर के भरोसे रहता है। उसे कभी बिजली नहीं मिलती पानी नहीं मिलता और कभी दैवी आपत्तियां घेर लेती हैं। इस दृष्टि से किसान के सामने बहुत कठिनाई बनी रहती है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन सबके बारे में विचार करे और ऐसी नीति सामने लाए जो किसान की कठिनाइयों का समाधान कर सके। अभी उड़ीसा में जो तबाही हुई उसमें हजारों एकड़ जमीन चली गई। किसान परेशान एवं दुखी हो गया और अब वह चौराहे पर खड़ा है। यही स्थिति कई अन्य राज्यों में पैदा हुई है। किसान के सामने दूसरी बड़ी समस्या उसके उत्पादन के ठीक मूल्य और लागत मूल्य के मिलने की है। अभी मेरे मित्र ने सही बात कही कि उसके लागत मूल्य का जो निर्धारण होता है उस पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए, उसका निर्धारण ठीक से नहीं होता।

">

">महोदय, आप जानते हैं कि कभी तम्बाकू की कीमत को लेकर आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन पर उतारू होते हैं या आत्महत्या पर उतारू होते हैं और कभी महाराष्ट्र के किसान गन्ने की कीमत को लेकर आत्महत्या पर उतारू होते हैं या फिर पंजाब के किसान, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार की आज स्थिति बनी हुई है। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। चाहे टमाटर, आलू, प्याज या तम्बाकू की खेती हो या फिर जूट की खेती हो, उन सबके बारे में किसान को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, उसका निर्धारण जिस प्रकार से होना चाहिए । वह नहीं होता है। कभी-कभी मूल्य निर्धारण करने वाले या लागत मूल्य निर्धारण करने वाली जो समिति है वह भी शायद इसकी अनदेखी करती है और उस कारण से नहरों से सिचिंत होने वाली भूमि और उन क्षेत्रों के साथ, जो नहरों से सिंचित नहीं होती हैं, अपने-अपने निजी साधनों से खेती से सिंचित होती है उसकी लागत में अंतर नहीं करते, जो मूल्यों का निर्धारण करती है, उसके कारण किसान दुखी होता है और यही कारण है कि किसानों को लागत मूल्य प्राप्त नहीं होता। बाजार के अंदर कीमतें बढ़ती रहती हैं। खाद एवं लोहे की कीमतें बढ़ीं तथा सीमेंट की कीमत बढ़ी। डीजल, पम्पसेट व अन्य साधन, सारी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं लेकिन किसान के गेहूं की कीमत नहीं बढ़ती। सरकार को चाहिए कि समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसान को कुछ दें, लेकिन कभी-कभी समर्थन मूल्य देने से काम नहीं चलता क्योंकि राज्य सरकार इसके बीच में आ जाती है। राज्य सरकारों की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज ही सवेरे हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि सोयाबीन की क्या दशा हो रही है। वह इतना ज्यादा हुआ कि लोग जब बेचने लगे। उनकी कीमतें गिरने लगीं तो केन्द्र सरकार ने ८४५ रुपए प्रति क्विंटल उसका समर्थन मूल्य तय कर दिया, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही। यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी वस्तु खराब है, सोयाबीन की क्वालिटी ठीक नहीं है इसलिए हम इसे ७०० रुपए पर खरीदेंगे। इसके साथ-साथ जो भंडारण की, खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी समितियों के द्वारा होनी चाहिए, वहां न तो भंडारण की ठीक

से व्यवस्था है और न ही खरीदी की ठीक से व्यवस्था है। अच्छे और पर्याप्त संख्या में भंडार हों।

">

">महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वह कहते हैं कि हम भंडारण की व्यवस्था करेंगे, गोडाउंस बनाएंगे। अच्छे भंडारण की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसके बारे में लगातार प्रयत्न न होने के बाद नीचे की सोसायटीस कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।

">

">राज्य सरकारों की मार्किटिंग एजेंसियां हैं वे भी खरीद पाने में समर्थ नहीं हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार ने उदारतापूर्वक बढ़ाया लेकिन उस मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। बीच में व्यापारी बिचौलिये बनकर आ जाते थे और किसान को लाभ नहीं मिल रहा था। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समर्थन मूल्य पर खरीदी हो पिछले दिनों कपास की खरीद की बात आई थी। कपास, गन्ना, तम्बाकू के किसान आज आत्महत्या करने पर उतारू हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान की स्थिति ठीक नहीं है। उसको खाद और बीज अच्छा नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों चर्चा हुई थी बीज की समस्या का जिक्र किया, अच्छा बीज न मिलने के कारण उसने जो कपास बोया उसका उत्पादन ठीक नहीं हुआ। जिस कंपनी ने बीज दिया था उसके खिलाफ केस दर्ज कराना पड़ा। विभिन्न खाद कंपनियां हैं उत्पादन अधिक बनाती हैं लेकिन जितना उत्पादन करना चाहिए वह नहीं कर रही हैं। सब्सिडी लेंगी सौ बैग की, हजार बैग की और उत्पादन करेंगी पच्चीस-पचास बैग का। किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और व्यापारी के पास लाभ जा रहा है, फैक्टरी मालिक के पास लाभ जा रहा है। एक दो प्रदेशों को छोड़कर सब जगह किसान की स्थिति खराब होती जा रही है।

">

">आज जलस्तर नीचे जा रहा है। किसान को चार सौ, पांच सौ फीट पर टयूबवैल से पानी मिल पाता है। जलस्तर के नीचे जाने से किसान दुखी है। विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान तक, गांव तक नहीं पहुंचता है। जो पैसा दिया जाता है वह पैसा पता नहीं कहां जाता है।

">

">कुछ भाई टर्मिनेटर बीज की चर्चा कर रहे थे। ये बीज आप एक बार बोएं तो फिर दूसरी बार काम नहीं आता है। विदेशों के प्रभाव में हम आ रहे हैं। गेहूं, लहसून, मूंगफली या प्याज जो किसान बोता था उससे अगले वर्ष के लिए अच्छा बीज लेता था जिससे अच्छी फसल के उत्पादन में कमी नहीं आती थी। लेकिन टर्मिनेटर बीज आ गया जिससे किसान को जो उत्पादन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है और अत्यधिक रासायनिक खाद के कारण भी किसान की जो दुर्गति हो रही है उससे जमीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है और अगर किसान को इस बारे में समझाया नहीं गया तो उसका नुकसान होगा। किसान की जमीन पर आज उससे आघात आ रहा है। आज किसान के पशुधन का ह्रास हो रहा है और इस देश का पशुधन भी आज कम हो गया है। आज किसान की खेती और उसका पशुधन दोनों को नुकसान हो रहा है। छोटे व सीमांत किसान ज्यादा दुखी हैं।

">

">देश के अंदर पढ़े-लिखे, कुशल-अकुशल सब बेरोजगार हैं। लेकिन आज भी कृषि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर सकती है, बड़े-बड़े कारखाने नहीं कर सकते हैं। बड़े-बड़े कारखानों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना हित साध रही हैं। अतः कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

">

">मैं विस्तार में न जाकर कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि वहां किसानों को बिजली नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि १८ घंटे बिजली दी जाएगी लेकिन दो घंटे भी बिजली ठीक से नहीं आती है। बिजली कभी आती है और कभी जाती है। इससे किसानों की मोटरें जल जाती हैं। किसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। मैंने पहले भी इस समस्या का जिक्र किया है, मोटर रिपेयर कराने पर फिर जल जाती है। वोल्टेज कम होने पर मोटर जल जाती है। आज ľ ाायः सभी राज्य का बिजली बोर्डों की भी हालत खराब है चाहे वह राजस्थान का बिजली बोर्डहो उनका करोड़ों रुपया बकाया है। वे बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन जिस तरह राज्यों में होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बनने चाहिए। किसानों को सिचाई के ठीक से साधन देने चाहिए। इस दृष्टि से आज किसान परेशान है। केन्द्र द्वारा घोषित किसान क्रेडिट योजनाएं लागू की जानी चाहियें। राम नगीना जी ने गन्ना किसानों की बात बतायी। मेरे क्षेत्र में भी दो गन्ना मिलें हैं। उनका डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। कहा गया कि अगर किसानों का कोई बकाया है तो वह ब्याज सहित दिया जाएगा। ब्याज न सही मूलधन तो दिया जाए। वह आधा भी नहीं दिया जाता है। इससे किसान परेशान है। गन्ना बोने वाला किसान, मूंगफली बोने वाला किसा, कपास बोने वाला किसान आज परेशान है। मैं चाहता हूं कि ठीक से नीति बने। किसान को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि वह जो चीज पैदा करेगा उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। लहसुन के दाम अगर प्रति कि वंटल तीन-चार हजार रुपए होते हैं तो वे दूसरे साल बाजार में ३००-४०० रुपए क्विंटल हो जाते हैं। अगर टमाटर की अच्छी पैदावार हुई तो वह बाजार में एक साल ६-७ रुपए किलो में बिकता हैं तो दूसरे साल एक रुपए किलो में भी नहीं बिकता है। लोगों ने अंगूर की खेती की लेकिन उसमें भी घाटा हो गया। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती हुई लेकिन उसके अच्छे भाव नहीं मिले। अतः फसल बीमा योजना पूरी तरह लागू होना चाहिये।

">

मैं अंत में कहना चाहूंगा कि किसान को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकारें कहती हैं कि टोटल गांव का अगर ४०-५० परसैंट आता है तभी मुआवजा दिया जा सकता है। यह उचित साय नहीं है। समग्र कृषि नीति बनानी चाहिए। राज्य सरकारों के हाथ में जहां जो चीजें हैं, उसके बारे में आदेश देना चाहिए ताकि किसान संकट से उबर सके। एक अच्छी कृषि नीति सामने आनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है। खेती अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आप इसे ठीक रखें। संक्षेप में इतना ही मुझे कहना है।

">

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, आज किसानों के सम्बन्ध में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। एम.एस.सी. एग्रीकल्चर होने के नाते मैं कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद ७० फीसदी आबादी आज भी शुरुआती दौर में ही कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि आज भी कृषि पर ज्यादा दबाव बना हुआ है। इसकी सिर्फ यह वजह रही कि शुरुआती दौर में ही कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस तरफ ध्यान दिया होता तो आज कृषि पर इतना दबा व नहीं पड़ता।

">

">दूसरी बात समस्या का जिक्र किया, यह है कि विकसित और विकासशील देश जहां २ परसैंट से लेकर ३ परसैंट रिसर्च एंड डैवलपमैंट पर खर्च होता है, लेकिन आज हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि केवल .७ प्रतिशत ही रिसर्च एंड डेवलेपमेंट पर खर्च होता है। इसका नतीजा क्या होता है? आपको मल्टी नेशनल कम्पनीज़ के माध्यम से विभिन्न देशों से बीज मंगाना पड़ता है। उनके बीज आपके यहां आते हैं लेकिन साथ क्या आता है? दुनिया की जितनी बीमारियां हैं, वे साथ उन बीजों के माध्यम से आती हैं। हमारे यहां पहले खर-पतवार दिक्कत नहीं देता था लेकिन जब से अमरीका और आस्ट्रेलिया से हमारे यहां बीज आया तब से नये नये खर-पतवार होने लगे। ये कृषकों के लिये बहुत बड़ी समस्या बने हुये हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां के किसानों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा नई नई जानकारी दी जाती है लेकिन अफसोस यह होता है कि यहां के काश्तकार पढ़े लिखे नहीं हैं। बिचौलियों से जो खाद मिल जाती है, उसे खेत में डाल देते हैं। मैं आपको फर्टिलाइजर का उदाहरण देना

चाहता हूं। किसी राज्य में कम खाद इस्तेमाल की जाती है और किसी राज्य में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ज्यादा खाद इस्तेमाल करने से सायल स्ट्रक्चर टेस्सचर खराब गो जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि आने वाले समय में पापुलेशन ग्रोथ के कारण कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, इससे उत्पादन कम होगा। जब तक आर्गेनिक विटामिन्स की कमी होगी, जब तक टैक्नीकली बात नहीं समझायी जायेगी, तब तक प्रौडैक्शन नहीं बढ़ेगा। जब तक किसानों तक ये सारी बातें नहीं पहुंचेंगी तब तक उसकी जमीन का स्ट्रक्चर टेक्सचर खराब होता रहेगा। नतीजा यह होगा कि दिन प्रति दिन प्रौडैक्शन गिरता चला जायेगा। मैं साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की ४५-५० प्रतिशत एकनामी काश्तकारों पर निर्भर करती है लेकिन किसानों को यहां लूटा जाता है। जो भी प्राडक्टस वह इस्तेमाल करता है, वे मिलावटी होते हैं। चाहे बीज हों या खाद हो या अन्य चीजें हों। यहां तक कि उसे डीजल भी नकली मिलता है। नकली पैस्टीसाइडस मिलती हैं। यदि वह वह इस्तेमाल करता है, वे मिलावटी होते हैं। चाहे बीज हों या खाद हो या अन्य चीजें हों। यहां तक कि उसे डीजल भी नकली मिलता है। नकली पैस्टीसाइडस मिलती हैं। यदि वह वह इस्तेमाल करता है, वे मिलावटी होते हैं। चाहे बीज हों या खाद हो या अन्य चीजें हों। यहां तक कि उसे डीजल भी नकली मिलता है। नकली पैस्टीसाइडस मिलते हैं। यदि वह एक एकड़ जमीन में नाइट्रोजन के साथ दो बोरा यूरिया डालता है तो वह जानता नहीं कि उसमें ४६ प्रतिशत नाइट्रोजन उस यूरिया में है या नहीं? उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ होता है और सरकार से मिलीभगत होती है। होता यह है कि वे कहते हैं अभा हिसाब करना है लेकिन डीलर के यहां सैम्पलिंग पकड़ी जाती है और सब डीलर मारा जाता है। आपके ब्लाक स्तर पर सब सेंटर बने हुये हैं जो बीज या खाद का वितरण करते हैं। लेकिन जो बीज पंजाब में काम करेगा, तमिलनाडु में काम करेगा, वह जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश या बिहार में काम करेगा। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसे बीज जलवायु के अनुकूल मिले। यह प्रौडैक्शन बढ़ाने के लिये आवश्यक है। आज मैकेनिकल युग आ गया है। मजदूरी बढ़ रही है। काश्तकार चाहता है कि कम से कम मजदूरी लगे, वह इम्पलीमेंटस का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। होता यह है कि बड़े बड़े काश्तकारों के लिये ५०-५०, ८०-८० हार्स पावर के टैक्टर बनाये जाते हैं और उसके हिसाब से कम्बाइन्स तथा मशीनें बनाई जा रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान की पर कैपिटा होल्डिंग विश्व की पर कैपिटा होल्डिंग से कम है। लेकिन हमारे हिसाब से कोई ऐसी मशीनरी नहीं बनाई जाती ताकि वे छोटे काश्तकारों जैसी कि जापान में कल्टीवेशन होती है, वैसी कर सकें। वहां छोटे छोटे इक्विपमेंटस होते हैं जिसका काश्तकार छोटी मशीनरी को इस्तेमाल करके जिनसे किसानों का प्रोडैक्शन बढ़ जाता है।

">

">19.00 hrs.

">हमारे यहां ५० या ८० हॉर्सपॉवर के इंप्रूव्ड ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, पर उन काश्तकारों के लिए जिनके पास २००० एकड़ या १५०० एकड़ ज़मीन है। क्या सरकार ने कभी सोचा है कि जिनके पास एक एकड़ भी ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी इस किस्म की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सरकार से और कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उनके लिए इस तरह की व्यवस्था हो।

">

">ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां ग्राउंड वॉटर लैवल नीचे चला गया है और पानी नीचे चले जाने के कारण सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प काम करना बंद हो गए हैं। जहां सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प लगाए भी हैं तो इंजन पर ज्यादा डीज़ल खर्च होता है और डीज़ल खर्च होने के साथ साथ पम्प की लाइफ खत्म हो जाती है। नतीजा यह होता है कि सारा भार किसान पर पड़ता है। मैं चाहूंगा कि ऐसी कृषि नीति बनाई जाए कि जहां पर जो भी वॉटर लैवल हो, उसके हिसाब से काश्तकारों के लिए वहां सबमर्सिबल पम्प की व्यवस्था की जाए ताकि वह गहरा पानी खींच सके।

">

">इसी के साथ-साथ एक और बात बताना मैं उचित समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कुछ सोचा गया है। कैश क्रॉप्स के संबंध में सरकार के जो भी अधिकारी हैं, वह काश्तकारों से कहते हैं कि यह फसल बोयें, वह फसल बोयें लेकिन कैश क्रॉप्स अधिकतर पैरिशेबल हैं। वह बहुत ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रह सकतीं। उनके तहत क्या होता है हमें पूरे तरीके से याद है। पिछले वर्ष मैं देख रहा था कि पूना के आस-पास के इलाके में नीले रंग का अंगूर पैदा किया गया। पिछले साल उसकी कीमत महंगी थी और इस साल काश्तकार उसको फेंकने के लिए तैयार है। टमाटर की उसी तरह की बात है। महाराष्ट्र में एक बार इतना टमाटर पैदा किया गया कि कोई एक रुपये का ५० किलो टमाटर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं सरकार ऐसी नीति बनाती कि जो भी पैरिशेबल कमोडिटी हो वह उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन कराएं जितना कनज्यूम हो सके।

">

">फसल बीमा योजना की बात की जाती है। फसल बीमा योजना में पता लगा है कि समस्या का जिक्र किया, पूना के आस-पास थोड़ी फसल बीमा योजना लागू हुई। जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं, काश्तकार उनको बर्दाश्त करता है। पाला हो, ओला हो, बाढ़ हो लेकिन उसकी फसल बीमा योजना का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। किसान की फसल का बीमा कराया जाए चूंकि वह पढ़ा-लिखा नहीं है। उसका भी बीमा कंपनियां इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कराती हैं ताकि उसको पूरी तरह से क्लेम न मिले। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ठीक तरीके से लागू किया जाए। यूं तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया कि विदेशियों को बुला लिया है

">

">ग्लोबलाईजेशन करते रहे, लिबरलाइज़ेशन करते रहे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि देश तभी तरक्की करेगा जब हमारी पुरानी परंपराओं को अपनाते हुए उसमें नयी तकनीक का समावेश हम करेंगे। अब मैं अपनी बात के मुख्य बिन्दु पर आता हूं।

">

">मैं जिस जिले से आता हूं, वह जिला उत्तर प्रदेश का एक तिहाई आलू अकेला पैदा करता है। चार साल से आलू की लागत किसानों को नहीं मिल पा रही है। एक काम सरकार ने ज़रूर किया कि पिछली बार कोल्ड स्टोरेज के सीज़न के बाद जब कीमत १२०० रुपये क्विंटल हुई तो सरकार ने तुरंत ही नेपाल और पूर्व पाकिस्तान के लिए जाने वाले आलू पर रोक लगा दी। और १२०० रुपये में बिकने वाला आलू ४०० रुपये आ गया, लेकिन पिछले साल क्या हुआ, या इस वर्ष क्या हो रहा है? इस वर्ष आलू मिट्टी के दाम में नहीं बिक रहा है। १५० रुपये क्विंटल पर भी कोई खरीदार नहीं है,

">

">लेकिन आलू की तरफ कोई गौर नहीं है। आज विदेशों के लिए आलू नहीं खोला गया। मैं निवेदन करता हूं कि आने वाली फसल बहुत अच्छी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस उसे पूरी तरह से सूट कर रही हैं, पूरी बम्पर क्रॉप आने वाली है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अभी से आप नीति बनाइये, चूंकि जनवरी के महीने में नई फसल आ जायेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विदेशों में माल भिजवाने की व्यवस्था करिये। मुझे मालूम है कि कोल्ड स्टोरेज की आप सब्सिडी देते हैं, लेकिन सब्सिडी दिल्ली से मिलती है और कोई भी कोल्ड स्टोरेज मालिक आज तक दिल्ली वाली सब्सिडी इस्तेमाल नहीं कर पाया है। मेरे जनपद फर्रुखाबाद में कम से कम १५० कोल्ड स्टोरेज हैं। लेकिन आज तक कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने हैं तो सब्सिडी आप प्रांतीय स्तर पर देने की कृपा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बन सकें।

">

">सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

">

">श्री चन्द्र भूषण सिंह : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आगे आने वाली फसल के लिए अनुरोध करता हूं कि उसको भेजने के लिये ट्रांस्पोटेशन की आप व्यवस्था करायें और विदेशों में माल भिजवाने की व्यवस्था करायें और उसके लिए खरीद केन्द्रों की स्थापना करायें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

">योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, श्री राम नगीना मिश्र जी के साथ ही मेरा नाम भी था। मेरा नोटिस कल ही आया था। एनेन्डा में दूसरे नम्बर पर मेरा नाम था। आप औरों को बुला रहे हैं, आप मुझे भी बोलने का अवसर दें।

">

">सभापति महोदय : आप बैठिये।

">

">योगी आदित्यनाथ :सर, मेरा नाम उस एजेन्डा में साथ ही था।

">

">सभापति महोदय : आपका नाम यहां नहीं है।

">

">योगी आदित्यनाथ : मेरा नाम एजेंडा में था।

">

">सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप बैठिये।

">

">योगी आदित्यनाथ : सर, चर्चा प्रारंभ करने के लिए मेरा नाम श्री राम नगीना मिश्र जी के साथ ही था और मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।

">

">सभापति महोदय : राम नगीना मिश्र जी ने डिबेट इनीशिएट किया है।

">

">योगी आदित्यनाथ : सर, उन्हीं के साथ मेरा भी नाम है, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए।

">

">सभापति महोदय : साथ में नाम होने से कुछ नहीं होता।

">

">योगी आदित्यनाथ : हमने जिस चर्चा को यहां प्रारंभ करने के लिए नोटिस दिया है ... (व्यवधान)

">

">सभापति महोदय : मिश्र जी यहां नहीं होते, चले जाते तो आपको मौका मिलता। मिश्र जी यहां मौजूद थे, वह बोल चुके हैं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा।

">

">सभापति महोदय : आप बैठिये।

">

">योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैंने अलग से भी नाम दिया है।

">

">सभापति महोदय : आप सदन का समय नष्ट मत कीजिए, बैठिये।

">

">श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : सभापति जी, मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है। मुझे बता दें, यदि है तो मैं बैठूं, नहीं तो जाऊं।

">

">सभापति महोदय : यदि आपका नाम होगा तो आपको बुलायेंगे। अगर पार्टी ने आपका नाम भेजा है तो आपको बुलायेंगे। तब आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठिये, जरा हाउस की चर्चा भी सुनिये। क्या खाली बोलने वाले रहेंगे, सुनने वाले नहीं रहेंगे। सुनने वालों को भी तो रहना चाहिए।

">

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on the agricultural situation in the country and also the problems being faced by the farming community in various parts of the country. Sir, there is no doubt that tremendous progress has been made as far as agricultural production in the country is concerned. But at the same time, we are not actually out of the critical situation with respect to agricultural production. One paradoxical issue is that in 1951 the per capita foodgrain availability per day was around 467 grams and now, in 1998, that has just risen to 484 grams per day per head.

">This speaks volumes to show whether we have tremendously achieved on the agriculture front or not. When it comes to the question of nutrition, it is not merely the accessibility to the food which is to be considered. The country now should pay attention to the accessibility to nutrition.So, as far as nutrition is concerned, the per capita availability of nutritious food in the country is around 2,200 calories per day per head as against the requirement of 2,600 calories. For a man to keep his body and soul together, the average calorific value should be around 2,600 calories. So, this certainly speaks that there is a tremendous gap between the requirement of the calorie and the supply of the calories to the people in the country. Here, if we just analyse that whether India is surplus in food production or not - very often we claim that India is surplus in food production - where is the surplus? Even today, about 39 per cent people are below the poverty line. What does it mean when about 39 per cent people in the country are not having adequate accessibility to food? They are unable to take two meals a day. People who cannot afford to take two meals a day are below the poverty line. So, when 39 per cent of the people are below the poverty line, whatever that is deprived to this section of the people is what we are claiming as surplus food. So, this is what we are claiming as buffer-stock. Instead of calling it as a surplus stock, we can very conveniently call it as the deprivation stock of foodgrains. It is the starvation stock of the foodgrains. So, whatever we above the poverty line, if they have got accessibility to food, I think today there is no surplus in the food production. So, we have to march still a long way to really achieve the surplus food production in the country. When this is the scenario, what exactly are the characteristics of the agricultural production in the country? It is still the low productivity. the main reason. The low productivity has got several reasons - right from the seed, right from the soil nutrients, right from the insecticides, fertilizers, the credit which are required for the crop growth, proper technologies which are required for the farmer during the crop growth and also after harvest, the facilities that are provided during the post-harvest technology as also for storage of foodgrains for a proper distribution of foodgrains, the equitable distribution and the special distribution of foodgrains throughout the country. So, when this is the situation, as far as the investment in agriculture is concerned, the public investment has gradually come down right from the First Plan Period to the Ninth Plan Period. During the First Plan Period, agriculture along with its allied subjects has been allotted from the Plan Funds to the extent of 34.5 per cent of the country"s fund.

">Gradually, by the Eighth Plan period, it has come down to 18.5 per cent. During the Ninth Plan period, it has still come down. Around 11 per cent or so is going to the agriculture sector. If you can just analyse, all private investment in agriculture should be preceded by public investment. If public investment is trippled, there will no scope for any private investment also in agriculture sector. This is rather very agonising to say that if at all there is any sector that has been neglected in the country, it is only the agriculture sector. My friend has just now mentioned that 0.7 per cent is being invested in agricultural research and education. I think, it is still more. Last year, it was only 0.54 per cent. When 0.54 per cent of the agricultural scientists in the country and what kind of agricultural technologies can be generated. ... (Interruptions)

">We must be proud in this country that we have got the biggest and competent contingent of the agricultural scientists. The best type of technologies have been generated. We are the donors. India is a 54 countries as far as agricultural technology is concerned. We are second to none in the world as far as agricultural scientists are concerned. But the encouragement that is being given to agricultural research and education is really very meagre. Very often, we have been mentioning that there should be tremendous improvement in funds that are being allocated for agricultural research and education. Unless some autonomy is given to agricultural scientists, agricultural technology cannot be generated to the extent required. Today, even the agricultural technology that is being generated is not location-specific. A strain that has been released in Punjab might be suitable only for a particular district. Its productivity can be sustained only in a particular pocket. In the next district, its performance will be very low.
Nowadays, the agricultural technologies have also been highly location specific. As the research used to be multiplied, the locations are also to be increased. Otherwise, the same strain will not hold good throughout the country or throughout the State. As far as this is concerned, there is very little encouragement for the agricultural scientists. I know very well the intricacies and the inner aspects of the Indian agricultural research and education. There is very nominal encouragement for agricultural research. I will take this opportunity to point out one aspect. Now, 52 years have passed since India achieved her Independence. There are very competent agricultural scientists in this country. Show me an instance where the National Award like `Bharat Ratna" has been given even to one agricultural scientist. There is none. Dr. M.S. Swaminathan is a renowned scientist all over the world. The entire country is looking at him for food security.

Can he not be considered for the highest national award? Is it not an incentive to the entire agricultural scientist community in this country, if one person is rewarded with this award? So, somehow a stepmotherly attitude is there towards agriculture in this country. That is where we are really sorry to point out that there is a lot to be improved as far as this is concerned.

Sir, as regards fertilizers, though India is one of the biggest countries where 70 per cent of the population depends on agriculture, the per capita, per hectare application of fertilizer is almost the lowest in this country. When compared to Japan, we are applying only one-third of the total nutrient value. The NPK which we are applying is hardly one-third. Even if you correlate the productivity with the nutrient application, we are just one-fourth with regard to productivity level when compared to Japan. The more you apply, the more will be the productivity and the per hectare yield in the country, but we are not doing so.

Even in the recent past we have been hearing whatever the nominal subsidy of Rs.8,000 crore that is being provided to the fertilizer -- I do not know whether it is a fact or not the hon. Minister will clarify later -even that is likely to be withdrawn. If it is so, then it is going to be quite disastrous.

Now, the net area sown is not going to be increased in this country. There are several limitations. The only solution for this country is to increase the productivity, the per hectare yield which requires good seed, good fertilizer, the highest nutrient value as far as fertilizer is concerned... (Interruptions)

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Pesticides also.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : I am coming to that. The pesticides are really in a very bad shape. These are some of the areas where we have to improve.

As far as pesticides are concerned, as the senior Member Shri Bangarappa has pointed out, it is one of the worst areas as far as Indian agriculture is concerned. The spurious pesticides are coming into the market. Though, several cases have been booked, not one trader has been punished for that. There are several lacunae in the Pesticides Act of 1968. That is why, the Chief Minister of Andhra Pradesh has written several times to the Central Government that amendments have to be brought in in this Pesticides Act. In fact, we have been requesting the hon. Minister of Agriculture to bring suitable amendment in this regard.

MR. CHAIRMAN : Please wind up now.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, I am the only person who will be speaking on behalf of the TDP on this issue, which is the fourth largest contingent as far as this Lok Sabha is concerned. Let me a take few more minutes. My friend, who spoke just now, had mentioned that he was a Post-Graduate in Agriculture. Sir, I would like to inform the House that I have done Ph.D.. in Agriculture having served for 26 years in this field.

MR.CHAIRMAN: You have made very valid points.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, this Pesticides Act is to be amended.

In the Act, there are several lacunae. We are not able to punish even one trader, though we catch hold of them normally. That is why, it has to be examined thoroughly. Amendments have to be brought. If any adulteration is there in the agricultural products, they should be treated as economic offenders because the result of adulteration is realised by the farmers only at the end of the crop season.

The poor farmer will not be in a position to know whether he is purchasing the adulterated seed or the adulterated fertiliser or the adulterated pesticide. Its benefits are otherwise realised at the end of the crop season after investing all his fortunes. That is the reason why, many farmers are preferring suicide in view of the crop failure and also in view of the mounting debts.

The other field is credit, which is really alarming. What is the institutional credit arrangement that is being given to the agricultural farming community? Now, if you take the total requirement of the agricultural credit to the farmers, 92 per cent of the farmers, who are doing the agriculture, is depending only on credit and only 8 per cent of the farmers is pursuing agriculture with their own investment. So, 92 per cent of the farmers is depending on agricultural credit. About 38 to 39 per cent of the credit requirements is being provided by the institutional agencies and the remaining 61 to 62 per cent of the credit requirements is being provided by other agencies with usurious rate of interest. We are not out of this peculiar situation.

Sir, you are quite aware about the RBI guidelines. The nationalisation of banks took place in 1969 for the first time. That is, the State Bank of India and its branches had been nationalised in 1969. Twenty banks were nationalised in 1969. Another six banks had been nationalised in 1980. After the nationalisation, the guidelines that had been given by the RBI were that the minimum 18 per cent of the net credit funds should go to the agricultural sector. Now, the situation is that only 11 per cent of the funds from all the nationalised banks and the cooperative sector goes to agriculture. Who is questioning it? The RBI had given the guidelines. The Reserve Bank of India is not punishing any nationalised bank. It has not pointed out to any nationalised bank as to why they are not able to meet the stipulations laid down by the Reserve Bank of India; nor any Government agency is pursuing it. I would like to know whether any Government agency is taking a review of the nationalised banks and also whether the credit requirement is being flown into the agricultural sector. It is not so. This is the reason why the farming community is now starving for investment. That is the reason why there is a low productivity in all the crops. This is the major reason.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Sir, I will take another five to six minutes. I will just touch a few more points and then conclude.

Sir, I will just deal with the National Agricultural Policy and the Credit Insurance together. Fortunately or unfortunately, this country became Independent in 1947. Immediately in the next year, 1948, there was a National Industrial Policy. The National Industrial Policy was formulated in 1948. Now we are in 1999. After 52 years of our Independence, the country is still waiting for the National Agricultural Policy, where certain securities would be provided to the agricultural sector. It has not yet come up. There were recommendations of Bhanu Pratap Committee and C.H. Hanumanth Rao Committee. They recommended to treat agriculture at par with industry. None of these recommendations has been examined and no action has been taken.

Now, I have been hearing that the hon. Minister, Shri Nitish Kumar is very serious in bringing the National Agricultural Policy. It should come. While bringing this National Agricultural Policy, I may make a mention at this juncture that there should be adequate protection for the farmers. When the industry becomes sick, it will be referred to the BIFR. When the industry becomes sick, all its loans that have been raised will be waived. That provision should also be there as far as the agricultural sector and the farmers are concerned.

Similarly, agricultural insurance. This is a long-felt need that a village should be treated as a unit while computing the losses in agriculture and crop insurance should be extended to all the crops, to all the regions. At the minimum, the village should be treated as a unit. A comprehensive crop insurance scheme has to be brought forth.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. There are a large number of speakers. We will have to conclude it today.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : As regards agricultural prices, my friend has mentioned something about computing agricultural prices. Who are the Members in the Commission on Agricultural Costs and Prices? How many representatives from the farmers are there? How many regions are being represented? Agriculture is not unique in this vast country. There are several disparities from one region to the other region, from one State to the other State, from one crop to the other crop. How many farmers are represented on this Agricultural Prices Commission? I suggest, let there be a regional Prices Commission so that the prices will not be uniform throughout the country. The prices that are spelt out for Punjab may not hold good for Tamil Nadu or Kerala or Andhra Pradesh. Let there be a regional Prices Commission so that the interests of the farming community and the crops can be taken up.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): How many farmers" representatives are there on this Commission?

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): I have asked that question. I havejust now mentioned about it.

Mr. Chairman: He has already referred to that.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): How many Members are there? That is why, the number of farmers" representatives on the Agricultural Costs and Prices Commission should be increased. The regional representation should be there. Otherwise, the real picture will not get reflected in the computation of the costs. While computing the costs, even the risk the managerial costs are to be taken. Otherwise, the agricultural prices will not get reflected.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : I am concluding. This is the last point. Sir, regarding the transfer of technology and extension services, at the highest level, the scientists are generating the technologies. Who is the actual contact person to hand over this technology to the farmer? It is an assistant or somebody who will be transmitting this total technology to the farmer. By the time it is handed over to the farmer, do you know what would be the amount of transmission losses of technology from the scientists to the farmers? It is as much as 65 per cent to 70 per cent.

MR. CHAIRMAN: Prof. Ummareddy Venkateswarlu, please take your seat. There are a large number of speakers. We will have to conclude today.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : Lastly, as far as Andhra Pradesh is concerned, there are two issues.

MR. CHAIRMAN: Please give this in writing to the Minister. You pass on this point to the Minister.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : I will just mention it in a minute. Last year, as far as paddy is concerned, 1001-Grain was classified as the fine variety. Now, for reasons not known, it is being converted as a common variety and the farmers are on hartal. That has to be looked into.

The Government of India has encouraged palm plantation. All the farmers in the coastal area, not only in Andhra Pradesh but also in Tamil Nadu and Karnataka have taken up this palm plantation. Now, you have been giving concession for all the imported palmolein oil because of that these farmers are now finished. Palm farming communities are on the verge of destruction.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): I would like to tell this for your information. All kinds of edible oils, from groundnut to palmolein, etc, are going to be uproot this farming community.

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please conclude.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : My last point is that even sugar import is also taking place. Sir, with this, I am thankful to you for giving me a few more minutes to speak. Thank you. (ends)

MR. CHAIRMAN: You have made very valid points.

MR. CHAIRMAN : I request the hon. Members to be brief because we have to finish the discussion today including the Minister"s reply.

">

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ) : सभापति महोदय, आज कृषि पर चर्चा हो रही है, कृषि के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की। पावर, इरीगेशन कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहां हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं लेकिन जल एवं बिजली से संबंधित मंत्री या किसानों के प्रतिनिधि सदन में मौजूद नहीं हैं, यह अच्छी बात नहीं है। कृषि किसानों का विशेष मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार बहुत तादाद में होती है लेकिन वहां के किसानों की हालत ठीक नहीं है। चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा हो, सब जगह यही हाल है। हमें देश के बारे में चिन्ता करने की, सोचने की जरूरत है।

">

">महोदय, मेरे सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि ७०-७५ फीसदी किसान गांवों में रहते हैं और वहां खेती करते हैं, लेकिन जब किसानों का कोई मसला आता है तो मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ ठीक से ध्यान दिया जाता हो। किसान की नीति तय करने वाले और प्रेस के भाई कुछ कम हैं, जिसके कारण आज भी किसान की हालत इस प्रकार की है। किसान की फसल का रेट और किसान की नीति तय करने का जो कार्य है, जो उसे तय करते हैं मैं नहीं समझता कि वे किसान के दर्द को समझते हों। अगर किसान के दर्द को समझने वाले, उनका रेट तय करते समय वे लोग बैठें तो मैं नहीं समझता कि किसान की ऐसी हालत रहे। किसान की हालत ऐसी हो गई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी।

">

">मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, वह अगर कृषि के मामले में विशेष रूचि लेकर किसानों के लिए कुछ करेंगे तो नीतीश जी, इस देश का किसान का जिक्र किया, आपको हमेशा याद रखेगा। समाधान नहीं हो जाता।

">

">अगर आप पार्टी और दलों से ऊपर उठकर किसान के हित की बात करेंगे तो उसका भला होगा। अगर उसको पानी और बिजली मिल जायेगी तो किसान का पेट भर सकता है। अगर सारे देश का पेट भरने वाला किसान भूखा है तो यहां सदन में बैठे लोगों के लिए यह एक शर्म की बात है।

">

">बीजेपी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है लेकिन वहां मिलें बंद पड़ी हैं। मेरे क्षेत्र मेरठ में भी यही हाल है। यह वह क्षेत्र है जहां महाभारत के हस्तिनापुर का इतिहास रचा गया। उत्तर प्रदेश का किसान आज दुखी और परेशान है लेकिन वहां के किसान ने आत्महत्या नहीं की है। मेरे क्षेत्र का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। वहां मलियाना मिल बंद पड़ी है, चालू नहीं हुई है। डी.सी.एम. ग्रुप की एक मिल वहां मौजूद है और दूसरी दो-तीन वर्षों से कागजों में चल रही है। अगर वह मिल चली होती तो किसान उस मिल पर अपने गन्ने को ले जाता, लेकिन आज उसे भटकना पड रहा है।

">

">मैं सदन और मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बी.जे.पी. की सरकार है। उनके होते हुए किसान के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। या तो डी.सी.एम. की मिल को चलाया जाये या उसके लिए कोई टाइम निर्धारित कर दिया जाए या सरकार उसको अपने हाथ में लेकर चलाए या फिर किसी एजेंसी को इन मिलों को चलाने के लिए कहा जाये। किसान की अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण सरकार को करना चाहिए।

">

">मैंने जन्म हरियाणा में लिया है। आज हरियाणा में गन्ने का दाम कुछ है और उत्तर प्रदेश में कुछ और ही है। मेरा क्षेत्र मेरठ हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के किसान को १०० रुपया दाम मिलता है तो वहां से पांच किलोमीटर दूर ७५ रुपया मिलता है, यह मेरे क्षेत्र के किसान के साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है।

">

">मैं सदन के सामने एक-दो चीजें और रखना चाहूंगा तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए सदन के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। किसानों के लिए नीति तय करते समय और उनकी समस्याओं को हल करते समय दलों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। किसान को जब गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि गन्ने की पेमेंट मिलने के बाद ही वह अपने बच्चे की फीस जमा करता है।

">

">किसान उस समय अपनी बेटी के हाथ पीले करता है जब उसे गन्ने से पैसा मिलता है। न्यायालय ने फैसला दिया था कि १५ दिन के बाद भी अगर किसान का बैंक या मिलों में पैसा रहता है तो उसे १४ परसैंट इंटरस्ट के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। बरसों का करोड़ों करोड़ रुपया किसान का वहां पड़ा है। उत्तर प्रदेश में किसान के साथ इतना जुल्म होता है कि अगर बिजली के बिल के पांच हजार रुपए बकाया हैं तो किसान का ट्रैक्टर और भैंस ले ली जाती है। बड़े-बड़े उद्योगों का कई लाख रुपया बकाया रहता है लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है?

">

">मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं से वाकिफ हूं। सरकार ने किसानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अगर चीनी मिलों को नहीं चलाया गया तो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आत्महत्या करने वाले नहीं हैं। वे इतने बहादुर हैं कि वे सरकार के खिलाफ एक नया आन्दोलन शुरु कर किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, वे चालू की जानी चाहिए और जो कागजों में लिखी हैं, उनका भी आप पता करा लें।

">

">

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, सदन में किसानों की समस्याओं के बारे मे चर्चा चल रही है। किसानों की समस्याएं अकेले कृषि मंत्रालय से जुड़ी नहीं हैं। वह कई अन्य मंत्रालयों से भी सम्बद्ध हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। किसानों की समस्याओं के बारे में मुझ से पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए माननीय कृषि मंत्री जी से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगी। कृषि नीति में बहुत कुछ सुधार लाने की जरूरत है।

">

यदि किसानो की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुये कृषि नीति में सुधार लायें तो मैं यह समझती हूं कि किसानों को काफी राहत मिल सकती है। किसानों की कोई लम्बी-चौड़ी समस्यायें नहीं हैं। उनकी मुख्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। इनमें किसानों को समय पर बिजली मिलनी चाहिये, खाद तथा पानी समय पर मिलना चाहिये और सभी चीजें उचित कीमत पर मिलनी चाहियें। जब मैं १९९५ में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, मुझे इस बात का अहसास है कि बिजली और पानी की समस्या को लेकर वहां के किसान मुझसे मिले थे। मैंने उस समय महसूस किया था कि जब तक सरकार उनकी समस्याओं के निदान के लिये दिलचस्पी नहीं लेगी और अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही नहीं करेगी तो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार से किसानों की बिजली की समस्या का निदान करने के लिये राज्य सरकार को डायरेक्शन्स जानी चाहिये कि किसानों को दिन में कम से कम २ घंटे बिजली जरूर मिलनी चाहिये ताकि वे समय पर अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। मैं यह चाहूंगी कि किसानों के लिये कोई समय तो फिक्स कर देना चाहिये। जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उस समय किसानों को बिजली देने के लिये समय फिक्स कर दिया था कि इतना समय बिजली रहेगी। जब तक केन्द्र इसमें दखल नहीं देगा, राज्य सरकारें इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगी। इस हेतु माननीय कृषि

मंत्री जी को बिजली मंत्री से बात करके राज्य सरकारों को यह डायरेक्शन्स दिलवायें कि रोज़ाना किसानों को दो घंटे बिजली मिलनी चाहिये वरना बिजली से जुड़े हुये उनके दूसरे काम वे नहीं निपटा सकते हैं। ... (व्यवधान).. आप ८ घंटे की बात तो छोड़िये, किसानों को दो घंटे भी बिजली मिल जाये, वहीं अच्छा होगा। मैं तो यह भी चाहूंगी कि किसानों को २४ घंटे बिजली मिले। हमारी पार्टी केवल कागज़ों पर नहीं चाहती, वह तो प्रैक्टिकल रूप से चाहती है कि किसानों को २-३ घंटे तो बिजली दे। मैं समझती हूं कि उससे भी किसानों का काम चल सकता है। यदि दो घंटे भी रेगूलर बिजली दे दी जाये तो ठीक रहेगा लेकिन होता क्या है? एक ऐरिया में बिजली रहती है तो दूसरे इलाके में नहीं रहती है। इसलिये मैं तो यह चाहती हूं कि किसानों को २४ घंटे बिजली मिले।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह ठीक रहेगा क्योंकि इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

कुमारी मायावती : इसके साथ साथ किसानों के लिये बीज की समस्या है। मैं इस बात से सहमत हूं। मेरे एक साथी सदस्य इस पर अपने विचार रख रहे थे। यह जरूरी नहीं कि किसानों को जो बीज हम उपलब्ध कराते हैं, वह उसकी जमीन के अनुकूल हो क्योंकि किसी प्रदेश की जमीन एक प्रकार की होती है जबकि किसी दूसरे प्रदेश की जमीन और प्रकार की होती है।

हमें बीज भी उसी हिसाब से सरकार की ओर से उनको उपलब्ध कराने चाहिए। खास तौर से किसानों को सरकार की ओर से जो ऋण देने की व्यवस्था है, वह काफी दोषपूर्ण साबित हो रही है और आज यह स्थिति आ गई है कि किसान सरकार से ऋण लेते हुए घबराता है क्योंकि वह ऋण लेने के लिए जाता है तो जितना ऋण वह लेना चाहता है, मान लीजिए उसे १०००० की ज़रूरत है तो उसमें से ५००० रुपये बीच में जो दलाल होते हैं, वे खा जाते हैं। १०००० रुपया खेती पर लगाना है, ५००० दलाल खा गए तो ५००० में वह क्या करेगा। वह अपने घर पर लगा देगा और कर्जदार बन जाएगा। इस तरीके से किसानों की जो समस्याएं हैं, हमें नयी कृषि नीति बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसी प्रकार डीज़ल का मामला है। जैसे ही नयी सरकार का गठन होने वाला था, डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गईं। लेकिन जब डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जा रही थीं और माननीय मंत्री ने कहा कि हम देश की आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए डीज़ल की कीमत को बढ़ा रहे हैं तो ऐसे समय में जो कृषि मंत्री हैं, उनको भी सजग रहना चाहिए कि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका सीधा प्रभाव उपभोक्ताओं पर तो पड़ेगा, लेकिन किसानों पर भी पड़ेगा। उस समय कृषि मंत्री को भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। डीजल की कीमतें बढ़ने से सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ा। अब किसानों को डीज़ल महंगा होने के कारण हर चीज महंगी मिली लेकिन जब फसल खेतों से तैयार होकर जाती है तो उसके हिसाब से उसकी फसल का रेट उसको नहीं मिलता है। यह बड़े दुख की बात है। एक तरफ किसान दुखी होता है और दूसरी तरफ किसानों के खेत में जो मज़दूर काम करता है, जिसको हम खेत मज़दूर कहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। किसान की अपनी समस्याएं हैं। उनको जब अपनी फसल की बराबर कीमत नहीं मिलती है तो फिर जो उनके खेतों में मज़दूर लोग मज़दूरी करते हैं, उनको वह बराबर मज़दूरी नहीं दे पाते हैं।

चकबंदी के बारे में भी मुझे कहना है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी नियम तो बना हुआ है लेकिन उसको बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। साल भर में दो तीन महीने चकबंदी हो गई, बाकी समय में काम अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला है तो वहां पर गन्ना काफी पैदा होता है लेकिन जो चीनी मिलें हैं, जब किसान गन्ने को तैयार करेगा, चीनी मिलों के पास ले जाता है तो उनकी फसल का उनको बराबर रेट नहीं मिलता है और इतना ही नहीं कि वह अपना गन्ना तो दे देता है लेकिन उनको समय पर पैसा नहीं मिलता और उनकी फसल का बराबर मूल्य नहीं मिलता है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का किसान है, वह काफी दुखी है। चीनी मिलों की हालत काफी खराब है और नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक एक करके चीनी मिलों को बेचती जा रही है। जब एक एक करके चीनी मिलें बिकती जाएंगी तो जो लोग काम कर रहे हैं, वे कहां जाएंगे। एक तरफ वह बेरोज़गार होंगे और दूसरा जो बड़े पैमाने पर उतेतर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है, किसान उस गन्ने को लेकर कहां जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के मामले में आप दखल दें और यह जो चीनी मिलें बेची जा रही हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए नहीं तो गन्ना उत्पादकों को बहुत दिक्कत होगी।

अंत में ज्यादा समय न लेते हुए मेरा पुनः कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि इस समय जब कृषि नीति बनी हुई है तो उसमें काफी सुधार की ज़रूरत है। उसकी तरफ आप ध्यान दें और किसानों की जो ज़रूरी चीजें हैं, जो उनकी समस्याओं का समाधान करने में जरूरी स्टेप्स आपको लेने हैं वह लें। मैंने तो कुछ ही घंटे की बात की है किसानों को बिजली देने की। यदि आप २४ घंटे बिजली दे दें तो किसानों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

">2000 hrs.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, नियम १९३ के अधीन आज किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है। किसान और कृषि की आज क्या स्थिति है, यह हमारे सामने और सदन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिहन है। हम आज २१वीं सदी की ओर जा रहे हैं। हमें आजादी हासिल किए हुए पचास साल हो गये हैं। दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश है। देश में देहात और ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर खास तौर से किसान और काश्तकार रहते हैं। देहातों में रहने वाले काश्तकार ७० से ८० प्रतिशत लोग हैं। इन किसानों की आज क्या स्थिति है। आज उनकी स्थिति समाधानकारक नहीं है,

">

">२००१ बजे (डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

">

">बेहतर नहीं है, यह सदन को भी मानना पड़ेगा। हमने कैसी कृषि नीति अपनाई है कि पिछले ५० सालों से किसान और काश्तकार गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। हमने कैसी कृषि नीति अपनाई है कि जो छोटे किसान और काश्तकार हैं वे दिन-प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देहातों में रहने वाला छोटा किसान अपने बेटी के हाथ भी पीले नहीं कर सकता है। अपने घर में बहू भी नहीं ला सकता है। हमने पचास साल में कौन सी कृषि नीति अपनाई है जिसके कारण किसान की यह हालत हो गई है।

">

">सभापति महोदय,हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन हमारे देश को कृषि प्रधान किसने बनाया, हमारे देश को कृषि प्रधान किसानों ने बनाया। हम अनाज के मामले में इस दुनिया में स्वयंपूर्ण हो गये। अनाज के मामले में देश को स्वयंपूर्ण बनाने वाला किसान क्या आज स्वयंपूर्ण है, यह प्रश्नचिहन आज सदन के सामने है। पिछले पचास सालों में कृषि नीति ने किसानों को क्या दिया है। हम किसानो को तीन वक्त की रोटी भी नहीं दे सके हैं। जो कॉटन पैदा करने वाला किसान है, कपास का उत्पादन करने वाला किसान है, उसके बदन को कपड़ा भी नहीं दे सके हैं, न शिक्षा दे सके हैं, न मकान दे सके हैं, न आरोग्य दे सके हैं और न मान-सम्मान ही दे सके हैं। यह कौन सी हमारी कृषि नीति है। माननीय कृषि मंत्री जी की कृषि नीति ने पचास साल में तरक्की की है, लेकिन मैं दावे का साथ कहता हूं और यह एक कड़वी सचाई है कि इस देश का किसान नंगा और भूखा रह गया। न हम उसे रोटी दे सके, न कपड़ा दे सके, न मकान दे सके, न शिक्षा दे सके और न ही आरोग्य दे सके।

">

">सभापति महोदय, आज किसान आत्महत्या की राह पर चल रहा है। क्यों जा रहा है? महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश और पंजाब आदि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां किसान आत्महत्या करने पर विवश न हो रहा हो। क्या यही हमारी कृषि नीति का फल है। हमारे कृषि मंत्री भविष्य में क्या करने वाले हैं और इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए वे क्या करने वाले हैं, इस बारे में भी वे अपने जवाब में बताएं। हमारे महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कपास महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। महाराष्ट्र में गन्ने का भी उत्पादन होता है। अंगूर और प्याज का भी उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, लेकिन जो कपास का उत्पादन करने वाले किसान हैं वे आत्महत्या करने पर विवश हो गए हैं।

">

">2006 hrs. (

">उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

">

">हमारी कृषि नीति इन आत्महत्याओं को कैसे रोकने वाली है, इस पर भी विचार करना होगा। मैं कृषि मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बहुत जरूरत है। व्यापार के नियम कृषि पर भी लागू करने होंगे। हमारे दादा, परदादा कहते थे कि 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, कनिष्ठ चाकरी' लेकिन महोदय आज स्थिति यह हो गई है कि नौकरी सर्वोत्तम और मध्यम व्यापार तथा निकृष्ट खेती हो गई है। इसलिए यदि सबसे उत्तम खेती करनी हो, तो खेती को उद्योग का दर्जा देना होगा। उद्योगपतियों को जो सुविधाएं देते हैं, वही सुविधाएं किसानों को देनी होंगी।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : सुरेश जी, अब आप समाप्त करिए।

">

">श्री सुरेश रामराव जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने सुझाव देने प्रारंभ किए हैं। किसान की जो सबसे बड़ी जरूरत है वह आर्थिक सहायता मिलने की है। आर्थिक सहायता उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और वह उचित और कारगर ढंग से मिलना चाहिए। जो स्थिति आज है, वह कारगर नहीं है। अर्थ सहायता और कारगर ढंग से होनी जरूरी है।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, इर्रीगेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। विद्युत सप्लाई कारगर ढंग से करने की जरूरत है। नई तकनीक, अच्छे बीज, केमीकल, रासायनिक खाद उचित दामों पर देनी होंगी। स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज की सुविधा करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा किसान का है प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर फसल की कीमत मिलनी चाहिए। फसल को ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा मिलनी चाहिए और सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है।

">

">जब किसानों की लैंड एक्वायर की जाती है तो लैंड एक्वीजिशन के बारे में भी किसान को मार्केट मूल्य देना उचित होगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह जहां सुखाड़ है वहां पानी की व्यवस्था करनी होगी तथा जहां बाढ़ है वहां उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। भू सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। कृषि नीति कृषकों के हित में होनी चाहिए। खेती पूरक जो उद्योग हैं चाहे दुग्ध व्यवसाय हो, कुकुट पालन हो या जो भी छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना होगा।

">

">इसी तरह जो कृषि के विद्यापीठ हैं, उनको मजबूत करना होगा। जो रिसर्च सैंटर हैं, उनको सरकार ने निधि देना बंद कर दिया है। मेरा कहना है कि उसको बढ़ाकर देने की जरूरत है। खाद की सबसिडी किसानों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए। नैसर्गिक खेती के लिए बढ़ावा देना जरूरी है। इसी तरह नकली चीजों की जो सप्लाई की जाती है चाहे खाद हो या बीज हो, उसको रोकना जरूरी है। फसल बीमा की भी जरूरत है। आखिर में किसानों का मान-सम्मान और उनको आत्मबल को भी बढ़ाने की जरूरत है। जब तक इस देश का किसान सुखी नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the hon. Speaker has just mentioned to me that as there are a large number of speakers to participate in this debate, I should give not more than 10 minutes to each speaker. After 8 minutes of every speech, the caution bell will be rung. So, kindly stick to 10 minutes each.

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Sir, I am delivering my maiden speech. I am very much thankful and grateful to you, to the respected leader Dr. Kalaignar and the people of my Sriperumbudur constituency for giving me an opportunity to speak in this House.

">Even though our country is based on agriculture, our farmers are not well off after fifty years of Independence. The main problem of our farmers is that they do not have a regular income. Most of the landless farmers are shifting from the villages to the towns because they do not get employment in the villages. They are migrating to the towns. Some of the farmers stay in the villages without any employment. The small farmers who are employed in the villages do not get sufficient wages from the landlords. So, they are not able to plan their family life properly. For this reason, nobody is interested in the agricultural profession and in this situation, the landlords face difficulties in finding agricultural workers. Due to lack of agricultural labourers in our country, cultivation is coming down. It is one of the reasons why productivity of food grains has decreased this year compared to the previous years.

">The vagaries of nature continue to play havoc with the life of farmers; and, whenever crops have been bountiful due to shortage of storage and food processing facilities, they have faced a slump in agricultural prices. In terms of supply shortfalls, it is not they but the middlemen who have been active in making huge profits. To avoid profits being made by the middlemen, our respectable leader and Chief Minister of Tamil Nadu has introduced a new scheme called `Uzhavar Chandhai", a farmers" market scheme.

">Through this scheme, the farmers can sell their produce directly, without the help of middlemen and obtain more profits. It is appreciated by all the farmers in Tamil Nadu. I request this Government to establish this scheme all over the country.

">The hon. Member who spoke before me, Shri Kaliappan, said that when farmers sustain snake bites, the Central and the State Governments do not give any relief to them but in our State, our Tamil Nadu Government led by Dr. Kalaignar Karunanidhi gives Rs.15,000 when a farmer dies of snake bite.

">Yet another problem faced by the farmer is the lack of adequate credit facility. The Government has to increase the credit facilities and extend easy way credit facilities at low percentages of interest. Credit card facilities should also be extended.

">For higher productivity, a greater use of fertilizer is also important. Fertilizer consumption has gradually increased over the Eighth Plan period because of the subsidy provided by the Government and low prices.

">As such, the Government has to take steps to eradicate the unemployment problem of the farmers and part-time employment opportunities should be introduced in villages.

">The Government has to give security to their lives. Due to natural calamity, sometimes, they are facing heavy damages and losses to their crops. To compensate them for their losses, the crop insurance scheme should be established properly.

">I feel that irrigation facilities should be increased. The Ganga-Cauvery rivers linking scheme will be a permanent solution to the problems of the farmers. In Tamil Nadu, the State Government desilted all the rivers and lakes during the years 1996-97 and 1997-98, to help farmers. In Tamil Nadu, we supply free electricity to farmers and this is in existence now to help irrigation.

">Lastly, farmers in most of the areas look dull and aimless with mental agony due to unemployment and lack of income. To encourage them and to bring them to happy mood, the Government should implement a scheme in villages, to open recreation centres and other facilities which are available in towns. This will bring happiness to them. If this is done, the farmers will not migrate to the towns and they will concentrate on agriculture.

">I only expect that this Government will successfully solve the problems of the farmers and wipe out their tears. Thank you.

">(ends)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.C. Thomas Not present

">Shri Anil Basu Not present
Shri Kishan Singh Sangwan Not present

Shri Ramchander Bainda Not present

Shri Bir Singh Mahato Not present

Shri Ramesh Chennithala Not present

Now, Shri Sukdeo Paswan.

">

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन आज किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है। कृषि को राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में गौरवपूर्ण स्थान मिला है। आज हमारे देश में लगभग ७० प्रतिशत श्रमिकों की जीविका का उपार्जन कृषि से होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि की लगभग ३५ प्रतिशत भागीदारी है। उद्योगों में भी जो कच्चा माल खपत होता है, वह भी कृषि से प्राप्त होता है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए करीब ५२ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन किसानों की समस्या आजादी के बाद भी ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। फसल बीमा योजना १९९० में सारे देश में लागू करने का प्रस्ताव था, जिसमें सुझाव था कि किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की दर को कम करना और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा ५० प्रतिशत प्रीमियम दिया जाना। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू नहीं हो पाई है। हमारा देश कृषि पर निर्भर है, इसके बावजूद भी किसानों की समस्याओं पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों को हर तरह से हानि पहुंचाई जा रही है। जहां तक किसानों को दिए जाने वाले उर्वरक का प्रश्न है, बड़े-बड़े उद्योगपति जो उर्वरक पैदा करते हैं, वे मिलावट करते हैं। किसानों को शुद्ध रूप से जो खाद उपलब्ध होनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं होती है। किसानों के साथ अन्याय होता है, लेकिन इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। देश में अधिकांश जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, उनके द्वारा खाद में मिलावट होती है।

">

">बीज में मिलावट होती है। जिस तरह खाद, बीज या कीटनाशक दवाइयों में मिलावट होती है उसके लिए देश में कितने व्यापारियों पर मुकदमें चलाए गए। हम चाहेंगे कि जब मंत्री जी जवाब दें तो निश्चित रूप से इसका भी जवाब दें।

">

">महोदय, पूरे देश में ९० राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। देश में १३ राज्यों में बीज निगम और १९ बीज प्रमाणीकरण एजेंसियां हैं और ८८ राज्य बीज निगम परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इतने रहने के बावजूद भी किसानों को अच्छा बीज नहीं मिल पाता है। हम लोग निश्चित रूप से किसानों के प्रति कोई ठोस या ऐसी योजना बनाएं, जिससे किसान को अच्छे ढंग से बीज और खाद मिले तथा कीटनाशक दवाइयों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, ऐसी व्यवस्था हमारे कृषि मंत्री जी निश्चित रूप से करें।

">

">महोदय, बैंकों के द्वारा छोटे एवं सीमांत किसानों के ऋण माफ किए जाने के विषय में १९८९ में, जब जनता दल की संयुक्त रूप से सरकार बनी तो उस समय के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों के ऊपर जो ऋण है वह दस हजार तक निश्चित रूप से माफ किया जाएगा लेकिन किसानों का बोझ दिन-प्रति-दिन बढ़ता चला जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों का ऋण आज तक माफ नहीं हुआ है। देश में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को सैंकड़ों-करोड़ों रुपए माफ किए जाते हैं लेकिन जो छोटे, सीमांत किसान ५००, १००० या २००० का ऋण अदा नहीं कर पाते तो उसके मवेशी की, सम्पत्ति की कुड़की हो जाती है। इस आजाद देश में कैसी व्यवस्था है, एक तरफ उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ किए जाते हैं और जो छोटे-छोटे सीमांत किसान हैं उनके सरकार १०००, २००० रुपए भी माफ नहीं करती है।

">

">महोदय, हिन्दुस्तान में प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में बाढ़ आती है और बाढ़ से मुख्य रूप से किसानों की तबाही होती है। अभी उड़ीसा में बाढ़ आई, उसमें अधिकांश क्षति वहां के किसानों को पहुंची है लेकिन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को इस पर निश्चित रूप से जितनी किसानों के प्रति व्यवस्था करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। हम उत्तरी-बिहार के रहने वाले हैं, जो भारत-नेपाल सीमा पर है। नेपाल से जो भी नदियां निकलती हैं, ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो बर्सात के मौसम में बाढ़ नहीं लाती है और जब बाढ़ आती है तो वहां घर पानी में डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। किसान बैंक से ऋण लेकर फसल लगाते हैं और वह फसल बाढ़ में डूब जाती है, मवेशी मर जाते हैं। बैंकों से जो उन्होंने ऋण लिया होता है उसका उन्हें जो फायदा होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। उन पर वारंट जारी हो जाता है। वह बुरी

हालत में फंस जाता है। उसे अपनी सम्पत्ति बेच कर ऋण चुकाना पड़ता है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह उस समस्या का समाधान कर सके। बड़े-बड़े शहरों में बिजली की व्यवस्था है लेकिन गांवों में इतने वर्षों बाद भी बिजली देने का काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।

">

">कृषि मंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वे किसान परिवार से आते हैं और आज किसान देख रहे हैं कि हमारे कृषि मंत्री जी उनको क्या फायदा पहुंचाते हैं। आप इस सरकार में ऐसी परम्परा स्थापित कर दीजिए कि आने वाले समय में लोग आपका नाम लेकर कहें कि केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री किसानों के बड़े शुभ चिंतक रहे हैं। आप इस तरह के कदम किसानों के लिए उठाइये जिससे निश्चित रूप से देश के किसानों को फायदा हो।

">

">हम लोगों के इलाके में जूट की खेती होती है। इसमें दूसरी फसलों के मुकाबले में बहुत मेहनत है। किसान को चार-पांच सौ रुपये पर उसको बेचना पड़ता है और उसकी लागत हजार-बारह सौ आती है। उसकी लागत भी उससे नहीं निकलती है। दो साल पहले जूट की खेती को छोड़कर उत्तरी बिहार के लोगों ने सूरजमुखी की खेती करनी शुरू की। उस समय सूरजमुखी का दाम १४००-१५०० रुपया प्रति क्विंटल था लेकिन बाद में वह ६००-७०० क्विंटल पर आ गया। इसलिए ऐसी व्यवस्था कायम की जाये कि आने वाले समय में कृषि जो हिंदुस्तान की रीढ़ है उस पर निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना पड़े और किसान भविष्य में अच्छी तरह से खेती कर सकें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकें।

">

">

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर किसानों के संबंध में अच्छी चर्चा हो रही है। अगर किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस देश की आबादी का ७५ प्रतिशत भाग आज भी गांवों में बसता है। हमारे किसानों ने सपरिवार अथक परिश्रम करके इस देश में अनाज के भंडारों को भर दिया है। देश को सब्जी, फल, गन्ना, शक्कर, गुड़ आदि के भंडारों से भर दिया है। आज हमें अमरीका से गेंहू मंगाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हम आज निर्यात कर रहे हैं। लेकिन आज किसान जहां पहले था वहीं खड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, 'नगर बसंते देवानाम, गांव बसंते भूतानाम'। उत्तर प्रदेश की यह कहावत आज भी चरितार्थ हो रही है। इस देश के किसानों के लिए मकान नहीं है, स्कूल नहीं है, दवा नहीं और गांव में अस्पताल नहीं है।

">

">उनको कृषि के साधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों के नाम पर राजनीति की है। उन्होंने किसानों के हित चिंतन में काम न करके यूरिया घोटाला कांड किया या चारा घोटाला कांड किया।

... (व्यवधान)
">

">कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आपकी सरकार ने तो डीजल के दाम भी बढ़ा दिए।

">... (व्यवधान)
">">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : व्यापारी नहीं लूट रहा है। आप लोग उसे लूट रहे हैं। यूरिया घोटाला कांड हुआ। चारा घोटाला कांड हुआ।

... (व्यवधान)
गांव का किसान आज भी जहां का तहां है। देश में एक लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री हुए। उन्होंने ठनय जवान जय किसान'' का नारा दिया। दूसरे प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। उन्होंने ठनय जवान, जय किसान और जय विज्ञान'' का नारा दिया।">

">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : डाक्टर लोहिया का नारा था मालिक हो मजदूर किसान।

">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : अटल जी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए क्रैडिट कार्ड योजना लागू की। बहुत दिनों से फसल बीमा योजना की चर्चा चल रही थी। माननीय वाजपेयी जी ने कृषि योजना का शुभारम्भ किया। वह अभी सब जगह लागू नहीं हुई है। कुछ निश्चित स्थानों पर लागू कर दी गई है। आने वाले समय में इसको और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने गांवों में सड़कें बनाने के लिए एक योजना दी। अभी हमारे साथी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के एक हजार आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है और हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोला जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान अपने बच्चों को पढ़ाए लेकिन वह पढ़ा नहीं पाता है। किसान जो पैदा करता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। उसको अपनी अपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। आज हर राज्य में अलग-अलग खेती का उत्पादन होता है। कहीं आलू, कहीं कपास, कहीं गन्ना, कहीं गेहूं, कहीं दलहन, कहीं सोयाबीन और कहीं मसालों का उत्पादन होता है लेकिन उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में आलू सबसे अधिक होता है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि वह आलू जिस ने तीन राज्यों में सरकारों का बदलाव इसलिए कर दिया था कि उस समय आलू ३०-४० रुपए किलो हो गया था। आज वही आलू दो रुपए किलो में भी नहीं बिक रहा है। पिछले साल आलू कोल्डस्टोरेज में भरा गया। उसके बोरे और कोल्डस्टोरेज की कीमत भी नहीं मिली।

">

">अभी बहनजी कह रही थीं कि हमने अपने शासनकाल में किसानों के लिए बहुत कुछ किया। कोल्डस्टोरेज के भाड़े के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके उसको हटा दिया था। इसका यह नतीजा हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के मालिक अधिक भाड़ा ले रहे हैं और किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं।

">

">कुंवर अखिलेश सिंह : उन्होंने आपके सहयोग से किया था।

">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : वह आपके सहयोग से भी हुआ था।

">... (व्यवधान)
">

">उपाध्यक्ष महोदय : आप उस तरफ क्यों देखते हैं? मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा। ऐसे में आपस में टकराव होगा।

">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : आज किसान भूखों मर रहा है। वाजपेयी जी ने निर्णय लिया कि २००२ तक सारे गांव में टेलीफोन लग जाएंगे। दूर संचार की व्यवस्था गांव में होगी तो उनको अपनी उपज की जानकारी समय-समय पर होगी। इससे उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा।

">

">उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों में धान का समर्थन मूल्य तय किया गया परन्तु समर्थन मूल्य पर धान नहीं बिक रहा है। इसी प्रकार गेहूं भी समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है। कुछ सदस्यों ने अच्छी मांग की और कहा कि समर्थन मूल्य किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बैठ कर तय किए जाने चाहिए। मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि समर्थन मूल्य जो तय हों, उसके ऊपर किसानों का माल बिक जाए। यह बहुत आवश्यक है, इसे भी आप नोट करेंगे। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

">

">किसानों की खेती के लिये सिंचाई या पानी या ट्यूबवैल की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। किसानों के लिये बिजली की आपूर्ति के समय तय किये जायें कि उनको अमुक समय से अमुक समय तक बिजली मिलेगी। भले ही वह ६ घंटे हो लेकिन २ घंटे से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम ६ घंटे और अधिक से अधिक १० घंटे बिजली मिलनी चाहिये।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को पम्पिंग सैट और ट्रैक्टर के लिये डीजल की आवश्यकता होती है हालांकि अन्तरराष्ट्रीय कारणों से डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, मेरी कृषि मंत्री जी प्रार्थना है कि किसानों को रियायती दरों पर उनके पम्पिंग सैट और ट्रैक्टर चलाने के लिये डीजल उपलब्ध कराया जाये ताकि बढ़ी हुई कीमतों से वे प्रभावित न हों। जिस प्रकार से राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू की गई है, उसी तरह किसानों को लिये और खेती का काम करने वाले मजदूरों के लिये भी कृषि बीमा योजना लागू की जाये। किसानों का जीवन पूरी तरह से कृषि पर आधारित है लेकिन मेरा आग्रह है कि किसान के पुत्रों को नौकरी दी जाये ताकि किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। नौकरियों में उन्हें वरीयता प्रदान की जाये। ६० साल से अधिक आयु के किसानों को पेंशन दी जाये। ग्रामों में पानी के निकास का प्रबंध किया जाये।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : आपने १० मिनट से ज्यादा ले लिये हैं।

">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिस्टर्ब करके मेरा समय ले लिया है, मुझे दो मिनट और दिये जाये।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : सब के लिये १० मिनट हैं, आपके लिये १२ मिनट नहीं हो सकते।

">

">श्री श्याम बिहारी मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि किसानों ने जो ऋण लिया है, वे एकमुश्त अदा नहीं कर सकते, इसलिए दो किश्तों में अदा करने की व्य वस्था होना चाहिये। ब्याज पर जो पैनल्टी है, उसे माफ किया जाये ताकि उनका घर या खेत नीलाम न हो सके।

">... (व्यवधान)
">.. मेरे दो पाइंट और हैं। मध्यम श्रेणी के किसानों को राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिये जिनका उत्पादन प्रति हैक्टेयर ज्यादा होता होता हो। मुझे आशा है कि माननीय कृषि मंत्री जी को जो सुझाव मैंने दिये हैं, वे उसे मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आज किसानों को अधिक उत्साह देने के लिये राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।">

">श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों की समस्याओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करा रहे हैं जिसका सीधा संबंध केवल कृषि मंत्रालय से नहीं है बल्कि बिजली और सिंचाई से भी है। यहां सदन में बिजली और सिंचाई मंत्री मौजूद नहीं है। उनको आकर इंटरवीन करना चाहिये। आप उनको खबर कर दें कि यहां आयें वरना चर्चा करवाने का कोई फायदा नहीं। इससे तो यह अच्छा हो कि चर्चा बंद करवा दें। भाषण देने से कुछ नहीं होगा। बिजली और सिंचाई मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

">

">कुंवर अखिलेश सिंह : श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने जो मामला उठाया है, वह गंभीर विषय है।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज सिट डाउन। मि. भान सिंह भौरा।

">

">

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में किसानों की समस्या पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। उनकी समस्यायें इतनी ज्यादा हैं कि दस मिनट में खत्म नहीं होने वाली हैं। किसानों की जो हालत है, उससे सब लोग वाकिफ हैं कि हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है जहां ७० परसेंट लोग खेती का काम करते हैं। यहां किसान खुदकुशी करने लग जाये, दुख की बात है। वह खुदकुशी क्यों करे, वह इसलिये करता है कि उसे किसी सरकार पर यकीन नहीं है, उसे किसी नीति पर यकीन नहीं है यानि उसका यकीन टूट चुका है। इसलिये वह घबराकर खुदकुशी कर रहा है।

">

">क्या इस बात पर सरकार सोचेगी कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। पंजाब सारे देश का अन्न भंडार है। ७० प्रतिशत गेहूं और ६० फीसदी चावल पंजाब हिन्दुस्तान को देता है मगर पंजाब में क्या हो रहा है? पानी का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, पेस्टिसाइड्ज़ का क्या हाल है? वहां गन्ने की बात की गई है। गन्ने का करोड़ों रुपया किसानों का मिलों की तरफ पड़ा है, वह आज तक नहीं मिला है। पंजाब की सरकार मिलें बंद कर रही है। पातडां की मिल कौड़ियों के भाव बेच दी गई, बुडलाढा की मिल मुख्य मंत्री अपने हलके में ले गए, जगरांव की मिल बंद होने वाली है। इसी तरह गेहूं का सवाल है। गेहूं हमारे गोदामों में सड़ रहा है मगर सरकार बाहर से मंग वाने की बात कर रही है। इसी तरह से चीनी हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है और सरकार बाहर से मंगाने की सोच रही है। यह किसानों को मारने का सबसे बड़ा तरीका है कि किसानों की जो फसल है, उसका मूल्य न दिया जाए। किसानों की पैडी का सवाल है। मंडियों में जाकर किसान दस-बीस दिन बैठा रहा मगर उनकी पैडी ४७० रुपये के बजाय ३०० रुपये प्रति क्विंटल के भाव खरीदकर व्यापारियों ने ४७० रुपये के भाव बेची। इसी तरह गेहूं का सवाल है। १०-२० दिन मंडी में बैठकर किसान बेचता है, व्यापारी बाद में उसे ज्यादा रेट पर बेच देते हैं। पंजाब की सरकार क्या कर रही है? पंजाब की सरकार जागीरदारों की सरकार है, सबको पता है। उसका काम पैसे कमाना है।

">

">इर्रीगेशन का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा वहां पांच इंजीनियर पकड़े गए हैं। इंजीनियर्स ने वर्लड बैंक का पैसा पंजाब के मंत्रियों और पंजाब के अफसरों से मिलकर खा लिया है और पांच इंजीनियर पकड़े गए हैं मगर जो उनके साथ थे, उनको कुछ नहीं कहा जाता।

">

">पेस्टिसाइडन का सवाल है - पंजाब में एक साल में फसल में २००० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि मुख्य मंत्री के सन इन लॉ की फैक्ट्री से पैस्टिसाइड दिया गया जो वहां पर कारगर नहीं हुआ। पंजाब के किसान को २००० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसीलिए पैडी में जो नुकसान हुआ, सरकार ने कहा कि हम ३०० करोड़ रुपये देंगे। मुख्य मंत्री ने कहा कि वाजपेयी जी से मिलेंगे वह ३०० करोड़ रुपये दे देंगे। एक पैसा भी पंजाब के किसान को नहीं दिया गया।

">

दूसरी बहुत सी समस्याएं हैं। कृषि मंत्री देख लें कि जो नीति आपने बनानी है वह क्या किसानों के लिए होगी या जागीरदारों के लिए होगी या जो लोग काम करते हैं, उनके लिए होगी। जितनी खेती में पैदावार बढ़ी है, इसका श्रेय किसानों को जाता है पर सबसे बड़ा श्रेय खेत मजदूरों को जाता है। बिहार का खेत मजदूर, राजस्थान का मजदूर, यूपी का मजदूर पंजाब में काम करने के लिए जाता है। उनके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। उनका क्या हाल है वह किसी ने नहीं सोचा। केन्द्रीय सरकार ने एक कंप्रीहेन्सिव लेजिस्लेशन खेत मजदूरों के लिए तैयार किया था जो पूर्व सरकार ने कहा था कि हम पास करेंगे। जब वाजपेयी जी आ गए तो कंप्रीहेन्सिव लेजिस्लेशन पता नहीं कहां फेंक दिया और उनके लिए विचार करने की कोई बात नहीं की। बहुत सी बातें मेरे दोस्तों ने कही हैं। जैसे उन्होंने लैण्ड रिफॉर्मस की बात कही है। उन्होंने ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात कही है। यह सबसे बड़ी बात है। ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो किसान की फसल का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं एक मिसाल देता हूं। आलू सड़ रहा है, बिक नहीं रहा है मगर पैप्सी कोला वालों की फैक्ट्री है, वह उसी आलू का चिप्स बनाकर बेचती है। सौ ग्राम चिप्स १५ रुपये का बेचते हैं।

यह गाड़ियों में बिकता है। क्या सरकार ऐसी फैक्टरियां नहीं लगा सकती, ऐसी प्रोसेसिंग यूनिटस नहीं लगा सकती, यह सरकार को करना चाहिए। अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो कृषि मंत्री जी आपको इस तरफ सोचना चाहिए और जो यहां पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। आपने कहा है कि आप खेती की नीति का ऐलान करेंगे। लेकिन खेती की नीति किसानों के पक्ष में होनी चाहिए। खेती की नीति असरदार मल्टी नेशनल कंपनीज के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। यह किसानों के हित में होनी चाहिए और किसानों को इसका फायदा होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आप किसानो के पक्ष में हों। मंडी में किसानो की जो लूट हो रही है उससे उन्हें बचाया जा सकता है। किसानों के खिलाफ जो कानून बने हैं, उन्हें तब्दील करना चाहिए। फसल का बीमा सबसे जरूरी है। ऐलान सब करते हैं लेकिन आज तक किसी ने कानून नहीं बनाया। छोटे-छोटे सैकड़ों कानून बन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बारे में खेती के जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बैठकर आराम से सोचिये। ताकि आपकी नीति किसानों के हक में हो, यही सबसे बड़ी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary - Not present.

Shri Satyavrat Chaturvedi - Not present

Dr. Ramkrishna Kusmaria - Not present

Shrimati Jayashree Banerjee - Not present.

Now, Shri S. Bangarappa.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Mr. Speaker, Sir, the subject under discussion is very very important in the sense that it relates to the Plan or the subject matter that comes under the core sector or the priority sector of the Planning Commission.

">Sir, I want to tell one thing that within a short span of time, no hon. Member, to whichever party he may belong to, can devote his ideas based upon the facts and figures in this august House while speaking. Therefore, I am also trying to attempt to touch certain important and salient aspects of the subject, which is under very serious discussion.

">Sir, if I just look at the agro climatic conditions that are prevailing in our country, it is highly suitable for more production depending upon the availability of the water resources. You will have to just give the support and attention to certain problems relating to support price of the agricultural commodities and also make use of the available water resources including major, medium and minor

irrigation. Let me just go through the Plan periods after we attained our Independence.

">Starting from the first Plan period of 1951-56 to 1996-97, the Plan allocation for this sector has been maintained constantly. These are all facts and figures supplied by the Planning Commission only. I am just giving out the percentage of agriculture and allied activities in toto. Starting from 1951-56, the Plan outlay including the Plan expenditure has stood at 14.9 per cent. That is the Plan outlay. The expenditure has stood at 14.8 per cent. What was the Annual Plan of 1996-97? It was stood at 13.5 per cent. If we just go through the percentage of Plan allocation of 1951-56, it was 14.9 per cent. In 1996-97, it was 13.5 per cent. I am just giving, through you, Sir, to the the Minister of Agriculture only one suggestion. What exactly is your case that you have made out for the coming financial year? It is because the Budget is going to be presented in the coming month of February. Will you kindly just make out your strong case before the Planning Commission to cross or go nearer to 20 per cent of the Plan allocation?

">Regarding your ability to spend well within the Plan outlay which is going to be fixed by the Planning Commission, I think you are capable of spending more if it is approved by the Planning Commission. I know that you are capable. It means your Department is capable. Therefore, I am giving you this suggestion. Before this Budget that is going to be presented by the Finance Minister, you please make out your case before the Planning Commission and also before the Finance Ministry to go nearer to 20 per cent or cross 20 per cent of the total allocation. Unless you do this, I do not think you are going to achieve your targets of alleviating poverty or giving more impetus to the rural folk so as to give them a decent livelihood and cross the level of poverty that you want to achieve. It is only a suggestion because I do not have much time to go into the details.

">What exactly are the areas that are to be concentrated upon now? The first one is production. Yes, it is depending upon the availability of fertilizers including chemical fertilizers. I want to suggest one thing. On the production front, you cannot depend only upon the chemical fertilizers for getting more production or more food output.

">Now, I suggest even the national fertilizers also will have to be taken into account. You give more priority to the other areas of the fertilizers also along with the chemical fertilizers. Along with these things, this Plan outlay must touch upon animal husbandry, dairy research, plantation, agricultural marketing, rural godowns, warehousing, food storage including cold storage for your floriculture or fruit culture and something like that. The concept that we have thought of is not the one which Mahatma Gandhi has given to us. Now, we are seeing that it is dwindling year by year or Plan by Plan. I should say it is going down. Actually, why was the charka thought of by our Father of Nation, Mahatma Gandhi? He laid more emphasis on the rural way of thinking of getting more income by poor families living in the rural areas. But I am yet to understand why actually this concept is given a clean go by.

">Therefore, I suggest you to give more importance for rural economy by giving more impetus to these areas.

">Then, as far as irrigation is concerned, I felt one thing. There are lakhs of tanks in each of the State. Desilting of tanks will go a long way to give more water resources for the food output.

">During late Pandit Jawaharlal Nehru"s time, the industrial sector got a lot of importance. During late Shrimati Indira Gandhi"s time, green revolution got a lot of impetus also. If you go through the Plan size and Plan outlay, you will find that the green revolution was also achieved. So, what I suggest is that it has got to be maintained.

">You had made one statement that before the start of the Winter Session you would be bringing one Bill relating to plant protection and protection of farmers" rights. Now, the Winter Session is going on. Have you thought of bringing that Bill or not? We are yet to know about it. So, while replying, please touch upon this aspect also.

">Sir, due to vagaries of nature, a farmer is unable to produce more. The marketing facilities are also not good and the rates given for the foodgrains are not maintained.

">As far as Price Fixation Policy is concerned, you call a meeting at the national level wherein the farmers should be represented by the representatives along with the elected Members of both the Houses. Please also call the scientists who are working in research areas so that you will be able to make up your mind before you present the Budget of your Ministry in this august House.

">Sir, as far as taxing the agricultural sector is concerned, it is better that you give up the idea. If you start taxing this sector, then it is going to give a lot of things on the other side rather than giving impetus to this area.

">As far as trade facilities are concerned, some hon. Members have already spoken. There are two areas. One is cooperative sector and another is banking sector. As far as giving credit facilities to this sector is concerned, you please strengthen them.

">The last point I would like to touch upon is about the Indian Council of Agricultural Research. You please give all the strength to the Indian Council of Agricultural Research because research is going to help us a lot in the future. Crop insurance sector will have to be covered because the farmers are badly hit in this sector.

">As far as subsidies are concerned, please do not withdraw any of these subsidies given to this sector. Please continue to extend your support as far as subsidies are concerned.

">These are the few suggestions which I wanted to make.

">Sir, with these few words, I thank you for giving me an opportunity to speak.

">

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि इस देश में ७० प्रतिशत आबादी किसानों की है और इस सदन में भी जो सांसद चुनकर आये हैं, उनमें तीन चौथाई से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र से आये हैं। यह देखते हुए हमें बहुत निराशा है कि सरकार तथा सांसद लोग इसको वह महत्व नहीं दे रहे हैं जो कि किसानों को मिलना चाहिए। यह हमारी कमी है। यह हमारी सोच की कमी है कि अधिकारी वर्ग या जो कोई भी उनसे दूर हो जाता है, उनकी कमियों को देखना बंद कर देता है। लेकिन इसकी वजह जो कुछ भी हो, इसका नतीजा यह है कि पिछले दस साल में कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं है बल्कि वह बहुत कम हुआ है।

">

">उसके बहुत से कारण हैं जो बताए गए हैं। मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा। मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं पर ज्यादा जोर दूंगा। सबसे पहली चीज यह है कि किसान एक अव्यवस्थित वर्ग है और उसका प्रतिबिंब ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। यहां सब लोग नीति की बात कर रहे हैं। नीति बनाई जा सकती है लेकिन जब तक जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उसे कार्यान्वित न किया जाए, वह नीति कागज पर रखी रह जाएगी। एक बात ख्याल रखने की है कि जो इलाके हमारे ऐग्रीकल्चर सैक्टर में अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उनको और अच्छा बढ़ाने के बजाए जो इलाके पिछड़े हैं, यदि उनमें कृषि की प्रगति हो तो भारत समृद्धता की ओर और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में जो कहा, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। अभी जो चीनी मिलों की बात हो रही है, यह उद्योगपतियों और किसानों के बीच सीधी लड़ाई है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसान अपना जो गन्ना चीनी मिल को बेचता है, वह सरकार के निर्धारण, मार्गदर्शन और कहने पर बेचता है और चीनी मिलें जो भी काम करती हैं, वह सरकार के कहने पर करती हैं। फिर निजी क्षेत्र में अगर सरदार नगर की चीनी मिल किसानों के २७ करोड़ रुपये नहीं देती, अगर गौरी बाजार की चीनी मिल पांच साल से बंद है और बी.आई.एफ.आर. कहता है कि किसानों का भुगतान सन् २००२ से शुरु होगा और छः साल में होगा, अगर कठकुइयां और पडरौना की मिल का २० करोड़ रुपया बाकी है और बी.आई.एफ.आर. कहता है कि वह छः साल में दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल लाचार है, असहाय है, न कुछ करना चाहती है और न कुछ कर रही है। मैं यह रोष इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि इससे एक करोड़ किसान प्रभावित हैं। मण्हौरा से गौरी बाजार तक सौ करोड़ रुपये बाकी हैं। क्या समस्या है यदि भारत सरकार एक सौ करोड़ रुपये का एक पैकेज बनाए और किसानों को दे दे? वह उद्योगपतियों, पूंजीपतियों से अपने समय में छः साल, सोलह साल में, जब लेना है ले। हम कई बार, हर जगह लड़ चुके हैं। वहां मुख्य मंत्री से लड़ चुके हैं, यहां प्रधानमंत्री को कह चुके हैं लेकिन यह लड़ाई किसान और उद्योगपति के बीच में है जिसमें सरकार अपना हाथ झाड़ रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। केवल सौ करोड़ रुपये के पैकेज की जरूरत है जो उन किसानों को दिया जाए और दो सौ करोड़ रुपये में उनका आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जाए तो किसान दुबारा बहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। अब इसकी बहुत सी तकनीक आ गई हैं। बिजली की बात हो रही है। अब ऐसी चीनी मिलें बनाई जा सकती हैं जिनका बड़ा बॉयलर लगाकर सौ गांवों का विद्युतीकरण उसी मिल के जरिए हो सकता है और यू.पी. स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को छः महीने तक उन गावों को बिजली नहीं देनी पड़ेगी। मैं मंत्री जी से दुबारा अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस बात पर दर-दर ठोकरें खा चुके हैं, पूर्वांचल के गन्ना किसानों के भुगतान के मामले को सुनते-सुनते आपके भी कान पक गए होंगे। आपके पास सौ करोड़ रुपये की कमी नहीं है, मण्हौरा से यहां तक आप सीधे किसान का भुगतान करिए, उसके लिए पैकेज लाइए और वहां की मिलों - बैतालपुर, देवरिया, गौरी बाजार, कठकुइयां, मण्हौरा का विस्तारीकरण करिए। आप अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो पाएंगे।

">

">क्योंकि यह व्यवसाय का मामला नहीं है, यह किसान का मामला है और कम से कम दस संसदीय क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को बहुत गौर से, बहुत गम्भीरता से लेते हुए इसके लिए एक पैकेज का एनाउंसमेंट करें, उसकी घोषणा करें ताकि सीधे किसान को भुगतान किया जाये, नहीं तो जैसा बी.आई.एफ.आर. कर रहा है, उसने अपना जो निर्णय दिया है, वह आई.डी.बी.आई. के पक्ष में है, वह आई.सी.आई.सी.आई. के पक्ष में है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पक्ष में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में है और सबसे आखिर में किसान का नाम है।

">

">यह क्यों है और यह किसान विरोधी बात कही जायेगी। बार-बार इन क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि आपको क्या बड़ी समस्या है, आपकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में है, आपकी गवर्नमेंट केन्द्र में है फिर क्यों इन किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है? उन्होंने अपना माल दिया है। आप ५०० रुपये का कोई सामान बेचते हैं और उसका पैसा नहीं दिया जाता है तो आप उसे मुलजिम करार करते हैं और यहां पर २२ करोड़ रुपये लेकर १-१ मिल के मालिक बैठे हुए हैं और वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी कुछ करें। यही मेरा अनुरोध है।

">

">

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि किसानों की चर्चा पर भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान की।

">

">देश की आजादी के ५२ वर्ष बीत चुके हैं और देश की आजादी के इन ५२ वर्षों में इस देश के किसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से अनाज के मामले में इस देश को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि इतना अधिक अनाज पैदा किया कि आज से दस वर्ष पूर्व हम कई मुल्कों को अनाज की आपूर्ति करने लगे, लेकिन अधिक उत्पादन का देश के किसानों को कुफल ही भुगतना पड़ा। उसके दुष्परिणाम ही उसके सामने उभरकर सामने आये। देश को ५२ साल की आजादी के बाद आज भी किसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल प्राप्त नहीं कर सका, उसकी बीमार मां और उसके बीमार बच्चों के लिए दवा का इन्तजाम नहीं हो सका। आज उसकी फसल का उसे सही दाम नहीं मिल रहा है। देश की आजादी के बाद मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश के किसान ने इस देश के उत्थान में अपना जितना अमूल्य योगदान दिया, उसके बदले इस देश की व्यवस्था ने किसान को कुछ भी नहीं दिया। आज सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने उसके उत्पादन के लागत मूल्य की है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज किसान जो कुछ पैदा कर रहा है, उसका सही मूल्य किसान को नहीं दिया जा रहा है। हम जब समर्थन मूल्य की बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि आखिर समर्थन मूल्य का आधार क्या है।

">

">अभी धान और गेहूं का जो समर्थन मूल्य भारत सरकार समय-समय पर तय करती आई है। यदि सरकार अपने ही कृषि फार्मों के आंकड़ों को प्राप्त करे और उन कृषि फार्मों के आंकड़ों को प्राप्त करके यदि किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करे तो मैं समझता हूं कि जो समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें ५० से लेकर ७५ प्रतिशत की बढ़ोतरी अवश्य हो जायेगी। आज किसान का केवल आर्थिक स्थिति में ही पतन नहीं हुआ है, सामाजिक स्थिति में भी पतन हुआ है।

">

">खेती के प्रकाण्ड विद्वान घाघ जी हुआ करते थे, उनकी यह कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिध निपट चाकरी भीख निदान। आज भिक्षा, जो पहले सबसे निकृष्ट कार्य था, वह भिक्षा आज सबसे अच्छा कार्य हो चुका है। आज हम सभी लोग उस तरह के क्षेत्र के ही लोग हैं। आज सब की रुचि इस राजनीति में ही है, चाहे वे ब्यूरोक्रेटस हों, चाहे वे व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे नौकरी पेशे के लोग हों, सारे लोग आज राजनीति की ओर उन्मुख हैं। जो तीसरे नम्बर की नौकरी थी, वह आज दूसरे नम्बर की प्राथमिकता बन गई है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज खेती, जो कभी सबसे अच्छा पेशा हुआ करता था, आज सबसे निकृष्ट पेशा हो गया है। निकृष्ट पेशा क्यों हुई है, इस पर हमको और आपको, पूरे सदन को ईमानदारी से विचार करना चाहिए। आज किसानों का सामाजिक पतन इस कदर हो चुका है कि अगर १०० एकड़ भूमि के किसान का बेटा है तो उसकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती है। आज व्यापारी या नौकरशाह, ये दोनों जब अपनी लड़की की शादी के लिए जाते हैं तो खेती मानदण्ड नहीं हुआ करती है। देश की आजादी के पहले एक जमाना था, जब खेती को ही आधार मानकर अच्छे रिश्ते तलाशे जाते थे। आज सामाजिक क्षेत्र में भी किसान का पतन हुआ है। आज किसान को उसके सामान का उचित मूल्य न मिलने के कारण और समर्थन मूल्य पर भी किसान की वस्तु का खरीददार न होने के कारण उसे जितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है, उसी पीड़ा का परिणाम है कि आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

">

आज सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ४९० रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। मैं देश के अन्य हिस्सों की बात नहीं जानता, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश

से गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती सिद्धार्थ नगर जनपदों के आंकड़ो को आप मंगा लें, वहां आज ४०० से लेकर ४२० रुपया प्रति क्विंटल व्यापारी, बिचौलिए किसानों का धान खरीद रहा है। एक क्विंटल धान में ७० रुपए की लूट व्यापारियों और बिचौलियों के द्वारा की जा रही है। यदि एक गांव में पांस सौ एकड़ धान बोया गया हो और दस क्विंटल प्रति एकड़ की ही पैदावार हो, तो पांच हजार क्विंटल धान एक गांव में पैदा हो रहा है। अगर किसान तीन हजार क्विंटल धान बाजार में बेच रहा है, तो केवल एक गांव से दो लाख दस हजार रुपए का केवल एक गांव से शोषण हो रहा है, एक गांव से लूट हो रही है। मान्यवर, जितना विकास का रोना रोया जा रहा है, विकास की बात कह रहे हैं, मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि केवल एक फसल के दाम में किसान की जितनी लूट हो रही है, उतना उस गांव को विकास के लिए पैसा चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों की ये जो लूट हो रही है, ये लूट बन्द होनी चाहिए। इसी सदन में पिछले सत्र के दौरान वित्त मंत्री जी ने कहा था, हमने पांच हजार मिट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद लिया है। हम कहना चाहते हैं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़ो को मंगा लें, आज की तारीख तक सरकारी एजेंसियों ने समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदा है। जब हम सरकारी एजेंसियों के पास अपना धान लेकर जाते हैं, तो कहा जाता है कि मानक के अनुरूप हमारा धान नहीं है। जब

PDS

स्कीम के तहत वही हमारा चावल मिलों से लेवी लेकर हमें सप्लाई करते हैं, तो उनका चावल मानक के अनुरूप होता है और हमारा धान मानक के अनुरूप नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने का मूल्य ८५ रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और हरियाणा में वहां की सरकार ने किसानों के लिए ११० रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया है। सहारनपुर और अम्बाला के गन्ना क्वालिटी का निरीक्षण करा लें, दोनों की क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं है। जिस स्तर का गन्ना सहारनपुर में है, उसी स्तर का गन्ना अम्बाला में है। दोनों सीमावर्ती जनपद हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गन्ना किसान को गन्ने का दाम मिलेगा ८५ रुपए और हरियाणा के किसान को मिलेगा ११० रुपया। ये विसंगति क्यों है, इस विसंगति को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ११ चीनी मिलों को बन्द कर दिया गया है। केवल राज्य सरकार के अधीन चीनी मिलों को ही बन्द नहीं किया गया है, जो भारत सरकार के अधीन चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों को भी बन्द किया गया है। मैं महाराजगंज की फरेन्दा (आनन्द नगर) चीनीमिल का उदाहरण देना चाहता हूं। १९३२ में जयपुरिया प्रतिष्ठान ने चीनी मिल की स्थापना की थी। जब तक सरकार ने उसको टेकओवर नहीं किया था, वह चीनी मिल फायदे में चल रही थी। जब सरकार ने उस चीनी मिल का अधिग्रहण किया, उसके बाद भी वह लाभ में चली। मान्यवर, मैं विषय पर बोल रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी पार्टी के दूसरे सदस्य हैं और आठ मिनट बोल चुके हैं। दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए, नहीं तो रिकार्ड में नहीं जाएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, १९९० में उस चीनी मिल का अधिग्हण किया गया। १९९२-९३ में वह चीनी मिल फायदे में चल रही थी, लेकिन १९९४ में इस चीनी मिल को बन्द कर दिया गया। ७१३ एकड़ का एग्रीकल्चर फार्म इस चीनी मिल के पास है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उस चीनी मिल को चलाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अभी पूर्व में चार चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफिया मंत्री को बेच दिया है। केवर एक-एक करोड़ रुपया सिक्योरिटी लेकर उन चार चीनी मिलों को बेच दिया गया है। आज उन चीनी मिलों के स्क्रेप को बेचकर सरकार और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि किसानों के खेतों में पानी की समस्या है। आज जल का स्तर गिरता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तरीके से हम जल को अवशोंधित करायें। वर्षा के जल और बाढ़ के जल को अवशोंधित कराकर जल के स्तार को ऊपर उठाने का काम करें। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पश्चिम बंगाल तक आप देख लें, जल का स्तर गिरता जा रहा है। इस गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम नई पहल करनी चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूर्वी उ.प्र. से लेकर पश्चिम बंगाल तक और बिहार तक बाढ़ की समस्या से किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। जल जमाब की समस्या से त्राहि-त्राहि कर रहा है। लाखों एकड़ जमीन बाढ़ और जल जमाब के कारण बर्बाद हो रही है। इस लाखों एक जमीन को उपयोग में लाने केलिए सरकार को सार्थक कदम उठाने चाहिए। हम आपके द्वारा मांग करते हैं कि किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मूल्य निर्धारित करते समय किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खेती को पानी की गारन्टी दी जाए और किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिया जाए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नयी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मत्स्य पालन के क्षेत्र में सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार को मछुआरा समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करनी चाहिए।

महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उसका दुरूपयोग हो रहा है, उसके दुरूपयोग को रोका जाना चाहिए।

... (व्यवधान)
किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the plight of the farmers has been agitating the minds of the representatives of the people, and it is quite evident today. Vagaries of nature, successive and repeated failure of crops, distress sale of agricultural produce and mounting debts had compelled or driven the small and marginal farmers to commit suicide. That is because of the lackadaisical approach to the agriculture sector by successive Governments, right from the days of Independence. Perhaps, the successive Governments are following the dictum "

"त्राणिज्य बसते लक्षमी, तदर्थयम कृषि कर्मणें।

">

">They did not give much importance to agriculture and, perhaps, they gave more importance to commerce and industry. That is why, we have had all these difficulties over the years. In order to rectify this defect, the National Democratic Alliance, in its agenda for governance, has clearly indicated that they would earmark 60 per cent of the Plan funds for public investment in agricultural, rural development, irrigation etc.

">Hon. Member, Shri Bangarappa, is not here. He has raised this point. It would be quite interesting for you to know that 60 per cent of the Plan outlay would be earmarked for agriculture. Last year, 58 per cent had been allocated in the Budget for different agricultural works.

">Due to time constraint, I would like to confine myself to Orissa. We have had two successive cyclones. What is the plight of the farmers there, before and after the cyclone? I would only stress upon that. We have had distress sales earlier in potato, cabbage, tomatoes etc. Last year, the Government of India had allocated funds for setting up small cold storages and godowns and funds had been given to the State Government, but till now no action has been taken. Last year, the Government of India had allocated Rs. 150

crore out of Rs. 450 crore, over a period of three years, for sinking shallow tube wells and for giving credit to the primary agriculture cooperative, But I am sorry to say, maybe, I am treading upon the toes of the State Government and my friends there would take it amiss, that nothing has been done . Now, after the cyclone, it may be seen that the bovine species have almost been wiped out of the Eastern sector. Till now, no steps have been taken to provide livestock to the farmers in the Eastern sector as a result of which it will be very difficult for them to revive the agricultural sector. Take the case of the betel vine where drip irrigation is most important.

">No lift irrigation has started yet because more than 70 per cent of the lift irrigation points have not been energised. Whatever we may say, it would create problems for the farmers in Orissa. Added to it, there is shrinkage of arable land because of rapid urbanisation and industrialisation.

">Sir, I would just give one example where the TATAs were given 7,000 acres of best agricultural land in my constituency for setting up of a steel plant. Out of that 7,000 acres, 4,000 acres have already been taken over by the TATAs and the TATA project is a still born project. No work has been done. My submission here now is that the Central Government may give a directive to the State Government to retrive the land and the land which had been given for setting up of a steel plant should not be allowed to be used for any other purpose. The Government may resume the land and set up a cooperative in the farming sector so that all those people who have lost their land could be asked to go in for agricultural produce again in that area. The distressed conditions are such that people require more land for producing more food.

">Sir, the minor irrigation projects have been a failure. It is only because there is no work the tail-end gets no supply of water to the land and whatever money is being given that is going down the drain. Water cess is being taken but sufficient water is not being provided as a result of which the farmers are facing a lot of difficulty. We may say many things. We may say that we have set up minor irrigation projects; we may say that sufficient ayacuts have been provided but ayacuts do not get water and that is most important.

">Sir, my friend have said about seed procurement, prices, distress sale and all those things. I would not like to dilate on that. The most important aspect of my telling these things is that Government of India has been thinking of many different plans. Since agriculture is a State subject I do not know how the Government of India can impose itself on the States to take up a particular work by the States. In my case in Orissa, the Government diverts the funds.

">Sir, I gave the example of the TATAs. Rs. sixty three crores were given last year for 21 ITDA districts where there are tribal blocks. Out of that Rs. sixty three crore the Government of Orissa has sent only Rs. 21 crore to the 21 districts till date before the cyclones. I came to know that the rest amount has not yet been sent to different districts for taking up different work for the tribals. This is just one instance. There are many other instances where funds provided by the Central Government are not being properly utilised for amelioration of the conditions of the farmers.

">So, my request now is that the Government of India may think of giving more funds for irrigation facilities in the post-cyclone conditions to Orissa and may supply different types of saplings for the Cash crop like coconuts from Koshi. The Government of India could send sufficient number of saplings and sufficient number of coconut plants to Orissa so that something could be done. High breed variety plants and seeds should also be given.

">Sir, earlier also I have made a request that the Government of India may give Rabi crop seeds free of cost to the farmers of Orissa. The Orissa Government is charging 50 per cent of the money from the farmers for providing Rabi crop seeds. What is the necessity for it? Why is this niggardly attitude of the State Government? In this particular aspect I would like to appeal to the hon. Agriculture Minister to give sufficient seeds free of cost to those people who have been ravaged by the cyclone. Since the bell has already rung, I conclude my speech here.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: All those people whose names were called but were absent, they would now be getting their chances at the end.

">

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। मुझे इस बात पर गर्व है कि किसानों की समस्या केवल आप लोगों की कांस्टीटुयंसी में नहीं बल्कि जम्मू से लेकर कन्या कुमारी तक और अमृतसर से लेकर पांडिचेरी तक एक ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर इस सदन में उपस्थिति बहुत ही कम है। चाहे वह रूलिंग साइड से हो या अपोजीशन की तरफ से हो। मुझे इस बात की चिन्ता है कि सरकार और

">

">Third piller of the democracy

">की तरफ से इग्नोर किया गया है। मैं बहुत दुखी और भरे मन से यह कहना चाहूंगा कि समंय कम है और मैं केवल कुछ पाइंटस ही माननीय कृषि मंत्री जी और श्री कुमारमंगलम जी के सामने कहूंगा। अगर आप आंकड़ों के बजाय किसी अच्छी बात को यहां कह दें तो हो सकता है कि किसानों के दिल को छू जाये और उससे इन लोगों को फायदा हो।

">

">मैं सबसे पहले विश्व बैंक की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि यदि हमारा देश किसी एक मुद्दे पर आजादी के बाद एक है तो वह यह कि इस देश का मेहनतकश किसान इस देश के १०० करोड़ लोगो को अनाज देता है और जिसे भूखा नहीं मरने दिया। यह सब से बड़े गर्व की बात है। मुझे उर्दू के एक शायर का बात याद आती है जो ऐसे है:

">

">उनकी तुबत में नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन,

">

">अब टिमटिमा रहे हैं उनके मकबरे पर , जो बेचारे बेचा करते थे शहीदो के कफन

">

">आज हमारी सरकार ने मल्टी नेशनल कम्पनीज की सदारत में चाहे बासमती चावल हो, हल्दी होया कोई अन्य चीज हो, कबूल कर ली है इससे किसानों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। मुझे इस बात का गर्व है कि पंजाब का किसान नेशनल पूल में ७० परसेंट से ज्यादा हिस्सा देता है जिसके पास देश का केवल डेढ परसेंट इलाका है।

">

">...1.5 per cent of the area but we are contributing more than 65 per cent of the foodgrains in this country.

">लेकिन जब आज पूछते हैं तो मालूम होता है कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है अब तक ५०० किसान खुदकुशी कर चुके हैं। हमें पहले पंजाब यानी पांच दरियाओं पर गर्व था जिनमें रावी, चेनाब, झेलम, सिंध और सतलुज आते हैं वे इस देश में सोना उगलती धरती में से चांदी सोना पैदा कर रही थी। हमारे पंजाब के एक कवि ने लिखा है कि पांच दरियाओं के नाम हिंसा, खौफ, बेबसी, अन्याय और मातम हैं जो ६५ परसेंट फूड ग्रोथ देता था। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों पाबंदी लगाई पंजाब के किसानों पर कि वे न राजस्थान में जमीन खरीद सकता है, न हिमाचल में खरीद सकता है और न जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि

">

">It is written in our Constitution that any person can have property anywhere in the country.

">लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाकर पंजाब के किसान को बाहर कोई जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है जो बड़ी खतरनाक बात है। इसमें जम्मू कश्मीर की बात अलग है लेकिन राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो हमारे पास में लगते हैं, वहां पर पाबंदी लगाई गई है।

">

">माननीय कुमारमंगलम साहब अगर ध्यान दें तो मैं आपकी बात करने जा रहा हूं। वह स्टेट जिसका किसान पर कैपिटा इनकम में नंबर एक पर था, आज चौथे नंबर पर आ गया है। हार्ड डिसीज़न्स लेने की बात आपकी सरकार और प्रधान मंत्री जी ने की है। आप पॉवर सेक्टर के डायनैमिक मंत्री हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पंजाब बिजली बोर्ड में २००० करोड़ रुपये का घाटा इसलिए पड़ा क्योंकि भाजपा और अकाली दल सरकार के मुख्य मंत्री

">

">It is a good political gimmick

">कि मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। यह स्लोगन अच्छा है। शायद मेरे स्लोगन देने से भी मेरी वोटें बढ़ जाएँ लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगा कि प्लांट लोड फैक्टर वाइज़ पंजाब टॉप करता था, अपने थर्मल पॉवर प्लांटस और हाइडल पावर में, लेकिन आज इतना बड़ा घाटा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डज़ को पड़ा है। आप कम से कम हमारे मुख्य मंत्री को कहें कि

">

">We want more power. We do not want free power.

">ये आज पंजाब के किसानों की आवाज़ है कि अगर उसको दो घंटे बिजली मिलनी है, इससे बेहतर है कि उससे पैसे चार्ज करो लेकिन उनको प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। इस बात को आपको बदलना होगा अगर किसानों के हितों की रक्षा आपको करनी है। यह ज़रूरी है और आप इस बात को जानते हैं। आप कुछ कहें लेकिन आप समझते हैं। इससे आगे जाकर मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दे कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

">

">लैण्ड सीलिंग की देश में जो बात चली हम भी उस बहाव में बहते थे कि लैण्ड रिफार्मस लागू होने चाहिए जमीन बंटनी चाहिए। लेकिन देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य के तजुर्बे पंजाब से मैं कहना चाहूंगा कि आज दस एकड़ जमीन भी फीज़िबल नहीं रही है। जिन किसानों ने ट्रैक्टर लिये हैं, बैंक से ऋण लिया है,

">
Ninety per cent of the land of Punjab has been mortgaged.

ये लैण्ड सीलिंग है कि अगर कोई एनआरआई पंजाब में आए और वह पंजाब की १०५ लाख एकड़ भूमि खरीदना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इस बात की पाबंदी है कि हम बाहर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बात के ज़रिये लैण्ड सीलिंग के मुद्दे को रेव्यू करने की बहुत भारी ज़रूरत है और जितनी देर फीजिबल फार्म नहीं होगा उतनी देर इस देश का और किसान का भला नहीं होगा।

If we compare our per capita production with Japan and other countries

तो हम बिल्कुल नीचे हैं और बिल्कुल आखिरले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और इसके आगे हमारी पर यील्ड पर हैक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ने का कोई आसार नहीं है। नीतीश जी, आपकी सदारथ में किसान आगे बढ़े, हम आपके बहुत उपासक रहे हैं बेशक आप दूसरी तरफ बैठे हैं क्योंकि आप उस कल्चर को रेप्रेज़ेंट नहीं करते जो मज़हबी और मज़हब को लड़ाने वाला कल्चर है। आप बहुत बड़े किसान नेता भी हैं। मैं आपको यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि लैण्ड सीलिंग के मुद्दे पर आप ज़रूर कुछ न कुछ करें। क्रॉप इन्श्योरेन्स के बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी। मैं उस पर झाड़ना नहीं चाहता। दो बातें रह गई हैं।

एक तो यह है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सरकारें लटकाए चली जा रही हैं। जैसे दक्षिण में कावेरी का विवाद है, हमारे यहां सतलुज-यमुना लिंक का विवाद है। हमारी स्थिति यह है कि हम किसान हैं। हम हरियाणा को पानी देना चाहेंगे, राजस्थान को पानी देना चाहेंगे अगर प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन स्थिति यह है कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है।

We have no surplus water to share. Eighty per cent of our water is going to Rajasthan and Haryana. We have no further water to share.

तो इंटरसिटी डिसप्यूटस के मामलात को आप निपटाइये। मैंने पंजाब की हुकूमत का बयान पढ़ा है कि ५४०० इमप्लायीज जो सतलुज-यमुना लिंक नहर पर लगे हुए हैं, उन्हें तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन वहां का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस सरकार नहीं कर पाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। लेकिन मंत्री जी बातों में व्यस्त हैं, दोनों मेरी बातें सुन नहीं रहे हैं।

We have struggled together and we have fought together on many issues. This is a very important issue.

मैं यह मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी सूचना के मुताबिक -

550 million people of this country are on ration card.

अब ये राशन कार्ड का मुद्दा किसानी से इसलिए जुड़ा है, क्योंकि जो सब्सिडी पी.डी.एस. सिस्टम में जा रही है, वह गरीबों को जानी चाहिए। जो गरीबी के स्तर से बिल्कुल नीचे जीने वाला इंसान है, उसे आप राशन कार्ड दीजिए। लेकिन प्रधान मंत्री जी का भी राशन कार्ड हो, नीतीश जी का भी राशन कार्ड हो, एक रिक्शापुलर का भी राशन कार्ड हो, मेरा राशन कार्ड हो, सिंधिया जी और फारूख साहब का राशन कार्ड हो, किसी का भी हो

... (व्यवधान)
हां, उनका भी होगा, सोनिया जी भी इस मुल्क की सिटीजन हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ५५ करोड़ लोगों का राशन कार्ड है उसे कम करके बिलो दि पावर्टी लाइन दे। ताकि किसान को उचित कीमत मिल सके, उसे उसकी फसल का रिम्यूनरेटिव प्राइस मिल सके और वह फ्रस्ट्रेटिड होकर खुदकुशी न करे। ... (व्यवधान) चूंकि इस समय सदन में वही लोग हाजिर हैं, जिन्हें किसानों की चिंता है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि रात के दस बजे तक आपने इतने ध्यान से हमें बोलने का मौका दिया। मुझे मशरिक (

East)

के महान शायर अलामा इकबाल की वह बात याद आती है - यह देश के किसान कह रहे हैं - 'जब लहू की जरूरत पड़ी, तो गरदन सबसे पहले हमारी कटी, अब ये कहते हैं अहले वतन ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं, बात गुलों तक होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं।

">

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। किसानों की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए माननीय राम नगीना मिश्र जी ने जो चर्चा का विषय लिया है, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा। अभी यहां जिक्र हुआ था कि देश को आजाद हुए ५० साल हो गये हैं और पचास सालों में जो सरकारें रहीं, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, यह सब कुछ हमारे सामने है। हमारे सारे लोग बोल रहे हैं

... (व्यवधान)
हम कर रहे हैं। हम करके दिखा रहे हैं, क्या आप देख नहीं रहे हैं? आप देखिये कि हमारी सरकार क्या करके दिखा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन पचास सालों में किसानों के साथ क्या हुआ। किसानों के लिए कैसी नीतियां रहीं, किसानों की हालत क्या हो गई। यह सारा देश जानता है। किसान आज किस ढंग से त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज जिस ढंग से किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। हम लोग किसानों को आर्थिक दृष्टि से उठा नहीं सके, किसानों को शिक्षा नहीं दे सके, किसान को पीने का पानी नहीं दे सके, किसानों को हम बिजली नहीं दे सके, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सके।">

">

">

">cd. by zzzzz

">श्री अशोक प्रधान उपाध्यक्ष महोदय, किसान का सम्मान और स्वाभिमान भी नहीं होता है। देश के किसान की ऐसी हालत हो गई है कि अगर किसान ने ५००० रुपए का ऋण ले लिया और वह चुका नहीं पाया तो हालत यह है कि उसके पशु खोल कर ले जाते हैं। उसके मकान की कुर्की कर ली जाती है। वहां के एस.डी.एम., तहसीलदार और अमीन उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह स्थिति भी हमारे सामने है। आज ५० वर्ष की आजादी के बाद हिन्दुस्तान में हम किसान की यह स्थिति देख रहे हैं।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, अभी बराड़ साहब बोल रहे थे और बता रहे थे कि हिन्दुस्तान में किसानों की चर्चा करने वाले कितने लोग हैं, उसका एहसास इस सदन में कम उपस्थिति और प्रैस गैलरी के खाली होने से मिलता है। अगर आज कहीं कोई घोटाले के मामले पर बहस हो रही होती, तो प्रैस गैलरी खचाखच भरी होती।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान जी, जो मुद्दे हों, उनके ऊपर बोलिए वरना आपका टाइम बर्बाद हो रहा है।

">

">श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि किसानों को बिजली नहीं मिलती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और देश की राजधानी की ठीक नाक के नीचे मेरा चुनाव क्षेत्र आता है, लेकिन किसानों की हालत बहुत दयनीय है। वहां बिजली नहीं आती है। पूरे दिन में एक घंटे के लिए बिजली आएगी। दिसंबर का महीना है और सुबह दो बजे बिजली आएगी, तो भी किसान पानी देने के लिए भागकर जाएगा। किसान को पानी नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं। अगर बर्सात हो जाए तो उसको संपर्क मार्ग नहीं जिससे वह अपने बच्चों का शहर में इलाज करा सके। किसान को ऋण लेना पड़ता है। उसकी क्या हालत है। दैवी आपदा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा और कभी बाढ़ आती ही रहती है। कहीं पानी का भराव उसका पीछा नहीं छोड़ता।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय कुमारमंगलम जी यहां बैठे हैं। हमारे यहां एन.टी.पी.सी. ने एक

">

">MAPP

">प्लांट लगाया हुआ है। वहां हजारों एकड़ भूमि में पानी का भराव होता है जिससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। हर साल पानी भर रहा है। वहां जो जमीन एक्वायर की गई और उसके ऊपर इतना बड़ा बिजली पैदा करने का संयंत्र लगा, लेकिन वहां किसान के खेतों और किसानों के घरों में बिजली नहीं है। वहां से बिजली पैदा कर के कहीं दूसरी जगह भेजी जा रही है।

">

">मैंने विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उन्होंने उस पर ध्यान दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो किसान की हालत है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो सरकार आई है वह उसके लिए कुछ करेगी। उस प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हो। देश इक्कीसवीं सदी में जा रहा है। जो मौजूदा सरकार है वह इस आने वाली सदी में एक ऐसा मैसेज देगी जिससे किसान की उन्नति हो, किसान की तरक्की का काम करेगी। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि अभी गन्ने की बात हो रही थी। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो भा.ज.पा. की अब बनी है, लेकिन पिछला समय देखें, तो आप पाएंगे कि ये जो चीनी मिलें बन्द हो रही हैं या जो चीनी निगम में १२०० करोड़ का घाटा हो रहा है, यह हमारी सरकार के समय का नहीं है।

">

">कुंवर अखिलेश सिंह : रिकार्ड मंगाकर देख लीजिए।

... (व्यवधान)
">

">श्री अशोक प्रधान : जितना किसानों का पहले बकाया था, उतना अब नहीं है, लेकिन अभी भी किसानों का अरबों रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, इसमें दो राय नहीं है।

">

">लेकिन कुछ पहले से बकाया चला आ रहा है। हमारी सरकार ने तो दिया है।

">... (व्यवधान)
">जिस ढंग से चीनी मिल बंद हो रही हैं, वह ठीक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जहांगीरपुर में चीनी मिल १९९० में शुरू हुई थी जिसमें करोड़ों रुपये लगे थे। वह चीनी मिल चालू नहीं है। इस कारण वह करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। अगर वह चीनी मिल शुरू हो गई होती तो आज वहां के किसानों को बहुत फायदा होता। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर बुलंदशहर से आता हूं, उसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। आप यह देख लीजिए कि वहां कोई भी नीति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां कृषि और पशुओं के लिए कोई नीति बननी चाहिए जिससे किसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर सिर्फ यह कहूंगा कि आज किसान के पास खाद नहीं है। वह पैसे लेकर घूमता है, फिर भी उसको खाद नहीं मिलती है। उसे अच्छा बीज नहीं मिलता जिसकी वजह से वह परेशान रहता है। मैं किसान की क्या बात करूं? जब तक किसान को अच्छा बीज नहीं मिलेगा तब तक वह अच्छी फसल कहां से लायेगा?">

">उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दीजिए।

">

">श्री अशोक प्रधान : मैं सुझाव ही दे रहा हूं। मेरा सुझाव यह है कि गांव के अंदर किसान मिलन केन्द्र खुलने चाहिए तथा वहां एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी से छह महीने छात्र आने चाहिए। वे वहां आकर मिट्टी और पानी का परीक्षण करें। इसके अलावा यह भी देखें कि वहां कौन सी फसल, सब्जी और फूल ऐसे हैं जिससे किसानों को फायदा मिले। वहां इस ढंग का सिस्टम होना चाहिए जिससे किसानों को पता हो कि फसल में कितनी रासायनिक खाद की जरूरत है और वह उसकी उतनी मात्रा तय कर सके। इसी तरह ग्रामीण तकनीक को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। किसानों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और भूगोलिक स्थिति के अनुसार अनुसंधान की दृष्टि और दिशा होनी चाहिए जिससे हम किसानों का कुछ भला कर सकें, किसानों का उत्थान कर सकें। हमारे यहां छोटे किसान बहुत हैं। उनके लिए आधुनिक तकनीक व उपकरण आने चाहिए जैसे छोटे ट्रैक्टर हैं। मैं बाहर गया था। वहां मैंने देखा कि जिस किसान के पास दस बीघा जमीन है, उसके पास छोटे ट्रैक्टर हैं। इसी तरह हमारे यहां भी किसानों को अच्छी

">

">तकनीक व उपकरण मिलने चाहिए क्योंकि छोटा किसान बड़ा ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता है। अगर वह खरीद भी लेता है तो उसकी वसूली नहीं हो पाती है।

... (व्यवधान)
मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि किसान जब किसी ट्रैक्टर के लिए या कृषि के लिए लोन लेता है और उतना ही वह ब्याज दे देता है तो उसका लोन माफ कर दिया जाना चाहिए। ... (व्यवधान) मंत्री जी कह रहे हैं तो ठीक है। किसान को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिए। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि किसानों की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तथा किसानों के ब्याज वाला मामला बहुत गंभीर है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।">

">

">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पुराने सदस्य श्री राम नगीना मिश्र जी ने किसानों की समस्या पर बहस शुरू कराकर बड़ा भारी काम किया है। किसानों की पीड़ा अनंत है और उनकी समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं।

">

">श्री रघुवंश प्रसाद सिंह - जारी मैं डा. लोहिया के महामंत्र से शुरु करना चाहता हूं - ठडा. लोहिया का अरमान मालिक, हो मजदूर-किसान'' और

">

">जो जमीन पर पोरे बोए

">

">वही जमीन का मालिक होवे

">

">अन्न दान का घटना-बढ़ना

">

">अढ़ा सेर के अंदर हो

">

">हर करखनिया माल की कीमत

">

">लागत से डेढ़ गुनिया होए।

">

">हम बचपन से डा. लोहिया का यह नारा लगाते थे। इस महामंत्र के लागू होने से ही किसान का कल्याण होगा।

... (व्यवधान)
">

">कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : एक लाइन छूट गई है - बिना लगान की खेती-बाड़ी, उस पर लगे न मालगुजारी।

">

">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :देश में करीब ७५ करोड़ लोग खेती में लगे हुए हैं और जी.डी.पी. में कृषि का ३० से ३१ प्रतिशत तक योगदान है। कृषि मंत्री बार-बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय कृषि नीति लाएंगे। हम छः साल से सिर्फ बयान ही सुन रहे हैं लेकिन कृषि नीति का क्या होगा। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति तुरंत लाई जाए, संसद में इसपर बहस हो और किसान का कुछ भला हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए बिना किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। किसान जो पीड़ा झेल रहे हैं, यदि उसका वर्णन किया जाए तो दस मिनट भी कम होंगे।

... (व्यवधान)
सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं थी। बार-बार सवाल उठने से दो-तीन मंत्री आ गए, अभी भी दो-तीन मंत्री बाकी हैं। पैट्रोलियम मंत्री ने डीजल के दाम बढ़ाए हैं। लेकिन हमको लगता है कि वे फिर से डीजल के दाम बढ़ाने वाले हैं। किसान से इनको कितनी ममता है, यह समझा जा सकता है। यदि इन्होंने डीजल के दाम फिर बढ़ाए तो इनको मजा चखाया जाएगा।

... (व्यवधान)
">

">जल जमाव का सवाल उठा है। जल जमाव से किसानों की खेती-बाड़ी मारी गई, जमीन की मालगुजारी बेकार लगती है, उसमें गेहूं, धान आदि कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, लवणीय पदार्थ जमीन के अंदर से ऊपर आ जाते हैं और खेत खराब हो जाते हैं, उनमें सैलीनिटी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने जांच-पड़ताल की है। ऊसर भूमि विकास परियोजना लागू है। लेकिन बिहार की योजना सालभर से लंबित है। मैं नीतीश जी से कहता हूं, वहां से ऊसर भूमि विकास योजना का प्रस्ताव आया हुआ है। वह क्यों रुका हुआ है, उसे देखना चाहिए। जल जमाव दूर नहीं करवाते और उसके चलते वहां पीड़ा है। वहां का प्रस्ताव लंबित है। मैं लिखित में जानना चाहूंगा और बाद में भी जानना चाहूंगा। मैं इस सवाल को उठाऊंगा कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि विकास योजना का जो प्रस्ताव आया है, वह क्यों रोककर रखा हुआ है, उसे पारित क्यों नहीं करते। उत्तर बिहार की नौ लाख हैक्टेयर भूमि, माननीय कृषि मंत्री जी के एरिया मोकामा टाल में लाखों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है। जल जमाव के निदान की समस्या इनके विभाग में है। सिंचाई मंत्री हैं, उनके विभाग में भी जल जमाव की समस्या का समाधान हो सकता है। क्यों उपेक्षा हो रही है? स्पैशल ऐग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत जल जमाव की समस्या का समाधान भी हो सकता है। हम हिसाब बताएंगे कि कहां लंबित है और इसमें कितनी गड़बड़ी हो रही है।

">

">डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जारी बिहार में खाद का अभाव है।

">... (व्यवधान)
">मुझे संक्षेप में कहना है। जब किसान खोजता है तो हर जगह खाद का अभाव हो जाता है। अभी वहां गेहूं के उन्नत बीज का अभाव है। कृषि मंत्री को मालूम है कि नहीं, वहां हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को गेहूं का उन्नत बीज नहीं मिल रहा है, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। जब किसान को यूरिया देने की जरूरत होगी, डी.ए.पी. देने की जरूरत होगी, तो वह भी उसको ब्लैक में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा और मिलेगा तो जाली खाद मिलेगा। यह किसानों की पीड़ा है, इस ओर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। खाद के सम्बन्ध में, बीज के सम्बन्ध में, लघु सिंचाई के सम्बन्ध में प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि राजकीय नलकूप बन्द हैं। यह वर्लड बैंक की परियोजना थी, उसे बन्द कर दिया गया। सरकार के यहां राज्य सरकार की योजना लम्बित है। पम्पिंग सैट और निजी बोरिंग गाड़ने की जो योजना थी, उसमें केन्द्र सरकार से मदद होती थी, उसको बन्द कर दिया गया। उसे क्यों बन्द किया गया? अभी कितने प्रतिशत जमीन में सिंचाई हो रही है, इसलिए उस मामले में राजकीय नलकूप चालू करने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए और निजी नलकूप और पम्पिंग सैट में जो सब्सिडी का प्रबन्ध था, उसे शुरू करना चाहिए। इसीलिए किसानों की पीड़ा अनन्त है। कहीं किसान को बाढ़ से, सुखाड़ से, प्राकृतिक आपदा से, कहीं सरकार से, डब्लू.टी.ओ. से, मल्टीनेशनल से, व्यापारी से, ये सभी तरह से किसानों पर हमला है। इसीलिए किसान बेचारा अकेला क्या कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। **">**

">यहां बिजली मंत्री बैठे हुए हैं। आर.ई.सी. ने बिहार में ४० करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना की स्वीकृति दी। मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि ये उसको क्यों रोककर रखे हुए हैं, जब योजना स्वीकृत है? वह योजना वायबल है तो क्यों उसे रोककर रखे हुए हैं। आर.ई.सी. ने उसके लिए स्वीकृति दे दी, आज से साल भर पहले, लेकिन किसी न किसी तरह पेंच लगाकर उसका काम आगे नहीं बढ़े, किसानों की तबाही हो, किसान त्राहि-त्राहि करके मांग कर रहा है कि बिजली दो-बिजली दो।

">

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, situation simply is that I would love to see that every village in Bihar is electrified and REC is the most willing to cooperate. But it is the only State in India where we have coined a new term called `de-electrification of villages", that is the villages which are given electricity again land up without electricity after some time. We have found that almost 12,000 villages have come into this classification. So, I have ordered a CBI inquiry to check it up.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उसमें फिर कोई मंत्री जेल जायेगा, बचेगा नहीं।

... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आर.ई.सी. में जो गड़बड़ी है, उसकी जांच हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने इनको मौका दिया था, ४० करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत है तो ये क्यों उसे रोककर रखे हुए हैं, क्यों नहीं रुपया रिलीज होता है? मैंने इसे जानने के लिए सवाल उठाया, लेकिन कागज की बिचइया होने से क्या किसान का भला होगा? इस पर ये जवाब दें कि आर.ई.सी. से स्वीकृत योजना है कि नहीं, ४० करोड़ रुपये की और उसको ये क्यों रुपया रोककर रखे हुए हैं, क्यों नहीं रुपया रिलीज करते हैं, यह हमारा सवाल है?

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, I assure the former Minister and the senior Member of Parliament that if he gives a guarantee that those works will be done -- personally, I am not talking on a political basis -- I will see that the money reaches the Bihar State Electricity Board. My fear is that any money we give them goes into a deep well. You cannot see the end of it. If he can assure me that he can see that money would be spent properly, I would be the first one to see that the money reaches there.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय मंत्री जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण विद्युतीकरण के अभिलेख को मंगाएंगे तो वहां भी यह अनियमितता आपको मिलेगी। ... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अनियमितता १०-१५ वर्ष पहले हुई है। इसलिए उस अनियमितता के चलते काम रोक दिया जाये, विकास को अवरुद्ध कर दिया जाये, स्टेगनेट कर दिया जाये, यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वहां विकास होता नहीं है।

... (व्यवधान)

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, this is a very serious thing. The Minister is misleading the House. What happens is that whenever some allocation is made from REC, that amount is adjusted against the outstanding amount of the State.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not want any discussion on this.

... (Interruptions)

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, will you say that it is done properly?...(Interruptions) Will you face the privilege motion?...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Anil Basu, when you get the chance, you can speak.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन परियोजनाओं को मंजूरी दे दें। माननीय मंत्री जी हमारे राज्य के क्षेत्रों में २० जगहों से हैलीकाप्टर से गए, इसलिए बिजली देना उनकी भी तो जिम्मेदारी है। जिन क्षेत्रों में जाकर उन्होंने भाषण दिया, बिजली मंत्री वहां गए, तो बिजली भी तो जानी चाहिए। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि चालीस करोड़ की जो परियोजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं, उनके लिए पैसा रिलीज करायें।

जहां तक कोल्ड-स्टोरेज का प्रश्न है, हमारे देश में दो करोड़ ४० लाख टन आलू पैदा होता है, इस उत्पादन को देखते हुए हमें ५० परसेंट कोल्ट स्टोरेज की कैपेसिटी चाहिए, लेकिन सुविधा केवल एक करोड़ टन कैपेसिटी की है। इस स्थिति को देखते हुए, हम माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि सरकार को कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे यहां फल-सब्जी काफी पैदा होता है, इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार की स्थापना होनी चाहिए। फसल बीमा क्षेत्र में हमारी मांग है कि गांव को एक युनिट बनाया जाए और सभी किसानों को फसल बीमा योजना से सम्बद्ध किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude how.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : गन्ने से संबंधित १५ चीनी मिलें बन्द हैं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ करना चाहिए। सहाकारिता बैंकों के लिए भी मंत्री जी कुछ करें। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बन्द पड़े हैं। टैकनोलाजी मीशन से इसको चालू करने की योजना थी। पता नहीं, इसको भी रोक दिया गया है। कृषि मंत्री जी को इस बारे में भी ब्यान देना चाहिए। डेयरी आपरेशन फ्लड योजना को भी तुरन्त चालू किया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now.

(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, nothing is going on record now.

(Interruptions) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते जाइए, हम बैठे हैं। कोई-न-कोई अनुशासन तो होना चाहिए। पन्द्रह मिनट आपको बोलते हो गए हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, हम ये पाइंटस टेबिल पर रख देते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can write to the Minister.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मंत्री महोदय उनका जवाब देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर उनका जवाब दे देंगे।

---

* Not Recorded.

">

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मिश्रा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू कराई। बचपन से ही हम लोग पढ़ते आये हैं कि भारत किसानों का देश है। यह हम केवल किताबों में देखते रहे और गांव का विकास नहीं हुआ बल्कि उसकी दुर्दशा और बढ़ती गयी। यह बात ठीक है कि भारत के किसान ने दूसरी तरफ अपना सम्पूर्ण खोकर अन्न के उत्पादन में एक रिकार्ड कायम किया। यही कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गये हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के जनक और प्रेणता रहे हैं, उनके साथ इस सदन के भी एक सदस्य प्रो. एन.जी.रंगा काम करते रहे और जिन्होंने पूरे देश में किसान आंदोलन को एक दिशा देना का काम किया था। लेकिन आजादी के लम्बे काल में भी किसानों की स्थिति बदल नहीं सकी है। इसके मूल में समय का अभाव रहा है। विस्तार से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन सदन की भी उदासीनता इस बारे में रही है और यही कारण है कि आज किसान की इतनी दुर्दशा हो रही है। निश्चित तौर से राष्ट्र के ८० प्रतिशत किसान राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक हैं और उनकी दुर्दशा का कारण यहां की आर्थिक संरचना है। जब तक यहां किसान उन्मुखी संरचना नहीं बनेगी तब तक किसान की दशा नहीं बदल सकती है। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आलू की खेती करने वाले किसान को आलू का दो रुपया रेट मिलता है लेकिन वही आलू अंकल चिप्स के रूप में १५० रुपये किलो या इससे ज्यादा रेट पर बिकता है। किसान का आलू को पैदा करने का उत्पादन खर्च दो रुपया पड़ता है और उसको भी दो रुपया मिलता है और कभी-कभी तो इससे भी कम पर उसे बेचना पड़ता है। इसका कारण यह है कि थोड़े से औद्योगिकीकरण के बाद किसान से लिए आलू में थोड़े से मसाले डालकर, उसको १५० रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इसमें कोई विशेष मैकेनिज्म नहीं है लेकिन लाभ का अनुपात १०० प्रतिशत से भी अधिक है। आज किसान की स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह भगवान के भरोसे जिंदा है, और उसको उसके उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। कभी-कभी तो घाटे में भी उसको अपनी उपज बेचनी पड़ती है। इसके मूल में जैसा मैंने पहले कहा हमारी आर्थिक संरचना ही जिम्मेदार है। यह संरचना किसान-उन्मुखी नहीं है। यही कारण है कि आज गांव में बिजली नहीं है, सिंचाई का प्रबंध नहीं है। आज मध्य बिहार पूरी तरह से उग्रवाद से प्रभावित है। सभापति महोदय, आजादी के ५० वर्षों के बाद भी वहां की बेलगाम नदियों को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। जो हमारा परम्परागत तरीका सिंचाई का था वह भी धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है।

">

">भ्रष्टाचार इस कद्र व्याप्त हुआ है कि किसान इस शोषणतंत्र का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बन गया है। जे.आर.वाई स्कीम और गांव समृद्धि योजना है, इन सारी योजनाओं में ८० परसैंट लूट होती है। जिन नदियों के तटबंध टूट गए हैं उनसे सैकडों गांव तबाही के गर्त में चले गए हैं। वह अपनी स्थिति में ज्यों के त्यों हैं। किसानों की मूल समस्या पर कोई नजर रखने वाला नहीं है। मध्य बिहार की पुनपुन, दर्धा, मुरहर परियोजना जो तीन जिलों को लाभान्वित करने वाली है, यह बहुत बड़ी योजना नहीं है। माननीय जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। वे सभी गांवों की समस्याओं को जानते हैं। मध्य बिहार में लॉ ऐंड आर्डर पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। वहां के बेरोजगार युवकों को काम मिले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वे दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए, रिक्शा और ठेला चलाने के लिए जाते हैं लेकिन अपने क्षेत्र को श्रम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि उनके पास साधन नहीं है। ऐसी विकट स्थिति में निश्चित रूप से हमें सोचना होगा। जब तक मूल समस्या को किसानोन्मुखी नहीं करेंगे तब तक किसानों का विकास नहीं होगा। कैपिटल ओरियंटिड सोसायटी को शक्ति देंगे तो कोई भी सरकार जो सत्ता में आएगी हम रिड़ैसल कर सकते हैं।

">

">अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें भय है कि जब तक लेबर ओरियंटिड आर्थिक संरचना नहीं बनेगी और कैपिटल ओरियंटिड संरचना रहेगी तो जिस तरह से आज इंडस्ट्री का स्वरूप बन गया है और इंडस्ट्री के प्रोडक्टस को सपोर्ट आर्थिक संरचना दे रही है उसी तरह से समर्थन मूल्य हैल्पलैस रहेगा और वह भिखारियों के लिए रहेगा। समर्थन मूल्य जो देश की किस्मत बना रहा है वह बिचौलियों के बीच चला जाता है।

">

">यहां डीजल का सवाल उठा। किसान जो डीजल का उपयोग करता है, उससे लाभ जोड़ा जाए तो उसको डंठल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वह धान और मक्के की खेती करता है तो उसके हिस्से डंठल ही आते हैं। समय का अभाव है। मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आर्थिक संरचना किसानोन्मुखी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर मल्टीनैशनल खेती में कैपिटल के माध्यम से किसानों और मजदूरों का शोषण करेंगे, लोहिया जी, सहजानन्द सरस्वती और प्रो एन.जी. रंगा जैसे लोग जो किसान आन्दोलन के जनक रहे हैं, उनकी सारी अवधारणा धूल धूसरित हो जाएगी और मल्टी नेशनल हमारे यहां टमाटर की खेती करने आएंगे। ऐसे में किसानों की जो दुर्दशा होगी उस पर हम सिर पीटते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानोन्मुखी आर्थिक संरचना बने और राष्ट्रीय किसान नीति बने। इसके साथ-साथ खेती को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जाए। किसानों के स्तर को उठाने के लिए विभिन्न सहयोगी जो विभाग हैं, जल संसाधन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और योजना विभाग को इस पर मिल कर विचार करना चाहिए ।

">

">एक राष्ट्रीय किसान नीति निर्धारित करके,जो राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र की रीढ़ हैं, उनका शोषण बंद करें। इसलिये एक समेकित योजना बनाकर हम सकारात्मक दिशा की ओर२१वीं सदी में जायें, हम सरकार से ऐसी उम्मीद रखते हैं। यह मुद्दा संवेदनशील है। इन सारे सवालों पर समेकित रूप से विचार करेंगे और किसानों के बारे में बचपन से जो पढ़ा करते थे, उसे यथार्थ पर उतारने का प्रयास करें।

">

">इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

">

">

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मुझे विश्वास है कि समाजवादी पृष्ठभूमि से आये हुये हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तार से और निश्चित तौर पर विचार करेंगे। उनके लिये कुछ करने का प्रयास भी करेंगे।

">

">आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज देश में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे असंगठित हैं। उनकी कोई यूनियन नहीं है जिसके माध्यम से वे अपनी आवाज सड़क से ऊंची उठा सकें, अपनी मांगों के लिये लड़ सकें और इक्ट्ठे हो सकें। आज इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इल बिन्दु पर विचार करना चाहिये कि इस बड़ी पंचायत में जहां हम सब विद्वान इक्ट्ठे हुये हैं, उनको विचार करना चाहिये कि इस सदन में २/३ सदस्य

कासानों द्वारा भेजे गये हैं।याहे किसान असंगठित हैं लेकिव आपका और हमारा दायित्व है कि उनकी समस्याओं के बारे में हम सब मिलकर यहां उठायें और उनकी समस्याओं पर विचार करें। हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने उनके बारे में तरह तरह के सुझाव रखे। आगे कुछ करने की बात कही। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कुछ देने के लिये जो प्रयास किये गये हैं यदि उनमें जरा और जोर लगा दिया जाये और कृषि मंत्री, बिजली मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी की थोड़ी कृपा हो जाये तो उनकी वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

">

"उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले किसानों की वर्तमान में बिजली की समस्या है। पूरे देश और विशेषकर मध्य प्रदेश में किसान बिजली न मिलने से काफी परेशान हैं। इस बात को हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने यहां उठाया है। मैं सूक्षम में इतना निवेदन करन चाहूंगा कि यदि बिजली की कमी है तो प्रतिशत के आधार पर उनको बिजली दी जाये। हम ए.सी. में सोने वालों को देते हैं, पांच सितारा होटल में रहने वालों के देते हैं और शहर में एशो-आराम दे रहे हैं तो उसमें भी प्रतिशत के आधार पर तय किया जाये। इस देश में किसानों को पहले आवश्यकता है। पहले किसानों को बिजली दी जाये और जो बचेगी वह शहर में ए.सी. चलाने वाले को दी जाये। यह प्रतिशत निश्चित रूप से तय की जाये क्योंके शहर में रहने वाले जो असरदार लोग हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। गांव में रहने वाले की आवाज शहरों तक नहीं आती। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे चीफ इंजीनियर, उनको बिजली की आवश्यकता रहती है तो वे कहते हैं कि हम दे रहे हैं लेकिन वे पर्याप्त बिजली नहीं देते हैं।

">

"इसलिए मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से बिजली का प्रतिशत तय किया जाए। मैंने पूर्व में जो निवेदन मंत्री जी से किया था कि बहुत सारी सिंचाई योजनाएं हमारे यहां अधूरी पड़ी हुई हैं, वह सिंचाई योजनाएं केवल किसानों को पानी ही नहीं देंगी, बल्कि यदि वह सिंचाई योजनाएं पूरी हो जाएं तो उससे पानी और बिजली किसानों को मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में बाणसागर योजना संभवतः १९७३ से प्रारंभ की गई थी जो अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। थोड़ा सा काम बचा है लेकिन बार-बार सरकारों के परिवर्तन से या जो भी परिस्थिति कही जाए, वह योजना अधूरी पड़ी हुई है। वह योजना केवल किसानों की सिंचाई के लिए नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ बिजली उत्पादन में भी उसके पानी का उपयोग होगा। जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से २०० करोड़ रुपया हर महीने हम बिजली के उत्पादन से पैदा कर सकते हैं, अगर बाणसागर परियोजना पूरी हो जाए। इससे वहां के किसानों को बिजली भी मिलेगी और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को पर्याप्त पानी भी मिलेगा। लेकिन वह क्यों लंबित पड़ी है इस पर केन्द्र सरकार भी विचार नहीं कर रही है। वह तीन सरकारों के बीच में लटकी प्रड़ी हुई है। २:१:१ के रेशियो में उस योजना में भागीदारी है। मध्य प्रदेश की दो प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की एक प्रतिशत, बिहार की एक प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश ने अपना लगभग पैसा दिया है। मध्य प्रदेश ने अपना पैसा लगाया है लेकिन बिहार ने कोई पैसा नहीं दिया है। उसकी वजह से वह एक बहुत बड़ी योजना जिससे केवल मध्य प्रदेश के किसान ही लाभान्वित नहीं होंगे, बिजली के उपभोक्ता ही लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान और बिजली के उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे, लेकिन न जाने बिहार में क्या परिस्थिति है कि वह पैसा नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपये सरकार के लंबित पड़े हैं और वह योजना वर्षों से लंबित पड़ी है और पूरी नहीं हुई है। मैं इर्रीगेशन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उधर थोड़ा सा ध्यान दें और जहां तक मुझे जानकारी है, उसके यहां एक योजना है ऐक्सीलियरेटेड इर्रीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। यह जो आपकी योजना है, इसके तहत कुछ धनराशि निकालकर बिहार का जो प्रतिशत है, वह मध्य प्रदेश सरकार को दे दिया जाए जिससे कम से कम यह योजना पूरी हो जाए और इस देश को २०० करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली मिल सके और बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली मिल सके और उनके खेतों की सिंचाई हो सके। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है।

">

"लंबी-लंबी बात करना कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। जो आपकी नजरों में टूटी हुई चीज़ है, केवल उठाकर उसको खड़ा करना है, ऐसी योजनाओं पर आप विचार करें।

">

"मैं इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारी सिंचाई की योजनाएं ऐसी हैं कि डैम है, पानी है, नहरें टूट पड़ी हैं, किसान के खेतों में पानी नहीं जा रहा है। प्रदेश सरकारों के पास उसको सुधारने के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, इतना पैसा नहीं है। मेरा अनुरोध है कि एक राशि उपलब्ध करा दें जिससे जो अधूरी योजनाएं किसानों के उपयोग में नहीं आ रही हैं, वह उपयोग में आ सकें।

">

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बाल्यकाल से सुना है औरपढ़ा है जैसे हमारे एक लायक मित्र कह रहे थे कि यह देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसानों को कहां प्रधानता मिल रही है, इस बात की हमको तो जानकारी नहीं है लेकिन वह अनाज किसान पैदा करता है अपने खेतों से और शहरों में आता है और शहर में रहने वाले पूंजीपति फाइव स्टार में वही अनाज खाते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं गरीबों के पैसे से फाइव स्टार में जा रहे हैं उद्योगपति और व्यापारी।

उन्हीं गरीबों के पैसे से बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यापारी वही अनाज खा रहे हैं। यदि उन गरीब किसानों को आज फाइव स्टार में खड़ा कर दें तो वहां की चांदनी और चारों तरफ का वातावरण देखकर पागल हो जायेंगे। यह हमारे देश की स्थिति है, आज उन्हें वहां जाने को नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन यह है कि सब्सिडी के माध्यम से इस देश में यह परिलक्षित किया जाता है कि जैसे किसानों के ऊपर कोई बहु बड़ा एहसान किया जाता हो। यदि हमने फर्टीलाइजर में सब्सिडी दे दी, बिजली में कोई छूट दे ली किसी स्टेट ने कोई सब्सिडी दे दी तो यह कहा जाता है कि हमने इस देश के किसानों के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इस देश में यह वातावरण निर्मित किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि आप सब्सिडी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ यह वातावरण निर्मित करना का किसानों के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया गया है, यह उचित नहीं होगा। हमारा कहना है कि आप सब्सिडी खत्म कर दीजिए। लेकिन किसानो के उत्पादन की जो उचित लागत है, उसके दाम उन्हें दे दीजिए। चार सौ रूपये अनाज का जाता है, वह हमें डेढ़ हजार या दो हजार रुपये क्विंटल दे दीजिए, हमें सब्सिडी मत दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी निवेदन है कि सिंचाई की जो योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, उन पर हमारे कृषि मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही है, उसका प्रतिशत तय करके किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

">

श्री तरलोचन सिंह तुड़ (तरनतारन) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में किसानों के मसले पर बहस हो रही है। क्योंकि पिछले पचास सालों में किसानों की जो हालत हो गई है उसके कारण आज किसान का बेटा खेती करने को तैयार नहीं है। यदि हम उनकी हालत पर विचार नहीं करेंगे, इस पर गहराई से चिंता नहीं करेंगे तो देश को आगे आने वाले समय बहुत नुकसान होगा। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो खेती को सबसे उत्तम माना गया था। उस समय एक कहावत थी - 'उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखद चाकरी भीख निदान'। लेकिन पिछली सरकारों ने ५० सालों में जो पालिसीज चलाईं, उसके कारण खेती-बाड़ी घाटे का धंधा बन गया। जिसके कारण किसान का बेटा चाहे वह दसवीं पढ़ा हो, ग्रेजुएट हो या एम.ए. हो, वह बोलता है कि हम खेती नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, चाहे प्यून की नौकरी क्यों न मिल जाए। खेती का धंधा आगे आने वाले सब परिवार छोड़ रहे हैं। क्योंकि खेती की प्रोडयूस के जो प्राइस हैं, वह दूसरी चीजों की कीमतों के साथ आजादी के बाद से पूरे नहीं मिल रहे हैं। जो मुलाजिम हैं वे यूनियन बना लेते हैं, डिमांड करके अपनी मांगें मनवाकर वेतन ले लेते हैं, अपना हक ले लेते हैं। लेकिन किसानों का हक छीना गया है, जिस तरह से प्राइस इंडेक्स बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा है। इसलिए खेती घाटे का धंधा हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि इस पर विचार करके खेती को तरक्की देने के लिए, सहूलियत देने के लिए प्रबंध किया जाए। जहां तक मार्केटिंग का सिस्टम है, वह बहुत पुराना सिस्टम है। किसान सब्जी उगाता है, उसकी जो कीमत होती है, उसे उसका ठेका भी दें। वह बुआई करता है, गुड़ाई करता है, पानी लगाता है, खाद देता है और जब किसान के खेत से सब्जी निकलती है तो वह उसकी धुलाई करता है, मंडी में ले जाता है।

">

">उपाध्यक्ष जी, किसान की सब्जी ३५-४० रुपए मन बिकती है और जब व्यापारी उसको वहां से खरीद कर अपनी दुकान में रख लेता है, तो कंजूमर को तीन-चार रुपए किलो देता है और किसान को एक रुपया किलो भी नहीं मिलता। जो मार्केटिंग का सिस्टम है वह भी ठीक नहीं है। धान का रेट ४९० रुपए प्रति क्विंटल था । क्योंकि सरकारी एजेंसी से साठगांठ करके व्यापारियों ने किसान की धान सरकारी खरीद एजेंसी को नहीं खरीदने दिया और व्यापारियों ने सस्ती यानी ३५० रू. के करीब खरीद कर दूसरी मंडियों में जाकर वही धान ऊंची कीमत पर सरकारी एजेंसियों को बेच दी। इस प्रकार से व्यापारी सारा फायदा ले गया और किसान की अरबों की कमाई लुट गयी। अब दिसंबर जनवरी का महीना आ रहा है। इतनी ठंड में वह गेहूं को पानी लगाएगा और सर्दी में उसके हाथ-पैर भी सुन हो जाते हैं खून जम जाता है जिसके कारण वह चल-फिर भी नहीं सकता, कई बार सांप पैर के नीचे आ जाते हैं, फिर भी जान खतरे में डाल कर लेकिन सर्दी में पानी लगाता है। इसी प्रकार सावन, भादों वर्षा और जेठ की गर्मी में धान लगाते साय उनके पैर गल जाते हैं, वह गुड़ाई करता है जिससे उनके शरीर भी झुलस जाते हैं। इसी कारण है हमारी औलाद खेती करना छोड़ रही है। यह बहुत सीरियस बात है। हिन्दुस्तान की ७५ फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है और इंडस्ट्री, व्यापार तथा तथा एम्पलायमेंट भी खेती पर ही निर्भर है। देश के खजाने की आमदनी है वह भी खेती पर निर्भर है। अगर खेती खत्म हो गई तो इससे देश की आर्थिकता लडखडा जायेगी। अगर अभी इसके बारे में नहीं सोचा गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिये किसान की मुश्किलों की तरफ अभी गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकत है।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कितनी भी तरक्की कर ले, करोड़ों की संपत्ति बना ले, उस पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जमीन के बारे में लैंड सीलिंग एक्ट लागू है। इससे भी खेती उत्पादन में बहुत कमी हो रही है। अगर कोई किसान २०० या २५० रुपए का मालिया भी न दे सके, तो तहसीलदार पुलिस के साथ उसके डंगर खोल कर ले जाता है। उसके बर्तन उठाकर ले जाते हैं। उसकी बहुत बेइज्जती की जाती है। इंडस्ट्री वालों का दो नम्बर का करोड़ों रुपया राइट-आफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान का उत्पीड़न किया जाता है। वह बन्द होना चाहिए। जो किसान उसी समय मानिया अदा नहीं कर सकता, बनाये उसकी बेईनत्ती करने के, उसको अदा करने के लिये और समय दिया जाना चाहिये। या मुआफ कर देना चाहिये।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, जो बुवाई की पालिसी है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार को कि बुवाई करने से पहले बताना चाहिए ताकि किसान को यह मालूम रहे कि कौन सी फसल बीजनी है और उसका सरकार कितना भाव देगी। इस बार किसान ने तिलहन बोई और सरकार ने तेल बाहर से आयात कर लिया और किसान को बहुत घाटा हुआ। इससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसी प्रकार से चीनी बाहर से मंगवाई। हमारे देश में शुगरकेन सफीशिएंट है, लेकिन सरकार चीनी बाहर से मंगा लेती है। इस प्रकार से किसान को बेतहाशा नुकसान होता है। और वे गन्ने की बिजाई को कम करने लगे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जो एक या दो एकड़ जमीन रखने वाले किसान हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए रिजर्वेशन मिलनी चाहिए क्योंकि गांवों में पढ़ाई की अच्छी सुविधा नहीं है और उनके बच्चे देश की सेवा करने से वंचित रह जाते हैं और जो पांच एकड़ से कम वर्ग के जमींदार हैं उनके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, जो एडल्ट्रेशन है वह रुकनी चाहिए। गलत बीज दिया जाता है, खाद नकली दी जाती है। किसान खाद भी डालता है, पानी भी देता है, लेकिन बीज अच्छा न होने के कारण उसका झाड़ नहीं मिलता। इससे किसान का बहुत नुकसान होता है। और देश का उत्पादन भी घटता है। नकली बीज, खाद,कीडेमार और जडीबूटी नाशक दवाईयां और रसायन बेचने वालों को सजा मिलनी चाहिए।

">

">आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने और हमारे देश के किसानों ने अपने देश को अनाज में जो आत्मनिर्भर किया है, उसका श्रेय किसान को ही जाता है। इसलिये किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये। मैं साइंसदानों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेहनत करके अच्छे हाईब्रिड बीज पैदा किये, अच्छी खाद और दवाइयों पैदा कीं। इसके साथ खेती को और प्रफुल्लित करने के लिए एनीमल हसबैंडरी, फिशरी पोल्ट्री, पिगरी और शहद की मख्खी और फार्मिंग में फैसीलिटीज देने के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए तथा बागवानी के लिये ज्यादा बजट रखना चाहिए। खेती को और सबसिडी देनी चाहिए ताकि खेती करने वाले लोगों की हौंसला अफजाई हो और वह अपने कार्य से नफरत न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

">

">(इति)

">

">उपाध्यक्ष महोदय : श्री धर्म राज सिंह पटेल।

">

">

... (व्यवधान)
">

">SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, the discussion can be spilled over till tomorrow. It is already eleven o"clock and there are still many more Members to speak. How are we going to manage it?

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Ten more Members are there, apart from the thirteen Members whose names were called and who were not here. Most of them are now here again. I do not know how we are going to finish before 12 o"clock. I think we will have to do something. If all those Members whose names were called can lay their speeches on the Table and if these ten Members take five minutes each, then only we will be in a position to finish. Otherwise it will be very difficult to do so because most of the Members are now sitting here and Minister"s reply is also going to be there.

">SHRI M.O.H. FAROOK : Why do we not have it tomorrow?

">MR. DEPUTY-SPEAKER: How much time you need, Shri Nitish Kumar?

">THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): It all depends upon you, Sir. MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me hear the Minister of Parliamentary Affairs also.

">THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Sir, there is a lot of business and we do not have much time left for that. So, we want that this discussion should be over today.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, then I shall ask the Minister to reply.

">SHRI M.O.H. FAROOK : We have no objection at all, Sir.

">SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Sir, if the Members want, they can lay their speeches on the Table.

">SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, we are taxing the MPs., the officers and all others concerned. There was an understanding to stretch it out till eleven o"clock. But then you are stretching it again. Let us sit for the whole day. Our mind also should work. I cannot understand why the Minister of Parliamentary Affairs is pressing too hard for this. It is not that we do not want to cooperate; we are prepared to cooperate.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: I think all the parties have participated. If the House agrees, I shall now ask the Minister to reply. Not a single party is now left out. What the Minister of Parliamentary Affairs has suggested is true also. We have a very lengthy list of business to be transacted. How many days are left now? So, if the House agrees, I shall call the hon. Minister to reply.

">SOME HON. MEMBERS: No, Sir.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: You see, I called the name of Shri Athawale but he was not present here.

">SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, since six o"clock when the discussion started, I have been sitting here. For a few minutes only I went outside.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Whether it is five minutes or ten minutes, Shri Basu, I called your name but you were not here. I do not know whether you were here or you were outside. I called hon. Member, Dr. Kusmaria"s name. He was not here; he is sitting here now. Shri Athawale"s name was called, Shri Mahale"s name was called. All these names were called. Whether you were in the Lobby or outside elsewhere, I do not know that.

">I do not know that. I called all of you. You were not here.

">... (Interruptions)

">SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): No sir. It is not that. I was here. ...(Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER : To be fair to all ...

">... (Interruptions)

">SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, my submission is that we can take up the reply tomorrow.

">MR. DEPUTY-SPEAKER : Let me tell you one thing. Either the House has to resolve that the hon. Minister will give his reply now or ...

">... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER : We may have to sit for at least two more hours. There are still 23 Members.

">श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अब मंत्री जी को बुलवाइए, और कितनी रात तक बिठाएंगे? हम बिना भोजन-पानी के बैठे हुए हैं।

">

">श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : मेरे ख्याल से यह मामला काफी महत्वपूर्ण है, इसे कल तक पूरा कर लें। सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। ऊपर खाना भी ठंडा हो गया है।

">

">

... (व्यवधान)
">

">Sir, the Members will not be able to have their food.

">MR. DEPUTY-SPEAKER : Members have gone and they have been taking their food.

">SHRI J.S. BRAR : Sir, my only concern is that those Members who have given their names should be allowed to speak. It is only possible if we take it up tomorrow.

">MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Brar, I came and occupied the Chair at 8 p.m. It is almost three hours that I have been sitting here. We are only conducting the business of the House. Some Members are taking undue time and delaying. The same things are expressed. After all, if the cooperation comes from both the Government and the Opposition, then only we will reach to a point. My

suggestion is that one or two persons from this side and the other side may speak. If the Government also cooperates, we will conclude this early by calling one Member from this side and another from that side. We will take some 15-20 minutes and then we will ask the hon. Minister to reply. He can reply to it if all of you cooperate.

">SHRI ANIL BASU : Sir, we are cooperating from the very beginning. This is an important discussion. Almost 70 per cent of our population is undergoing this problem. ...(Interruptions) All the nation"s economy is in peril.

">श्री प्रभुनाथ सिंह : अब लिखित में ले लीजिए और प्रोसीडिंग्स में डाल दीजिए। मंत्री जी से बुलवाइए।

">

">MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Anil Basu, from your Party Shri Roy has spoken.

">SHRI ANIL BASU : Sir, he has spoken only half portion. He has not made all the points.

">MR. DEPUTY-SPEAKER : Members from your Party and their Party have spoken. I called Shri Tur from Shiromani Akali Dal who has participated in the debate now. Members from almost every Party have spoken. If you cooperate, one or two persons from each side can be allowed.

">SHRI ANIL BASU : No Sir, we have not taken our food. We have made our points. ...(Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER : If you do not, then one of you may come and relieve me. You conduct the House till one o" clock and then let the Minister reply. After all, I am also a human being. I am sitting for three hours. I cannot sit more than that. There should e some cooperation from every quarter.

">एक माननीय सदस्य : इसे कल के लिए कर दें।

">

">उपाध्यक्ष महोदय : कल के लिए इतना बड़ा लैजिस्लेटिव बिजनस पैंडिंग है।

">

">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : किसान का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार का बिजनस तो होता रहता है।

">

">श्री प्रभुनाथ सिंह : यदि सदन इसे इतना महत्वपूर्ण मानता है तो छः बजे के बाद क्यों रखा गया, इसे पहले से रखा जाता।

">

">SHRI ANIL BASU : Sir, all the legislative business will not consume much time. They are all very small Bills. ...(Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER : All of you are talking the same things.

">THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, we have to pass the Supplementary Demands. The Demands for Railways are there. These are the financial matters. These have to be completed. ...(Interruptions) Let me complete. If you want me to talk, then let me talk. Otherwise you speak and I will listen. ...(Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER : You hear the hon. Minister now.

">SHRI ANIL BASU : Sir, the Supplementary Demands for Railways are coming on Monday.

">SHRI PRAMOD MAHAJAN : Sir, if you recall, the discussion under Rule 193 is allowed for two to two-and-a-half hours. All subjects are important. I do not say that this subject is more important than that subject. All subjects are important. We scheduled this for yesterday. Yesterday due to some other business we could not complete it. We scheduled it again for today. We have given almost double the time which was due.

">Sir, we know that the Supplementary Demands for Grant (General) and then Supplementary Demands for Grant (Railways) have to be passed. There are some other Bills pending. All these Bills have to go to Rajya Sabha. We have to discuss WTO.

">Whenever any discussion starts, people say that this is the most important discussion under the sun and they want maximum time for it. It is not possible. Let us complete it today. I think, Members from all the political parties have spoken. Let the hon. Minister answer it. People can speak on some other subject. This is not the end of the day today. ....(Interruptions)

">आप भी बहुत बार बोल चुके हैं। मैं आपको बचपन से जानता हूं। यह कोई आखिरी सबजैक्ट नहीं है। बहुत से सबजैक्टस हैं, जिन पर बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह कोई आखिरी सबजैक्ट है। ऐसा थोड़े ही है।

">

उपाध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी डिमांडस आ रही हैं।

... (व्यवधान)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : मैं तो यहीं बैठूंगा। मैं तो यहां से जाउंगा ही नहीं। यह क्या है?

... (व्यवधान)
मैं सचमुच यहां से नहीं जाऊंगा।

श्री प्रमोद महाजन : आप दूसरों को सुनो तो सही। यह १९३ का एक डिस्कशन है, कल सप्लीमेंटरी डिमांडस हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री पर चर्चा कल आने वाली है, वह भी ४-५ घंटे बहस चलेगी, उसमें भी किसानों के इश्यूज़ को उठाया जा सकता है। कोई आज के डिस्कशन में ही किसान के इश्यू उठायें तो आज कोई फैसला तो होने वाला नहीं है। १०.३० बजे यहां प्रैस भी नहीं है, कल दिन में दोपहर दो बजे बहस शुरू होगी, आप उसमें बोलकर अगर विषय उठाएंगे, अच्छे किसानों के विषय रखेंगे तो वह लाभदायक हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि १९३ में ही इसकी बहस होनी चाहिए।

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : जिनको अब मौका नहीं मिल रहा, उनको कल कैसे वक्त मिलेगा?

... (व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: We are discussing Supplementary Demands for Grants tomorrow. Even people can raise the issue of farmers in that.

जो बैठे हैं, उनको पहले अवसर दिया जायेगा।

They will get ample opportunities to speak about it.

ये हर विषय पर बोलते हैं।

He should not say that they will be able to speak tomorrow. They will never get a chance to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I am telling you that Shri Athawale and this gentleman was not here. These two were not here. I called them. Mr. Basu was also not here.

SHRI ANIL BASU : What is my fault? I could have been called later. ....(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You were not here. That is your fault.

SHRI ANIL BASU : For a few minutes, I went out and that too to the toilet. Is it unnatural for a Member? How are things going on in this House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thirteen Members were absent. Had all of them gone for call of the nature?

SHRI ANIL BASU : The hon. Minister told that dinner will be offered, let the discussion be completed today. Now, he is changing his stand. How are things happening in this House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let us decide five minutes for every Member. There are four or five Members to speak. Now, this gentleman, Shri Natchiappan, Shri Basu and one Member from the other side will speak.

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह डिसाइड रहा कि यहां से एक आदमी को निपटायें, श्री बसु और श्री नचियप्पन को मौका मिलेगा।

">

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय जो किसानों की स्थिति है, उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज जब सदन रात को ११ बजे किसानों की समस्या पर विचार कर रहा है तो मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और देश स्तर पर है, लेकिन वहां गांवों में बिजली मुश्किल से ६-७ घंटे दी जा रही है। किसानों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, खेतों की भराई नहीं हो पा रही है और स्थिति यह है कि वहां गांवों में जो बिजली शाम को ६ बजे मिलनी चाहिए, नौ बजे रात तक बिजली रहती नहीं है और रात को १० बजे बिजली आती है और सुबह पांच बजे बिजली काट दी जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है, जिसके कारण वहां किसानों के लड़कों की न पढ़ाई हो पा रही है, न उनकी किसी समस्या का समाधान हो पा रहा है। साथ-साथ आज बुआई का समय चल रहा है। वहां डी.ए.पी. खाद की कमी है, किसानों को डी.ए.पी. खाद नहीं मिल पा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो वहां लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं तो एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेने में १५ से २० हजार रुपये का खर्च खेत की रजिस्ट्री कराने में आता है, रजिस्ट्री करने के बाद जब उसको ट्रैक्टर मिलता है । मैं कृषि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वित्त मंत्री को सलाह दे कि बैंकों के लिये निर्देश दिया जाए कि किसानों के लिए ट्रैक्टर की खरीद पर १५ बीघे जमीन का मोर्टगेज न किया जाये एंव स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लें। दो-तीन बीघे पर ट्रैक्टर के लिये लोन दिया जाए।

">

">23.00 hrs.

">महोदय, इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास परिषद द्वारा कालोनियां बनाई जा रही हैं, लेकिन गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। करीब एक बीघे पर एक लाख रुपया दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश आवास परिषद कम से कम दस लाख रुपए में फलैट बनाकर बेच रही है और किसानों से नौ लाख रुपए का घाटा दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों से वर्तमान रेट पर जमीन ली जाए। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई की सुविधायें भी उपलब्ध करानी चाहिए। ट्रांसफोर्मर्स ठीक न होने के कारण किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें।

">

">इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

">

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Respected Deputy-Speaker, Sir, the problems of the agriculturists in my constituency are many, even though there are 3,400 irrigation tanks within a radius of 10,000 square kilometres. You can call my constituency a `Lake City" because all of them were naturally formed. If the monsoon is regular for two or three times, then the rain water fills up all these 3,400 irrigation tanks. These types of tanks were not properly maintained. Therefore, I suggest that the Ministers of Agriculture, Water Resources, Rural Development, Environment and Forests should sit together and formulate an integrated scheme so that we can get good crops every year, and at the same time, the ground water level can also be improved by this method.

">The European Commission has already granted a certain amount, but it was not spent on all the tanks; it was spent only on three or four tanks. Therefore, there should be an integrated programme so that this aspect could be properly looked into. In a written reply to a question, it was mentioned that the National Water Development Agency has plans to link all the rivers in the Southern peninsula. The Government should take it up as a challenging project because it will help people in all the Southern districts of Tamil Nadu in getting water throughout the year. It will also benefit the people as they can go in for more crops. Thank you.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, the year 1999 can be named as a `year of agony" for the Indian farmers. When we are entering into the next millennium, the farmers of different strata, that is, poor, marginal and big farmers, are facing unprecedented crisis in our country.

">Before going to my main point, I want to bring to the notice of the hon. Minister, through you, about a very important problem which my State is facing. Now, the Rabi cultivation has started. The IFFCO, the public sector fertiliser company, could not send fertilisers to West Bengal because there were no rail rakes available with them. Twelve rail rakes are required to send fertilisers to West Bengal. If those rail rakes are not made available to IFFCO, then the whole Rabi cultivation in West Bengal would suffer. I think, the hon. Agriculture Minister would take up this issue with his colleague the Railway Minister.

">I do not know as to what is his term with the hon. Railway Minister. It is because after a lot of push and pull only my good friend Shri Nitish Kumar has been chosen by Shri Atal Bihari Vajpayee, the hon. Prime Minister to head the Ministry of Agriculture. But there are reports in the print media and there is an apprehension also that his present dispensation is an ad hoc one and he is looking forward to the coming Assembly elections in Bihar. If the BJP and the Samta Party combine succeeds in Bihar, then he would have a major role to play there. I do not know as to how well he would do in this Ministry but I wish him well.

">Sir, the main problem, besides land, is the problem of irrigation, good seeds, fertilizer, credit, storage, marketing and support price. These are the areas where the farmers of our country are facing crisis. After liberalisation and globalisation new challenges are emerging in the agriculture sector.

">Now, the question is, how to deal with these emerging challenges? How to equip our farmers to deal with these challenges? I am sorry to say that the Union Agriculture Ministry has so far failed to equip our farmers to meet the new challenges.

">Sir, I am in complete agreement with the views expressed by Prof. Ummareddy Venkateswarlu of the Telugu Desam Party. I also support my senior colleague, Shri Raghuvans Prasad Singh. When he was the Minister he tried very much to separate and create an autonomous institute known as the ICVR which would have been separate from ICAR. I think, the present Agriculture Minister should give importance to this proposal of creating a separate autonomous institute as the ICVR. The veterinary section should be separate from the ICAR.

">Sir, there is no legislation, even after 52 years of our Independence, for the agricultural workers who are the backbone of the farmers. There are about 11 crores of agricultural families in this country. Through their sweat and toil, the farmers are feeding the people of this country. But these agricultural workers, who mostly belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes community, are being neglected. There is no legislation for them. We have tried to do something for them in the State of West Bengal. We have introduced pension and provident fund for the farmers. Such type of schemes should be started throughout the country for the farmers. The Central Government must take an initiative regarding taking up this issue at the Central level.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

">SHRI ANIL BASU : After liberalisation about 1300 items have been put under OGL and several commodities such as rice, wheat, sugar are being imported. I am told that rice is now coming to the Bombay port and after unloading price of rice is about Rs. 700 per quintal, that is, Rs. 7/- per kg. The scenario that is emerging after the WTO, liberalisation and globalisation is adversely affecting our whole economy. The Union Agriculture Ministry is not prepared to face up to these challenges. That is why there is so much frustration among the farmers of our country. More than 100 farmers have already committed suicide. The farmers of Andhra Pradesh, Punjab - those provinces which are very much developed in agriculture -- have committed suicide. Why is it so? It is because they are very much frustrated. There is a vicious circle of debt and repayment for which the farmers are suffering. Now, the Government now is boasting of issuing credit cards.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

">SHRI ANIL BASU : How many credit cards have so far been provided to the farmers? In my constituency there are four lakh farmer families.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: You reserve something for the general budget discussion tomorrow and conclude now. Otherwise, I will

be compelled to stop you.

">SHRI ANIL BASU : I will conclude shortly, Sir.

">Before coming to attend this Session, I tried to collect information in this connection. I found that only 1400 credit cards have been distributed so far by the nationalised banks. That comes to not even 0.4 per cent of the number of families. Therefore, I want to tell hon. Nitishji that pious platitudes will not work. Farmers are suffering very much. With the emerging challenges due to liberalisation and globalisation and with what happened in Seattle very recently, if we do not come forward to equip our farmers to meet the new challenges, our agricultural economy would be put in peril. I charge that this Government has no responsibility towards the farmers. Even the National Agriculture Policy has been formulated after the emerging challenges.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please conclude now?

">SHRI ANIL BASU : I will speak only one sentence more, Sir.

">To face these challenges, the Union Ministry of Agriculture must come forward with a new agriculture policy taking into consideration the challenges before the Indian farmer to help him to resolve these challenges.

">

। डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): महोदय, किसान खुदकशी की ओर जा रहा है। पंजाब में लगभग सौ लोगों ने आत्महत्या की, आंध्र में, महाराष्ट्र में भी खुदकशी की घटनाएं सामने आई हैं, जोकि शर्मनाक हैं। आसमानी और सुल्तानी आपदाओं के कारण किसान परेशान है। इसके कारणों की तह में जाना पड़ेगा। सरकार को इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने पड़ेंगे।

">

">१. फसल का बीमा एवम् सरल ऋण सुविधा।

">

">२. कृषि उपज का लाभकारी मूल्य देना।

">

">३. समय पर उचित मात्रा में ऋण सुविधाएं।

">

">४. बिजली एवम् सिंचाई की सुविधाएं।

">

">५. विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों में निरंतर अनुसंधान कार्य, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा किसानों के खेतों पर प्रयोग और गांवों में भूमि परीक्षण एवम् नई तकनीक, बागवानी, सब्जी, मशरूम आदि की खेती की जाए

">

">६. किसान को बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए।

">

">७. कृषि उत्पादन का भंडारण।

">

">८. ऊसर भूमि सुधार एवम् ऋण नकद की समस्या का निराकरण।

">

">९. जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएं।

">

">१०.कीट पतंगों एवम् बीमारियों की रोकथाम के उपाय किये जाएं।

">

">११.स्टाप डैम एवम् छोटे-छोटे तालाबों का निर्माण कराया जाए।

">

">----------

">* Laid on the Table of the House.

">

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की समस्या पर बहुत देर तक चर्चा चल रही है। मैं नीतीश जी को बताना चाहता हूं कि किसानों की जलती हुई बस्ती मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस बस्ती को बुझाने वाली हस्ती चाहिए, किसानों की फसल की बरबादी मुझे नहीं चाहिए, किसानों में सुरक्षा पैदा करने वाली आबादी मुझे चाहिए, मुझे किसानों को धोखा देने वाली सरकार नहीं चाहिए, मुझे किसानों को मौका देने वाली सरकार चाहिए। कुमारमंगलम जी, अगर किसानों को बिजली नहीं मिलेगी तो यह सरकार भी नहीं चलेगी। किसानों को अगर शांति नहीं मिलेगी तो एक दिन किसान क्रांति कर देगा।

">

">वक्त कम है। किसानों के लिए फार्मर्स राइट कमीशन के निर्माण की आवश्यकता है। आप अच्छे मंत्री हैं और सच्चे भी हैं लेकिन सरकार के कच्चे निर्णय हैं। इसलिए यह समस्या पैदा हो रही है। किसानों को ५० साल की आजादी के बाद एक हजार रुपए महीना पेंशन मिलनी चाहिए। आज बिजली की किसानों को जरूरत है। उसे ज्यादा से ज्यादा बिजली कम रेट पर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है और किसानों को शक्ति देने की आवश्यकता है। इसके बारे में विचार होना चाहिए। फसल बीमा योजना के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनानी चाहिए। कई मुद्दे हैं लेकिन आप गुस्सा करेंगे

... (व्यवधान)
">

">उपाध्यक्ष महोदय : इसमें गुस्सा करने की बात नहीं है।

">

">श्री रामदास आठवले : मिनिस्टर साहब इस पर अच्छा उत्तर दें। आपने बताया कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आप क्या करने वाले हैं यह देखने वाली बात है। हम दो-तीन साल बाद देखकर बताएंगे कि आपने क्या किया? किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयत्न करें।

">

">

। श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९३ के तहत किसानों की समस्या के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में निम्नलिखित बातें लिखित रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

">

">राजस्थान के किसान को तीन रूपों में जाना जाता है। प्रथम खेती के रूप में, द्वितीय पशुपालक के रूप में तृतीय मजदूर के रूप में। राजस्थान में ज्यादातर अकाल पड़ता रहता है, जिससे किसान खेती नहीं कर सकते तथा अकाल पड़ने से पशुपालन भी किसानों के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। किसानों की रीढ़ की हड्डी पशुधन है, लेकिन अकाल होने से किसानों ने पशुओं को भगवान भरोसे लावारिस छोड़ दिया है। अकाल पड़ने से किसान को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। किसानों ने राजस्थान के बाहर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी की तलाश शुरू कर दी है।

">

">उपाध्यक्ष महोदय, गांव में गोचर, ओरण व पड़त पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, जिससे जगह-जगह गांव के तालाब वर्षा होने से भर नहीं रहे हैं। इस कारण जमीन के अंदर का पानी और अधिक नीचे चला गया है।

">

">राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केन्द्र ने राजस्थान के हिस्से की बिजली दूसरे प्रांतों को दे दी है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि वे इस बात का स्पष्टीकरण दें, ताकि राजस्थान के किसानों में भ्रम की स्थिति खत्म हो सके।

">

">----------

">* Laid on the Table of the House.

">

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सवाल केवल किसानों का नहीं है, देश का सवाल है। अब तक बिजली, पानी और सड़क किसानों की होती थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन के आधार पर किसानों के लिये मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक और मालेगांव में केन्द्र सरकार की एक योजना

">

बनाई गई है जिस पर केन्द्र सरकार को पैसा देना चाहिये। वहां पर प्याज सस्ता होता है जिस पर पाबंदी न लगाकर निर्यात के लिये खोला जाना चाहिये। हमारे देश में स र्वश्री मोरारजी देसाई, वी.पी.सिंह, देवेगौड़ा हुये हैं जो किसानों के हमदर्द थे। इस प्रकार हमारे महाराष्ट्र में श्री वसंतराव नाइक थे जिन्होंने किसानों की तरफ काफी ध्यान दिया। मेरी प्रार्थना है कि यदि मंत्री जी इनकी तरफ ध्यान रखेंगे तो किसान शान्त रहेगा और देश शान्त रहेगा।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, 80 per cent of our country''s total population belongs to the farming community. Therefore, I request the hon. Prime Minister, the hon. Finance Minister and the hon. Agriculture Minister to allot 80 per cent of the total Budget for the farming community.

">Sir, nowadays, the floods and famine have become a routine feature in one State or the other in our country. Thousands of crores of rupees are being spent every year to curb the problems of floods and famine but nothing concrete is coming out.

">Sir, most of the Himalayan peninsula is full of water. Almost, all the northern region rivers like Ganga, Yamuna, and other rivers like Brahamputra are always overloaded, and they are all floods prone rivers whereas all the southern region rivers like Godavari and Cauveri are dry rivers almost all the seasons, there is no water available. In this regard, a project on the linkage of rivers Himalayas, Ganga and Yamuna with the southern region rivers like Godavari and Cauveri is long pending since 1982 with the Government of India. This project should be completed soon. My plea is that if this project is completed, there will bo no floods in the northern India and on the other hand there will be sufficient water in the southern region rivers which remain almost dry every time. If this project is completed, the entire country will be benefited, and our farmers of southern region will also be able to produce sufficient foodgrains with better and better irrigation facilities. With the availability of sufficient water, the farmers of southern India will be able to produce spices crops, coffee and tea in huge quantum. With the result, we may increase export of these products. This way, we can earn more foreign exchange as well.

">Sir, 30 per cent of the people of this country have no two square meals. That is why I urge upon that if we have linkage of rivers, we can have the water available everywhere in the country. This way, our farmers will be able to produce more and more foodgrains, and there will not be any shortage of foods. Everybody will have his meals. There will be self-sufficiency in the country.

">Sir, half of the area belonging to the southern States, viz., Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu is a dry land area. The farmers there, are living in a very distressing situation. In most parts of Karnataka, especially, in my constituency, Kolar, the water table has gone down by 500 feets to 600 feets. I request that the hon. Agriculture Minister should pay a kind attention to this problem. One remedy to solve the water problem in Karnataka is desiltation of tanks. More than 10,000 tanks in Karnataka are silted. I therefore, request that the Central Government should come out with some concrete proposals, they may take the help of World Bank, if necessary, to take the desiltation of tanks.

">Sir, my next point relates to marketing facilities. The Governments in USA, Britain and Holland are giving full protection to their farmers. If there is no market of the products of their farmers, their respective Government will come forward and purchase those products from them in order to save them from hardships. Similarly, our Government also should come forward by way of giving protection to our farmers. This way, our country will be benefited a lot. Prices stability will also remain there.

">Lastly, in Karnataka, we are producing a huge amount of vegetables like Potatoes and Onions, and fruits like Mangoes, which are all perishable items. But the problem is that there is no sufficient cold storage facilities available. We want more and more cold storages to be built there to help the farmers. It will also be in the interest of the State.

">So, I request that the hon. Agriculture Minister should take some steps to protect the farmers of our country. With these words, I conclude. ">

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के हित में फसल बीमा योजना चालू की जा रही है जिसमें केन्द्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन राज्य सरकार के २५ पैसे देने पड़ते हैं, वह राज्य सरकार नहीं देना चाहती। किसानों के हित में फसल बीमा योजना लागू हो। इसके अलावा तेल या तिलहन जैसी फसलों के लिये किसानों को राहत दी जानी चाहिये। नये उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिये ग्रामीण स्तर पर कृषि विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाये। संतरा, नीबू, पपीता आदि की खेती होती है, उसमें उद्योग लगाने के लिये ग्रामीण स्तर पर सहायता दी जानी चाहिये। इसके लिये कारखाने स्थापित हों और ज्यादा गन्ना मिलें स्थापित की जाये।

">

">बेस्टलैण्ड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट जो दूसरे विभागों में हैं, वह इसमें लाएं। सरकार ट्यूबवैलों के लिए तथा विद्युत के लिए पर्याप्त राशि नहीं देती है। केन्द्र सरकार कृषि विभाग को ज्यादा राशि दे।

">

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसानों की हालत पर कल से लेकर आज तक चर्चा हुई और इसमें कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और किसानों की हालत पर चिन्ता प्रकट की है। मैं उनकी चिन्ता को स्वाभाविक मानता हूं। कुछ कठिनाइयां उनके सामने हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे हैं। आज़ादी के समय हम जहां थे उससे बहुत आगे हम जा चुके हैं। आज़ादी जिस समय मिली थी, देश में उस समय जोहमारी पैदावार थी, उससे चार गुना हम अगर कुल मिलाकर देखें तो हमने वृद्धि हासिल की है। प्रगति हमने काफी की है सब तरह की कठिनाइयों के बावजूद। जो रेकार्ड उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है २०३ मिलियन टन, यह एक बहुत बड़ी सफलता है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह देश के किसानों को जाता है। श्रेय के हकदार दूसरे लोग भी हैं जो अनुसंधान के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय देश के कृषकों का है, किसानों का है। अभी हमारे सामने और कठिन चुनौतियां हैं। हमारा उत्पादन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारी उत्पादकता जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से आबादी बढ़ रही है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसको हमें स्वीकार करना होगा, इसका समाधान निकालना होगा। आज माना जाता है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम ऐग्रीकल्चर प्रोडक्टस को ऐक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत सुधरी है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में अभी भी एक तिहाई से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं। जो कुछ भी उत्पादन है, उसके हिसाब से जो उन्हें प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता है। एक तो बढ़ती हुई आबादी है और दूसरी तरफ हमारे यहां जो गरीबी है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उसको हम ध्यान में रखें तो अभी हमें और ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने पर ज़ोर देना पड़ेगा तथा और ज्यादा उत्पादन हमें हासिल करना होगा। यही कारण है कि हम लोगों की सरकार ने और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसने अपना जो ऐजेण्डा निर्धारित किया है, उसके हिसाब से अगले दस वर्षों के अंदर हमें कुल खाद्य पदार्थों का, हम सिर्फ खाद्यान्न की बात नहीं कर रहे हैं, कुल खाद्य पदार्थों के उत्पादन को हमें दोगुना करना होगा अपने देश की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए। उस हिसाब से हमें अपनी नीति को बनाना होगा। इसलिए हम जिस कृषि नीति को बहुत जल्दी लाने वाले हैं, उस नीति में जो कुछ बुनियादी बातें होंगी और सबसे ज्यादा ज़ोर इस बात पर होगा कि हम चार प्रतिशत ग्रोथ रेट प्राप्त कर सकें। इसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ते में कठिनाइयां हैं, उनका हमें हल ढूंढना पड़ेगा। खेती लायक ज़मीन सीमित है। कुछ ही गुंजाइश है उसमें वृद्धि करने की।

उस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन अब तक खेती में जो तरक्की हुई है, जिस ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हम करते रहते हैं, उसके बाहर भी हमें जाना होगा और

जो क्षेत्र सिंचित नहीं हैं, जो वर्षा पर आधारित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जो रेनफैड एरियाज हैं, जहां बरानी खेती है, वहां उत्पादकता को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना होगा। आगे आने वाले समय में हमें इस बात का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। वही एक क्षेत्र है, जहां से हम उन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी नीतियां उसी के अनुरूप बनानी होंगी - चाहे वाटर शैड डेवलपमैंट प्रोजेक्टस हों या कोई दूसरे प्रोजेक्टस हों, कि किस ढंग से हम फसल लगायें, किस तरह से उसे डाइवर्सिफाई कर सकें, कौन सी क्रॉप हम लें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग इलाकों के हिसाब से, अलग-अलग क्रॉप के हिसाब से, हम कुछ नये कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। हमें इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखना होगा।

अभी कई और समस्याएं भी हैं। जो भी आज उत्पादन हो रहा है उसका एक हिस्सा बरबाद हो जाता है, चूंकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमैंट ठीक नहीं है। आज सुबह सदन में एक प्रश्न था, उसे देखें तो पांच से दस प्रतिशत हम खाद्यान्न बरबाद कर देते हैं और अगर हॉर्टीकल्चर प्रोडयूस को देखें तो २० से ३० प्रतिशत तक बरबाद हो जाता है। हमें उस पर काबू पाना होगा, अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी विकसित करनी होगी और खास करके हॉर्टीकल्चर के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप करनी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कैपिटल सब्सिडी स्कीम बनाई है। उसका लक्षय है कि हम १२ लाख टन के नये कोल्ड स्टोरेज अगली नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष काल में बना सकें, उसकी क्षमता विकसित कर सकें। आठ लाख जो वर्तमान स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसका आधुनिकीकरण कर सकें और इसके अलावा साढ़े चार लाख टन प्याज के भंडारण की क्षमता हासिल कर सकें। ये हमारे लक्षय हैं। इसी प्रकार से देहाती तथा छोटे इलाकों में जो मंडिया हैं, उन जगहों पर किसानों की मदद के लिए यह आवश्यक है कि नीचे के स्तर पर खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता का विकास हो। जिस प्रकार से हमने कोल्ड स्टोरेज के लिए कैपिटल सब्सिडी स्कीम बनाई है, उसी पैटर्न पर, उसी ढंग से २५ प्रतिशत हम उसमें सब्सिडी देने जा रहे हैं। यदि कोई प्रोमोटर आयेगा तो उसका २५ परसेंट होगा। कमर्शियल बैंक्स उन्हें ५० प्रतिशत ऋण देंगे, जो प्राइम लैंडिंग रेट से एक प्रतिशत ज्यादा होगा। नाबार्ड अथवा कमर्शियल बैंक्स री-फाइनैन्स करेंगे। इस स्कीम पर, इसी पैटर्न पर हमारे मंत्रालय में यह विचार चल रहा है कि हम नीचे के स्तर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां खाद्यान्न की क्षमता को विकसित करने के लिए, इसी प्रकार से गोदामों का निर्माण करने के लिए भी काम करें। इसके लिए सरकार की अन्य मंत्रालयों के साथ बात चल रही है। अभी अंतिम तौर पर उस पर निर्णय नहीं हो सका है परन्तु ऐसी हम लोगों की राय है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमैंट पर हमें ज्यादा जोर देना होगा। फूड प्रोसेसिंग पर हमें ज्यादा जोर देना होगा। इन सब चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा। इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमैंट का भी हमें ख्याल रखना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम आखिर कितने दिनों तक कैमिकल, पैस्टीसाइडस और इन्सेक्टीसाइडस का इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेजमैंट पर जोर दें, बॉयलोजीकल कंट्रोल पर जोर दें और इतना नहीं यह बात सही है कि कैमिकल फर्टीलाइजर का इस्तेमाल होता है - कैमिकल फर्टीलाइजर की अपनी सीमा है और उत्पादकता को बढ़ाने में वह लाभदायक है - लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमें कंजन्कटिव यूज करना होगा। हमें ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर पर ज्यादा जोर देना होगा और जिस तरह से हम बॉयलोजिकल पेस्ट का कंट्रोल करेंगे, उसी तरह से ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर के विकास पर भी हमें जोर देना होगा। यही नहीं देश के कई हिस्सों में किसान इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से आई.सी.ए.आर. में भी कई काम होते हैं, लोगों को मदद दी जाती है और लोग ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे केरल के एक मंत्री मिले और उन्होंने बताया कि उनकी अपनी संस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने केरल के मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे यहां आर्गेनिक फर्टीलाइजर के सहारे खेती हो रही है। उन्होंने इस बारे में अपने अनुभव बताए। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वे भी बताते हैं कि शुरू में भले ही उपज कम हो, लेकिन बाद में ऑर्गेनिक फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, तो और ज्यादा उत्पादकता बढ़ेगी। इसलिए हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा। इससे एनवायरनमेंट दुरुस्त रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी, लेकिन हम कहें कि अचानक केमीकल फर्टीलाइजर को छोड़ दें, तो इतनी बड़ी आबादी है, फूड सिक्योरिटी का सवाल है, खाद्यान्न की जरूरत है, फूड प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको पूरा करना है, तो हम एक बारगी केमीकल फर्टीलाइजर को खत्म कर देंगे और केमीकल पैस्टीसाइट और इंसैक्टीसाइट का इस्तेमाल बन्द कर देंगे, तो वह एक हवाई बात होगी, अव्यावहारिक बात होगी, लेकिन हमें इस ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले हमें कंजक्टिव यूज पर जाना होगा होगा और हम धीरे-धीरे उसको एलीमिनेट करें, तो ठीक रहेगा। उसके लिए हम आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने कतिपय प्रश्न उठाए हैं, उनकी चिन्ता वाजिब है। किसान के लिए बिजली का सवाल है, किसान के लिए इनपुट का सवाल है। कई राज्यों में बिजली का ऐलान होता है कि मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन वहां बिजली की सप्लाई ही नहीं होती है। बिजली किसान को मिलनी चाहिए, जो बिजली का दाम है, जो टैरिफ है, वह निर्धारित हो। पंजाब जैसा अमीर राज्य तो किसानों को मुफ्त बिजली देने को एफोर्ड कर सकता है, अन्य राज्यों की वैसी स्थिति नहीं है। यहां रघुवंश बाबू बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि बिहार में बिजली नहीं है, लेकिन ऐलान कर दिया कि बिहार के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। जब वहां बिजली का तार नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो बिजली कैसे दी जाएगी? जब वहां बिजली पहुंचेगी, तभी तो बिजली देने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार से कई बातें चलती हैं उनके बारे में भी सोचना होगा। किसान को बिजली निश्चितरूप से मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्यों का विषय हैं। कृषि राज्य का विषय है। इस विषय में केन्द्र सरकार सलाह दे सकती है, केन्द्र की तरफ से हम उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ ही वाटर रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। ये सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, टैक्नीकल एडवाइस दे सकते हैं। राज्यों की योजना का जो आकार होता है उसमें यहां से जो मदद होती है वह दी जाती है। कृषि के कई कार्यक्रम हैं और धीरे-धीरे जो हम नई कृषि नीति लाने जा रहे हैं, उसमें हमारा इस बात पर जोर होगा कि राज्यों की जो स्कीमे हैं उनमें केन्द्र का एक एडवाइजरी रोल हो। हमारा काम उनको सलाह देना हो। राज्यों की जो जरूरत है, उसके मुताबिक वे अपनी योजनाएं बनाएं। उसमें हम मदद करें जिससे तेजी से वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें।

श्री अनिल बसु : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहुत गंभीर सवाल है।

If public investment in agriculture is reduced and if the Union Government withdraws its role in regard to public investment in agriculture, that will be a black day for our country.

श्री नीतीश कुमार : शायद आपने मेरी बात समझी नहीं। मैं हिन्दी में बोल रहा हूं इसलिए हो सकता है कि आप मेरी बात समझ न सके हों। वैसे आप तो अच्छी हिन्दी बोलते हैं और समझते भी हैं। जो आप समझ रहे हैं वह हमने नहीं कहा। जो हमारी स्कीम है, जो हमारी एप्रोच है, उसमें एक स्कीम तय कर दी है, उसमें हम अपना शेयर तय करते हैं, उनका शेयर तय करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी तय हो, वह पैसा हम उनको दें और वे अपने हिसाब से अपनी स्कीम फारमूलेट करें, अपने हिसाब से बनाएं। उसमें एडवाइस देने का काम हम करें जिससे फायदा पहुंचे। इस प्रकार से उनके सहयोग से योजनाएं बनें और रिसर्च के काम में हम उनको सलाह दें।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक इनवैस्टमेंट तो बढ़ना चाहिए। पब्लिक इन्वैस्टमेंट घटाने की बात कहां हो रही है, घटाने का सवाल कहां पैदा होता है, बल्कि हमारा तो यह कहना है कि जो इन्वैस्टमेंट है वह पर्याप्त नहीं है उसको और बढाना चाहिए। हम तो राज्यों की ज्यादा मदद करना चाहते हैं। राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देना चाहते हैं जिससे वे अपने हिसाब से कृषि की तरक्की की योजनाएं बनाएं, लेकिन उसमें राज्यों को सोचना होगा। इसमें कुछ राज्य तो बहुत फायदा उठाएंगे।

ये सब चीजें सोचनी होंगी।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Anil Basu is not able to understand. After five or ten minutes many hon. Members will not be able to understand. So, instead of addressing the Members, please address the Chair.

श्री नीतीश कुमार : अब मदद के लिए हमने अनेक योजनायें बनाई हैं। कुछ विषय जो यहां उठाये गये हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं जैसे शुगर का सवाल आया है। बहुत सारी ऐसी चर्चायें हुई हैं जिनका सीधा संबंध कृषि मंत्रालय से नहीं है। ... (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : शुगर का सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि उसमें किसानों की पूरी तपस्या

... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: आप घड़ी देखिये। हम और आप यह सब तो तात्विक बहस करते रह जायेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh Kunwar Singh, you are a new Member. You can interrupt and speak only if the hon. Minister is ready to yield.

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने इसी सदन में कहा था कि मैं कृषि मंत्री जी से पूरी डिटेल लेकर सदन में गन्ने के बारे में रिपोर्ट दूंगा।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको कहां से परमीशन मिल गई। आप तो पुराने मैम्बर हैं। ... (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अब यह कह रहे हैं कि गन्ने के बारे में हम जानते नहीं हैं।

... (व्यवधान)
आडवाणी जी कहते हैं कि कृषि मंत्री जी से पूछेंगे तो हमें गन्ने के बारे में कौन बतायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्रा जी, मैंने अखिलेश जी को जो कहा, क्या वही मैं आपको भी कहूं।

श्री नीतीश कुमार: आप गौर से सुनिये। मैंने चीनी कहा है, गन्ना नहीं कहा। मैंने केन नहीं कहा, मैंने शुगर कहा है। पहले आप ध्यान से सुना करिये तब बोलिये। हम लोग खूब जानते हैं। आपकी चिन्ता से हम वाकिफ हैं और उसको शेयर भी करते हैं। लेकिन पूरी बात को सुने बगैर रियेक्ट करना ठीक नहीं होता है। जो स्थिति है, उसमें अलग-अलग

... (व्यवधान)
अब शुगरकेन का प्रोडेक्शन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है क्योंकि वह कृषि का हिस्सा है। लेकिन अगर शुगर प्रोडेक्शन आयेगा तो वह हमारे परव्यू के बाहर की चीज है। अब जो शुगर मिल्स हैं और उनके साथ किसानों की जो समस्या है, वह हम नहीं देखते हैं। यह बात अपनी जगह सही है क्योंकि किसान इसको पैदा करते हैं और किसानों का हित देखना हमारा कर्ततव्य है। हम उस नाते उतना ही चिन्तित होते हैं और उतनी ही चिन्ता प्रकट करना चाहते हैं जितनी माननीय सदस्य ने प्रकट की है। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसमें सबको मिलकर सोचना होगा। यह बात सही है कि इसका रूल है, एक्ट है। इसे कौन नहीं जानता है। हम भी एक देहाती क्षेत्र से आते हैं। हमारा भी संबंध किसान परिवार से है और हम भी घूमते रहते हैं। उत्तर बिहार में सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं। वहां के किसान अपनी समस्या बतलाते हैं। एक सांसद के रूप में जो शुगरकेन ग्रोअर्स हैं, जो गन्ना किसान हैं, उनकी समस्या को हम भी उठाते रहे। इसलिए इन बातों के बारे में जानकारी की कोई कमी नहीं है लेकिन सवाल यह है कि उनकी स्थिति का समाधान होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय सदस्य ने यहां पर जो कुछ भी उठाया है, उनकी वह भावना मैं उचित जगह पर जरूर पहुंचाऊंगा। इसके साथ हमारे विभाग की तरफ से इस संबंध में जो भी मदद हो सकती है, हम वह मदद मुहैया करायेंगे। हमें जो भी वकालत करनी होगी, हम उनकी वकालत करेंगे लेकिन जो गन्ना किसान हैं, उनकी समस्या का हल होना चाहिए। कई जगहों पर गन्ना किसान लूटे जा रहे हैं। उनकी पर्ची लेकर जिस ढंग से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है। यह किससे छुपी हुई बात है। हम सबकी सार्वजनिक जिंदगी है और हम लोगों को एक-एक बात की जानकारी होती है। लेकिन सरकार का काम अपने ढंग से होता है। दूसरे विभाग के डोमैन में कोई बात कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। इसलिए इस बात के लिए जो भी संभव होगा, उसके संबंध में माननीय सदस्यों ने इस सदन में जो विचार व्यक्त किये हैं, उन तमाम लोगों की भावना से मैं संबद्ध विभाग को अवगत जरूर कराऊंगा।

अभी और कुछ सवाल किये गये हैं, उनका मैं एक-एक मिनट में जवाब दे दूंगा। लेकिन चुनौतियां का सामना करने के लिए और किसानों के हक को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लॉंच की है। इसी रबी से उसको लॉंच किया जा चुका है। पहले की जो कम्प्रीहैन्सिव क्रॉप इन्श्योरेंस स्कीम है, उसकी जगह नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। अब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का दायरा बढ़ा है। पहले जो कम्प्रीहैन्सिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जिसको फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, वह लोनी फार्मर्स को कवर करता था। यह लोनी फार्मर्स को भी कवर करेगा और नॉन लोनी फार्मर्स को भी कवर करेगा। इसका स्कोप ज्यादा है। इसके कई कम्पोनैंटस हैं। इस प्रकार से पहली स्कीम से एक बेहतर स्कीम किसानों के हित में लॉंच की गई है। फिर भी इसमें और ज्यादा सुधार के लिए हम इसको

... (व्यवधान)

Shri Anil Basu, please let me complete. ...(Interruptions) If you want the details about the `Rashtriya Krishi Bhima Yojna", I am prepared to give it.

If you are ready to sit, I can go on for hours and hours together.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, you can pass on this information to the Member.

श्री नीतीश कुमार : ये चाहेंगे तो इनको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में डिटेल दे देंगे। यदि आपकी इजाजत हो तो हम अभी शुरु कर देंगे। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में पूरी बात बताने में कम से कम बीस मिनट लगेंगे। इसलिए मैं मोटी बातों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। लोनी फार्मर्स की जगह लोनी फार्मर्स और नॉन लोनी फार्मर्स को भी ऑप्शन दिया गया है, वे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को जो प्रिमियम जमा करना है, उसमें उसी तरह सबसिडी दी जाएगी। सबसिडी की राशि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे। जो नई बीमा योजना है, राज्यों को कहा गया है कि आप इसे ऑप्ट कीजिए। नौ राज्य ऑप्ट कर चुके हैं। फिर भी यदि उनकी कोई तकलीफ होती है, यह तय था कि एक साल के बाद इसे रिव्यू करेंगे। लेकिन अगले ही फाईनैंशियल ईयर में, अब यह लॉन्च हो चुकी है, जब एक स्कीम लॉन्च हो गई, दूसरी स्कीम बंद हो गई तो हम सारे राज्यों से आग्रह करेंगे कि वे इस स्कीम को ऑप्ट करें। इसके बाद अगले फाईनैंशियल ईयर में यदि रिव्यू की संभावना होगी, राज्यों के जो विचार आए हैं, उसके आधार पर हम उसे रिव्यू करेंगे, उसपर चर्चा करेंगे कि क्या अनुभव है। इसमें इस प्रकार हार्टीकल्चर क्रॉप्स भी लिए जाएंगे। लेकिन पैरेनियल को अभी लेने की बात नहीं है, उसे तीन साल के बाद लिया जाएगा, उसपर ऐक्चूरियल प्रिमियम की बात होगी। अभी जो प्रिमियम है, हम धीरे-धीरे पांच साल के अंदर ऐक्चूरियल प्रिमियमम की ओर बढ़ेंगे। जितनी प्रकार की सबसिडी है, उसे पांच साल के अंदर समाप्त करने का विचार है। इस प्रकार आज की योजना पहले से बेहतर है, पहले से ज्यादा कवरेज है, किसानों का कवरेज ज्यादा है। इसके अलावा यूरिया का कवरेज ज्यादा है। श्री रघुवंश प्रसाद जी ने सवाल उठाया था कि गांवों को यूनिट बनाया जाये। इसमें ग्राम पंचायत यूनिट है। जो क्रॉप्स लिये जा रहे हैं, पहले के इल डाटा ऐवेलिबिलिटी को देखकर इसका और विकास, विस्तार किया जायेगा। मतलब यह किसानों के हक में है।

क्रेडिट कार्ड की योजना बनी, जो बहुत सफल हुई है। २० लाख का लक्षय था और ३५ लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार कई योजनायें हैं जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लागू की हैं। हम आगे भी इस तरह किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर अमल करेंगे और कृषि नीति के घोषित होने पर हम उसका अंतिम रूप दे रहे हैं। हमारे मंत्रालय ने दस साल पहले उस पर अंतिम रूप दे दिया है। १९८९-९० में सरकार थी, उस समय के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था। यह एक्सेसाइज उस समय से चल रही है। मुझे खुशी है, उस समय जब चर्चा शुरू हुई थी, मैं कृषि राज्य मंत्री था और आज मैं कृषि मंत्री हूं। कृषि नीति बनाने की उस समय जो चर्चा शुरू हुई, उसकी तार्किक परिणति आज होगी तो मुझसे ज्यादा प्रसन्नता और किसे हो सकती है। लेकिन इस बीच बहुत समय चला गया। इस बीच संसद ने इस पर दो बार चर्चा की है। पार्लियामैंट की स्टैंडिंग कमेटी का संयोग से मैं ही सभापति था। उसने भी राष्ट्रीय कृषि नीति पर अपनी रिपोर्ट दी है। एग्रकौल्चर मिनिस्टर्स की कांफ्रैंस हुई। एक्सपर्टस के साथ मीटिंग हुई। इतना वाइड रेंज कन्सलटेशन हो चुका है कि अब इससे ज्यादा किसी विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है। इसलिए हम उसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट में ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा इरादा है कि नये साल में, नये मिलेनियम में देश के किसानों को एक अच्छी कृषि नीति तोहफे से रूप में पेश करें। देश के किसानों के लिए यह हमारा विचार होगा, जिस पर लगभग दो तिहाई लोग निर्भर हैं। उनकी खुशहाली, तरक्की और मुल्क की सुरक्षा और तरक्की के लिए भी हम यह काम करना चाहते हैं।

इसके अलावा आज कुछ सवाल उठाये गये हैं, एक सवाल पर रिस्पांड करना बहुत जरूरी है। कुछ माननीय सदस्यों ने टर्मीनेटर सीड की बात की है। टर्मीनेटर सीड दुनिया में कन्सैप्ट के तौर पर था। यह अभी धरती पर मूर्त रूप नहीं ले सका है और दुनिया भर में इसका विरोध हुआ है। टर्मीनेटर सीड बड़ी खतरनाक चीज है। इसका मतलब

है कि मस्टी नैशनल कम्पनी कोई सीड बनायेगी तो उसमें एक ऐसा टर्मीनेटर जीन डाल देगी कि आप एक बार उसे खेत में लगायेंगे तो फसल उग जायेगी।

उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अनाज में बीज की क्षमता नहीं होगी। उसमें यह है कि उसमें एक ऐसा स्टराइल रोगा, यह बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया भर में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है और जिस सीड कम्पनी ने इस पर काम शुरू किया था, यह बात शुरू की थी, उसने भी कहा है, जो मुझे सूचना दी गई है कि अब हम इस स्कीम को बे बन्द कर रहे हैं, एबंडन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इतने पर ही हम चैन से नहीं बैठें हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपने जितने क्वरन्टाइन सैंटर्स हैं, उनको सख्ती के साथ निर्देश दिया है कि आप ठीक से जांच करिये कि कोई चीज बाहर से आ रही है, उसमें कोई टर्मिनेटर जीन है कि नहीं है। उसकी ठीक से जांच करिये।

इसके अलावा इस सत्र में ही हम लोगों की इच्छा है कि हम प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स प्रोटैक्शन राइटस बिल लायें। उसमें इन सब चीजों से हम बचाव करेंगे। जहां भी कोई टर्मिनेटर जीन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन यहां एलाऊड नहीं होगा। हम उन चीजों का उसमें उल्लेख कर रहे हैं तो इस तरह की कोई खतरनाक चीज इस देश में आ ही नहीं सकती है और उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इन लोगों को हम लोग बर्दाश्त करेंगे।

इसके अलावा हमारे कतिपय माननीय सदस्यों ने कहा है और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की बात उठाई है। जो हम कृषि नीति लाना चाहते हैं, उस कृषि नीति के आने के बाद इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सारी सुविधाएं वहीं मिल जाएंगी, कहने का मतलब है सुविधा मिले, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलें। कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो आज

कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया है कि यहां पर जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, इसके लिए जो सी.ए.सी.पी. तय करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइसेज, उसमें किसान नहीं होते हैं। देखिये, अन्याय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी यह बात शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे सी.ए.सी.पी. में जो प्राइस का नोर्म है, उसमें काफी बदलाव आया है। उसमें कई प्रकार की इनपुटेड कास्ट भी शामिल है, जो आप अपने खेत पर मेहनत करते हैं, उसका मेहनताना भी उसमें शामिल है। जो आपकी जमीन है, उसका रेन्ट भी इसमें शामिल है। इसलिए अब ऐसी बात नहीं है। जो आप एक्चुअली खर्च करते हैं, उसके अलावा ये सारी चीजें भी शामिल की जाती हैं और इसमें एक से एक जाने माने कृषि क्षेत्र के आर्थिक मामलों के जानकार लोग होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनोमिस्ट इसमें रखे जाते हैं। किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें ३-३ नॉन ऑफिशियल मैम्बर्स भी होते हैं, इसलिए यह कहना कि सी.ए.सी.पी. का कम्पोजीशन ऐसा है। यही सी.ए.सी.पी. है जो रिकमेण्ड करती रही और किसानों को दाम मिलता रहा। उसका फायदा हुआ है कि लोग आगे बढ़ते गये हैं।

... (व्यवधान)
मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

अब बहुत चर्चा हो चुकी है। जरा इश्यूज़ पर हमको रैस्पोंड कर लेने दीजिए, वरना छूट जायेगा। बाकी बाद में आप ही कहिएगा कि यह चीज छूट गई। इस तरह से उसमें पहले से काफी सुधार हुआ है। एक सवाल हमारे परम आदरणीय मित्र ने उठा दिया था ... (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : गेहूं का समर्थन मूल्य क्या घोषित करने जा रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : वह आ जायेगा। बीच में आप कहां से यह रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं। आप बाहर निकलिएगा तो हम आपको बता देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का फिक्स होगा, उसकी प्रक्रिया जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? मि. मिनिस्टर, यह आप क्या कर रहे हैं। आप दोनों बात कर रहे हैं। हम लोग यहां पार्टी नहीं है क्या? यह क्या है।

... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

अभी रघुवंश बाबू ने एक सवाल उठा दिया। यह एक ई.ई.सी. असिस्टेड प्रोजैक्ट है, रिक्लेमेशन एंड डवलपमेंट ऑफ एलकली लैंड इन बिहार एंड यू.पी., आप उसी का उल्लेख कर रहे थे। वह सेलेनिटी डवलप नहीं होती है, क्षारीय गुण उसमें ज्यादा पैदा हो जाते हैं, वह बात होती है। बिहार में यह लागू है। लेकिन क्या कहा जाये, इसमें टैक्नीकल ऑडिट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करा रही है, फाइनेंशियल ऑडिट ई.ई.सी. या टर्मस ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से हो जाता है। जो फाइनेंशियल ऑडिट हुआ है, उसके हिसाब से बिहार में जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्नीकल इर्रेगुलरटीज़ पाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि वहां जो भी चीज छेड़िये, अभी कुमारमंगलम साहब बताकर गये कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन में भी वही गड़बड़ी है। यह ई.ई.सी. असिस्टेड प्रोजैक्ट है, इसमें भी इर्रेगुलरटीज़ पाई गई हैं। बहुत दुख होता है, हम उस राज्य से ही आते हैं, हम लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें।

गंडक एरिया डवेलपमेंट एजेंसी, इम्पलीमेंट एजेंसी के बारे में सदस्यों को पता है।

ECE

ने इंडिकेट किया था, वे चाहते हैं कि इस प्रोजैक्ट को बन्द कर दिया जाए, क्योंकि इर्रेग्युलेरिटी की वजह से वह तबाह हो गया है, लेकिन हम लोग उनको मना कर रहे हैं। आशा है कि मीटिंग फिक्स हुई है। सैक्रेटरी एग्रीकल्चर और बिहार के आफिसरों को भी बुलाया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि यह स्कीम बन्द न की जाए। लेकिन इर्रेग्युलेरिटी पर काबू पाने की दिशा में भी कुछ कदम वहां उठाने चाहिए। इन सब चीजों के अलावा जो भी अन्य समस्यायें हैं, जैसे इम्पोर्ट के कारण या अन्य चीजों के कारण और बहुत सी चीजों का संबंध अलग-अलग मंत्रालयों से होता है, लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का संबंध है, हम किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बिलकुल सचेत हैं और देश में कृषि तरक्की करे और आने वाली शताब्दि, सहस्त्राब्दि में हम चुनौतियों का मुकाबला कर सकें।

इसके साथ-ही-साथ फार्मर्स कंडीशन पर अलग-अलग ढंग से इंटिग्रेटेड और कामप्रहैंसिव स्टडी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि देश के किसानों की हालत पर आजादी से लेकर आज तक खेती में कितनी तरक्की हुई है, उस पर भी नजर डालें। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जिससे हमने फूडग्रेन्स में तरक्की की। मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, तो दूध के उत्पादन में तरक्की हुई। हम यैलो रिवोल्यूशन तिलहन के लिए कर रहे हैं और ब्लू रिवोल्यूशन मझली के लिए कर रहे हैं। हार्टीकल्चर में भी आगे बढ़े हैं। अब हमें रेनबो रिवोल्यूशन की ओर जाना चाहिए। हार्टीकल्चर में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, वैसे हमारा स्थान दुनिया में दूसरे नम्बर पर है। अभी दो दिन पहले दुनिया भर में आलू पर सम्मेलन चल रहा था। आलू को हम खाद्य पदार्थ मानते हैं, लेकिन आदत अनुसार हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका हम और ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम इन चीजों की पैदावार को बढ़ाकर इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें रेनबो रिवोल्यूशन की ओर बढ़ना है। सफेद हो गया, नीला हो गया और पीले पर हम काम कर रहे हैं। हरित हो गया और अब रेनबो रिवोल्यूशन के जरिए इसको कान्सैप्चुलाइज कर रहे हैं। समस्यायें जो उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं का हम निदान भी करेंगे और चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। इसमें पूरे सदन का सहयोग चाहिए। इसके अलावा इस देश की जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो खेती पर आधारित है,उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और इसके लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जिस समय आप कृषि राज्य मंत्री थे, तो छपरा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की बात हुई थी।

श्री नीतीश कुमार: हम एक मीटिंग करके कृषि विज्ञान केन्द्रों के बारे में सब देख लेंगे।

2354 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday, December 9, 1999/Agrahayana 18, 1921 (Saka).